पंचम माला, खंड 58, अंक 6, सोमवार, 15 मार्च, 1976/25 फाल्गुन, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LVIII, No. 6, Monday, March 15, 1976/Phalguna 25, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 58 में अंक 1 से 10 तक है
Vol. LVIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price . Two Rupees

[यह लोकसभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी के अनुवाद हैं]

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

952 LS—1

विषय सूची/CONTENT

अंक 6, सोमवार, 15 मार्च, 1976/25 फाल्गुन, 1897 (शक)

No. 6, Monday, March 15, 1976/Phalguna 25, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES/पृष्ठ
प्रश्नों के लिये मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	
*तारांकित प्रश्न संख्या 101, 103, 106, 109, 116, 112, 114, 115, 119 और 120	*Starred Question Nos. 101, 103, 106, 109, 116, 112, 114, 115, 119 and 120 . .	1—19
प्रश्नों के लिये लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 102, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 113, 117 और 118	Starred Question Nos. 102, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 113, 117 and 118 . .	20—25
अतारांकित प्रश्न संख्या 567 से 645 और 647 से 679	Unstarred Question Nos. 567 to 645 and 647 to 679.	25—92
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	93—96
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . . .	96—97
विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Foreign Contribution (Regulation) Bill—As passed by Rajya Sabha . . .	97
बजट प्रस्तुत किये जाने के लिये सभा को स्थगित किये जाने के बारे में घोषणा	Announcement Re. Adjournment of House for the Budget.	97
रेल बजट, 1976-77-सामान्य चर्चा—	Railway Budget, 1976-77—General Discussion—	
श्री के० हनुमन्तैया	Shri K. Hanumanthaiya . . .	97—99
श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा	Shri Satyendra Narayan Sinha . .	99—100
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary	100—01
श्री था० किरुत्तिनन	Shri Tha Kiruttinan	101—02
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami . .	102—03
श्री के० रामकृष्ण रेड्डी	Shri K. Ramakrishna Reddy . .	103—04

*किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was acutally asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES/पृष्ठ
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty . . .	104—05
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे	Shri Krishna Chandra Pandey . .	106
श्री आर० एन० बर्मन	Shri R.N. Barman	106—07
श्री फ्रेंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	107—08
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi . . .	108—09
श्री आर० आर० शर्मा	Shri R. R. Sharma . . .	109
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi . . .	109
श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट	Shri Narendra Singh Bisht .	109—10
डा० कैलास	Dr. Kailas	110
सामान्य बजट, 1976–77—प्रस्तुत—	General Budget, 1976-77—Presented—	
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	110—37
वित्त विधेयक, 1976—पुरःस्थापित—	Finance Bill, 1976—Introduced—	
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam	137

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 15 मार्च, 1976/25 फाल्गुन, 1897 (शक)

Monday, March 15, 1976/Phalguna 25, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नेपाली सिंचाई दल द्वारा भारत की यात्रा

\+

*101. **श्री वसन्त साठे :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के सिंचाई मंत्रालय के एक उच्च शक्ति प्राप्त दल ने फरवरी, 1976 में नई दिल्ली का दौरा किया था ;

(ख) क्या इससे भारतीय अधिकारियों को नेपाल में भारतीय सहायता प्राप्त कुछ नदी परियोजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब के कारणों का पता लगाने में मदद मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग). फरवरी, 1976 के तीसरे सप्ताह में महामहिम नेपाल सरकार के चार अधिकारियों के एक दल ने नई दिल्ली का दौरा किया था और इसने निम्नलिखित के संबंध में भारत सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था :—

1. नेपाल की पश्चिमी गंडक नहर का अभिकल्प और निर्माण ।
2. नेपाल की पूर्वी गंडक नहर का पूर्ण होना तथा हस्तान्तरण किया जाना ।

3. निम्नलिखित के संबंध में महामहिम नेपाल सरकार द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलनों का पुनरीक्षण :—

(i) चन्द्रा नहर का नवीकरण और विस्तार;

(ii) पम्प नहर; और

(iii) पश्चिमी कोसी नहर की वितरण प्रणाली ।

पश्चिमी गण्डक नहर के जल निस्सार के अभिकल्प पर अंतिम निर्णय लिया गया था और इसके चरणबद्ध निर्माण के कार्यक्रम पर सहमति हो गई थी बशर्ते महामहिम नेपाल सरकार द्वारा समय पर भूमि हस्तान्तरण की जाये और उनके द्वारा इसके निर्माण को शीघ्र करने के लिए कुछ निश्चित सुविधाएं दी जायें। जहां तक पूर्वी गंडक नहर का संबंध है मुख्य नियामक को सौंपने के साथ साथ नहर और सैक्शनों में वितरण पद्धति पर भी अन्तिम निर्णय ले लिया गया था। जहां तक उपर्युक्त (3) में उल्लिखित कार्यों के लिए प्राक्कलनों के पुनरीक्षण का संबंध है यह निर्णय लिया गया था कि महामहिम नेपाल सरकार द्वारा अतिरिक्त आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे तथा भारत के अधिकारियों के एक दल द्वारा प्राक्कलनों में उपयुक्त ढंग से संशोधन करने के दृष्टिकोण से परियोजना क्षेत्र का दौरा किया जायेगा ।

श्री वसन्त साठे : सर्वप्रथम मैं भारत और नेपाल के नेताओं को संयुक्त ऊर्जा सहयोग के नये युग में प्रवेश पर बधाई देता हूं। तथापि मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह जल और विद्युत को एक केन्द्रीय विषय बनाने पर गम्भीरता से विचार करेंगे ताकि जल और ऊर्जा संसाधनों से लाभ उठाने के पारस्परिक लाभदायक प्रयास को शीघ्रता से लागू किया जा सके ? विलम्ब के कारणों को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ? क्या नेपाल के माननीय प्रधान मंत्री के भारत दौरे के दौरान उन पर चर्चा की जायेगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस संयुक्त सहयोग के लिये सरकार का क्या विशिष्ट कार्यक्रम है ?

श्री केदार नाथ सिंह : प्रश्न बहुत ही सीमित है परन्तु अनुपूरक प्रश्न व्यापक है । माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न यह है कि क्या नेपाल की टीम ने दौरा किया और किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और उनका क्या हल निकला और उस बैठक का परिणाम क्या रहा ? मैं सभा को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के उच्च अधिकारियों का एक दल इस महीने की 20 तारीख को नेपाल का दौरा करेगा और यह दल हिमालय की नदियों सम्बन्धी मामलों और पन-बिजली जल संसाधनों बाढ़-नियंत्रण और सिंचाई उपायों की विस्तार से जांच करेगा। नेपाल के प्रधान मंत्री के भारत आने पर हम इन मामलों पर उनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे।

श्री वसन्त साठे : मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर कई परियोजनाओं पर लागू होता है। क्या मैं जान सकता हूं कि संयुक्त कार्य के लिए कौन से मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं ? हमारे देश में कई एक संगठन हैं जबकि नेपाल ने केवल एक विद्युत और ऊर्जा प्राधिकरण बनाया है । अधिक निकाय होने के कारण एक ही कार्य बार-बार होता है । क्या भारत में ऐसे कार्यों के लिए केवल एक ही संगठन बनाये जाने का विचार है ?

श्री केदार नाथ सिंह : यह एक अच्छा सुझाव है ।

Shri Mohammad Jamilurrehman : All the Indian rivers such as Kosi, Gandak, Mahanadi Kankai, etc. come from Nepal and floods that occurred in them cause damage not only

to India but also to Nepal. I want to know whether Government have any scheme or whether any such schemes have been suggested in the talks last held under which floods are controlled, power is generated and dams are constructed so that not only the Indian farmers but Nepalese farmers are also benefited ; and New industries are set up in both the countries and friend ship between both the countries continues to grow ?

Shri Kedar Nath Singh : As I have stated in the House that an Indian delegation comprising of technologists and engineers is visiting Nepal on 20th. We will try to discuss various matters and hope for good results.

Shri Narsingh Narain Pandey : Some time back while answering a question the hon. Minister had stated that the Jalkundi Project on the Rapti River is being constructed some what down stream and the Government of Nepal have given its approval to that. I would like to know whether talks will be held with the Nepalese Prime Minister and the technical team accompanying him in regard to taking up survey implementation and construction work of the projects on which agreements have already been reached ?

Shri Kedar Nath Singh : I have already stated that the Jalkundi Project was from Government of India but the Government of Nepal have planned to construct "Baluhang" dam on it. The Government of Nepal has been made agreeable for the joint investigation.

श्री विश्वनाथ राय : क्या यह सच है कि नेपाल में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं में प्रशंसात्मक परिवर्तन हुआ है ।

Shri Kedar Nath Singh : That is way the exchange of teams has started.

रावी-व्यास जल का बटवारा

\+

*103. **श्री भान सिंह भौरा :**

सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और हरियाणा के बीच रावी-व्यास जल के बटवारे से संबंधित विवाद हल हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) पंजाब और हरियाणा के बीच व्यास परियोजना के परिणामस्वरूप उपलब्ध जल के बटवारे के संबंध में प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भान सिंह भौरा : माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर निराशाजनक है। समाचार-पत्रों में बताया गया है :

> "पता चला है कि केन्द्रीय सरकार ने संयुक्त पंजाब के हिस्से के 72 लाख एकड़ फुट जल में से 70 लाख एकड़ फुट जल को 1967 के सरकार के निर्णयानुसार हरियाणा और पंजाब के बीच आधा-आधा बांटने का निर्णय किया है । यह भी पता चला है कि उस निर्णय के अन्तर्गत दिल्ली को 0.25 मिलियन एकड़ फुट जल मिलेगा ।"

संसद् को इस सम्बन्ध में अन्धेरे में क्यों रखा जा रहा है ?

श्री केदार नाथ सिंह : माननीय सदस्य को प्रेस के समाचार पर विश्वास नहीं करना चाहिये। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि यह विचाराधीन है और यथासम्भव शीघ्र निर्णय लिया जायेगा **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को या तो इसकी पुष्टि करनी होगी या इससे इनकार करना होगा ।

श्री मानसिंह भौरा : क्या सरकार को इस बात का पता है कि इस निर्णय के बारे में पंजाब में असन्तोष है और पंजाब सरकार ने स्वयं यह व्यक्त किया है ? यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया जाने वाला है ?

श्री केदार नाथ सिंह : इस प्रश्न पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है और यह सरकार के विचाराधीन है अतः मैं कुछ नहीं बता सकता ।

श्री मानसिंह भौरा : मेरा प्रश्न यह है कि क्या पंजाब सरकार ने असन्तोष व्यक्त किया है या नहीं ।. इसका उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको पंजाब सरकार के असन्तोष के बारे में जानकारी है ?

श्री केदार नाथ सिंह : यह राज्य का मामला है ; हमारा इससे सम्बन्ध नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि माननीय मंत्री ने यह उत्तर देकर समूचे मामले को टाल दिया है कि ब्यास परियोजना के पूरा होने के बाद ही जल के बंटवारे का प्रश्न पैदा होगा । प्रश्न उस जल के बंटवारे से सम्बन्धित है जो पाकिस्तान को जल रोकने के बाद ब्यास और रावी से बचता है और जिसका उपयोग किया जा सकता है । क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि यह जल पाकिस्तान को कब रोका गया है ? उस जल का उपयोग कौन कर रहा है और इस अवधि में कौन लाभान्वित हुआ है और इस जल के बंटवारे में हो रहे विलम्ब में कौन रुचि रखता है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जल के बटवारे क बारे में निर्णय के बिना नहरों का निर्माण कैसे किया जा सकता है ? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि क्या राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत सभी आस्तियां और दायित्व पंजाब और हरियाणा में 60:40 के अनुपात में बांटे गये हैं और क्या सरकार पंजाब की नदियों से उपलब्ध जल का भी उसी अनुपात में हरियाणा के भाग पर विचार कर ही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री केदार नाथ सिंह : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि सभी सम्बन्धित राज्यों का पूरा ध्यान रखा जायेगा । चूंकि समूचा मामला सरकार के विचाराधीन है अतः मैं इन विशेष राज्यों के भाग के बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : पंजाब कई वर्षों से जल का उपयोग कर रहा है । पुनर्गठन के समय हरियाणा में बहुत कम नहरें थीं । क्या यह तथ्य नहीं है ?

श्री केदार नाथ सिंह : केन्द्रीय सरकार इन सभी पहलुओं पर विचार कर रही है और यह कहना कठिन है कि कौन जल उपयोग कर रहा है और किसे अधिक मिल रहा है । सभी सम्बन्धित राज्यों का उचित ध्यान रखा जायेगा ।

Shri Mani Ram Lod : Mr. Rao has raised certain points. Firstly, who is utilising the waters of Beas and Ravi; secondly, who is responsible for the delay; and thirdly; on what grounds Government have held up this decision.

I would like to know from the hon. Minister whether the following points will be considered while taking a decision (1) Haryana will be given bulk of the water and (2) the Punjab's share of water from Ravi and Beas will be given to Haryana's arid area of Gurgaon and Jhajhar which was arid area of Punjab previously and whether these points have been discussed in the committees formed so far.

Shri Kedar Nath Singh : The whole Beas Project has not been cleared so far. A joint meeting of both the States was held to discuss all these points but no decision has been taken. The Government are considering all these things such as which area should get more waters and which area should get Beas waters. If the hon.Members cooperate, the matter will be decided soon.

कृषि के लिए स्वयंसेवी दल

106. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 फरवरी, 1976 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित विश्व कृषि विशेषज्ञ के इस आशय के मत की ओर दिलाया गया है कि ऐसी प्रौद्योगिकी लागू करने की बजाय जो भारत में किसानों द्वारा अपनाई नहीं जा सकती, सर्वोत्तम तरीका यही होगा कि राज्यों में जहां किसानों द्वारा गत दो वर्षों में प्रति एकड़ अपनी उपज बढ़ाई गई थी वहां के कृषि समुदाय का एक स्वयंसेवी दल बनाकर उसकी सहायता से अपनी प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाये;

(ख) यदि हां, तो स्वयंसेवी दल बनाने के बारे में सरकार के क्या विचार हैं ; और

(ग) क्या विस्तार कार्य का पूर्ण पुनरीक्षण करने का विचार है और ऐसा कब तक किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) दिनांक 17 फरवरी, 1976 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित विश्व-बैंक के कृषि विशेषज्ञ के विचारों को नोट कर लिया गया है और सरकार इन पर समुचित रूप से विचार करेगी।

(ग) विभिन्न स्तरों पर विस्तार कार्य में कमियों का पता लगाने के लिये विस्तार कार्य का पुनरीक्षण किया जा रहा है । यह अनुभव किया गया है कि विशेषकर वर्तमान विस्तार मशीनरी और सामान्य रूप से कृषि प्रशासन, नई तकनालोजी सम्बन्धी विकासों पर आधारित अधिक उत्पादन के प्रयासों की मांग पूरी करने के लिये अपर्याप्त हैं। राज्यो में विभिन्न स्तरों पर कृषि सम्बन्धी अवस्थापना को मजबूत बनाकर इन कमियों को पूरा करने और कृषि विस्तार कार्यक्रमों के कारगर क्रियान्वयन के लिये राज्यों को कुछ और अधिक सुविधा देने का विचार है । विस्तार-कार्य मजबूत बनाने की योजना के संबंध में योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है और जैसे ही इसे अंतिम रूप दिया जायेगा, राज्य सरकारों के साथ विचार-वमिर्श करके क्रियान्वित करने के लिये कदम उठाये जायेंगे ।

श्री नरेन्द्र कुमार साँघी : मुझे प्रसन्नता है कि इस रिपोर्ट पर सरकार का ध्यान गया है । देश में कुछ राज्यों में प्रति एकड़ उपज कुछ कम है इस तथ्य की पृष्ठ भूमि में क्या मैं सरकार की उस विशेष सुझाव के प्रति प्रतिक्रिया जान सकता हूं कि जिन राज्यों में प्रति एकड़ उपज अधिक है उनसे कुछ स्वयंसेवी संगठन बुलायें जायें ? कम उत्पादन वाले राज्यों को उनकी तकनीक विकसित करने के लिए उनकी सहायता करने हेतु ऐसे स्वयसेवी संगठन बुलाने का सरकार का विचार है ? क्या आपके पास इस बारे में योजना आयोग के साथ कोई विशिष्ट प्रस्ताव है ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : जहां सभी स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से कृषि उत्पादन वांछनीय है, वहां यह एक ऐसा विषय है जिसे सारी जनता के सहयोग के बिना सफल बनाना कठिन है। सरकार को पता है कि कृषि के बारे में विस्तार सेवाओं की विशेष भूमिका तथा उत्तरदायित्व है और उन्हें यह दायित्व निभाने के योग्य बनाया जाये। यही हमारा विचार है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : राज्यों में चावल के गिरते उत्पादन को बढ़ाने के लिये योजना आयोग के समक्ष सरकार के क्या विशिष्ट प्रस्ताव हैं? योजना आयोग के समक्ष वे कौन सी विशिष्ट बातें हैं जिन पर सरकार को उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा है?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : योजना आयोग का प्रस्ताव किसी एक फ़सल के बारे में नहीं है बल्कि यह तो समूचे देश में लागू करने के लिये है। सौभाग्य से हमारे देश के कई भागों में चावल की प्रति एकड़ पैदावार आशानुरूप हुई है। कृषि आर्थिक लाभ या खेती के आधुनिक ढंग को पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों और राजस्थान के गंगा नगर क्षेत्र में भी अपनाया गया है। इस तरह चावल की फसल अच्छी हुई है लेकिन हमारी समस्या बहुत बड़ी है। खेती के आधुनिक ढंग सारे देश में अपनाये जाने हैं। लेकिन अभी भी हम लाखों किसानों को लाभ नहीं पहुंचा सके हैं और अब हमारा विचार उन सभी किसानों को लाभान्वित करना है जो अभी तक बचे हुए हैं।

Shri Ram Sahai Pandey : Sir, An Institute has been set up in Manila to carry on research for increasing yield of paddy crop through hybrid seeds. A laboratory has also been established for the purpose. May I know whether we are also making use of their technique and if not, the reasons therefor ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : यह सत्य है कि अन्तराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। परन्तु सदस्य महोदय का जानना चाहिये कि चावल के क्षेत्र में हमारे यहां काफ़ी प्रभावी अनुसंधान कार्य हो रहा है वास्तविकता तो यह है कि हम संसार के उन कुछ देशों में से हैं जहां चावल अनुसंधान कार्य बहुत प्रगति कर चुका है। वैसे हम ने उस संस्थान से भी सम्पर्क रखा हुआ है और यदि वहां कोई प्रगति होती है तो हम निश्चय ही लाभ उठायेंगे।

श्री बी० के० दास चौधरी : इस तथ्य को देखते हुए कि देश के कुछ भागों में अन्य भागों की अपेक्षा कम उपज होती है क्या सरकार ने इस का कारण जानने के लिये कोई विशेष अध्ययन अथवा अनुसंधान किया है? क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि पैदावार में इस कमी का कारण वहां कृषि उपकरणों तथा खाद, अच्छे बीज आदि का न होना है। यदि हां, तो क्या सरकार आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने के लिये कोई पग उठा रही है। ताकि वहां पैदावार बढ़ सके?

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : भारत सरकार कृषि तथा चावल की समस्याओं को लगभग पूरी तरह समझती है। मुझे खेद है कि सदस्य महोदय जिस क्षेत्र से चुन कर आये हैं वहां चावल की पैदावर वांछनीय स्तर तक नहीं हो रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी फ़सल अच्छी होती है। इस से स्पष्ट है कि यदि सभी सुविधाएं उपलब्ध

कराई जायें और सिंचाई के लिये पानी मिले तो चावल की उपज बढ़ाई जा सकती है । हम इन सब कठिनाईयों का दूर करने की प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री पी० आर० शिनाय : भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रकाशित सर्वेक्षण के अनुसार यद्यपि चावल की फसल के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि हुई है लेकिन उत्पादन उतना नहीं बढ़ा है। यद्यपि हमारे देश में बढ़या अनुसंधान कार्य हो रहा है। फिर भी उत्पादन न बढ़ने के क्या कारण हैं ?

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : यद्यपि देश में चावल की औसत उपज आशानुरूप नहीं है तथापि हाल ही में उत्पादन सम्बन्धी उत्साहजनक आंकडे प्राप्त हुए हैं। कठिनाई यह है कि कुछ असंतुलन है। कुछ क्षेत्रों में उत्पादन अन्तराष्ट्रीय स्तर तक होता है और कुछ में बहुत कम है। परन्तु तथ्य यह है कि चावल की फसल ऐसी फसल है जो गेहूं के बाद दूसरे नम्बर पर है और जिसका उत्पादन बढ़ रहा है। स्थिति इतनी खराब नहीं है।

World Bank Assistance For Irrigation Facilities

*†109. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the World Bank has undertaken any project for providing irrigation facilities to the neglected and backward areas of the country by the end of the year, 1976 ;

(b) number of new means of irrigation provided thereunder ; and

(c) benefits accrued, particularly to the eastern districts of U.P. ?

The Deputy Minister In The Ministry Of Agriculture & Irrigation (Shri Kidar Nath Sihgh) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The World Bank is at present providing credit assistance for Pochampad Project in Andhra Pradesh which serve the backward districts of Nizamabad and Karimnagar in the Telegana region in the State to provide irrigation facilities to an area of 1 lakh ha. and the Kadana Project in Gujarat which besides providing irrigation facilities in Kaira District would also serve 13.500 hectares in Panchmahal District, a chronically drought affected and backward region of the State.

An irrigation potential of 60,000 ha. in Pochampad and 5,000 ha. in Panchmahal District under Kadana is likely to be created by the end of this year.

The World Bank credit project for U.P. which came into operation in June, 1973 provides for financing on-farm investment such as construction of masonry wells or dugwells, shallow tubewells, medium depth tubewells, installation of electric and diesel pumpsets. The Project covers 14 Districts of U.P, including eastern Districts of Ballia, Azamgarh and Ghazipur. The total cost of the project is 72.5 million Dollars (Rs. 54.3 crores) with World Bank assistance would be of the order of 38 million Dollars (Rs. 28.5 crores). The World Bank Teams are visiting several irrigation projects in our country in U.P., Orissa, Maharashtra etc. with a view to assess their suitability for credit assistance.

(c) The Land Development banks and other commercial Banks which are the financing agencies for the World Bank credit project for U.P. have disbursed Rs. 15.5 crores up to 30th June, 1975. The physical targets envisaged are 10,000 masonry wells, 20,000 shallow tubewells and 20,000 medium depth tubewells.

The Sarda Sahayak Project of U.P. under consideration of the World Bank will provide irrigation facilities to an area of about 16 lakh ha. in the Districts of Raebareilli, Pratapgarh, Allahabad, Barabanki, Sultanpur, Faizabad, Jaunpur and Azamgarh. Irrigation potential of about 3.50 lakh ha. is likely to be created under this project by the end of the current year.

Shri Chandrika Prasad : Sir, the world Bank's aim of assisting the poor farmer of backward areas has not been achieved because their rate of interest was 9½% and from April, 1975 it has been increased to 10% whereas the Scheduled banks are advancing loans to the marginal farmers at the rate of 4 per cent. Will the Government or the world Bank consider advancing loans on 4½ per cent ?

So far as part (b) of the question is concerned, whether Government are aware that in backward areas, where banks are advancing loans, the marginal farmers are becoming small farmers. So the hon. Minister should consider of giving subsidy to those farmers who possess 10 acres of land.

Shri Kedar Nath Singh : The world Bank advances interest free loan but 3/4 per cent amount is added on account of service charges. This loan is to be repaid in 50 years and 10 years are treated as grace period.

Shri Chandrika Prasad : My question was different. However I have another quarry. The world Bank advances loans to marginal farmers through lead banks in each district. But lead banks do not have any agency and so farmers are unable to obtain loans at all places. I suggest that all the money should be passed on to the banks or their branches in the areas where loans are being advanced.

Mr. Speaker. This question relates to the Finance Ministry. You should refer to it when their turn comes.

Shri Jagannath Mishra : What is the criteria for selecting the backward areas for which the world Bank advances loans ?

Shri Kedar Nath Singh : For this purpose a team of the world Bank visits diffierent areas to study socio-economic problems, the nature of backwardness and feasibility of locating the projects, the outcome thereof etc. Thereafter the matter is decided.

Shri Nawal Kishore Sinha : In order to complete the irrigation works speedily loans are being advanced in the whole country but he has mentioned only few places. There are certain problems due to which the targets are not being achieved. I want to know whether Government are considering to review the matter with a view to achieve the targets.

Shri Kedar Nath Singh : The Government and the world Bank team have agreed to set up a special cell in the Central Water and Power Commission for checking delay in the implementation of schemes.

श्री कार्तिक उरांव : प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि विश्व बैंक के दल देश के कई भागों जैसे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि का दौरा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस आदि में क्या बिहार शामिल है विशेषकर क्या छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र को शामिल किया गया है ? खनिज सम्पदा की दृष्टि से यह क्षेत्र देश का सब से समृद्ध क्षेत्र है और देश के खनिज भंडार का एक तिहाई भाग यहीं उपलब्ध है। यहां 2 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि में सिंचाई सुविधायें हैं फ़िर भी यह सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। बिहार में ऐसी कौन कौन सी परियोजनायें हैं जिन्हें विश्व बैंक सहायता दे रहा है ? इसके लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं ?

श्री केदार नाथ सिंह : मैं पहले ही बता चुका हूं कि बिहार की गंडक परियोजना के लिये विश्व बैंक सहायता दे रहा है। जिन क्षेत्रों की सदस्य महोदय बात कर रहे हैं उनके बारे में बिहार सरकार ने अभी तक नहीं कहा है।

श्री था० किरूतिनन : महोदय पूर्ववर्ति तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की थी कि वैगाई नदी पर जल विनियमित करने का यंत्र (रेगुलेटर) लगाने और पैरियार नदी प्रणाली का

आधुनिकीकरण करने की लिये विश्व बैंक सहमत हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात ठीक है ?

यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या सरकार के पास रामनद जिले की जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि इस परियोजना से उन के हितों पर प्रभाव पड़ेगा ?

श्री केदार नाथ सिंह : माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित परियोजना का हमें पता नहीं है और हमें इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

खाद्य निगम द्वारा अनाज के भण्डार के लिये नये तरीके का विकास

***116. श्री पी० गंगादेव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य निगम ने अनाज के भण्डार के लिये नये और सस्ते तरीके का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, ता क्या नया तरीका वर्तमान, 'कैपस्टोरेज' प्रणाली में, जिसका निगम हाल ही के वर्षों में प्रयोग कर रहा था, सुधार मात्र है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) नया डिजाइन 20'×30' आकार की प्लिंथ का है जिस पर ईंटों के पक्के पिल्लर होंगे, उनपर लकड़ी के केट सीधे रखे जायेंगे। प्रत्येक प्लिंथ की क्षमता 150 मीटरी टन है और यह अधिक किफायती है तथा इसके बनाने में कम समय लगता है।

श्री पी० गंगादेव : अनाज के जमा करने के लिये नये उपायों से निस्संदेह अनाज का नष्ट होना बन्द हो जायेगा। परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाण्डागारण निगम विशेष रूप से खाद्य मंत्रालय में स्थापित है और उसके तकनीकी विशेषज्ञ देश भर के भाण्डागारों की देखभाल करते है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या निगम के लिये यह आवश्यक है कि भण्डार करने की अपनी व्यवस्था रखे, तथा विशेष रूप से क्या कारण थे जिन्होंने सरकार को भण्डागारण निगम की अवहेलना करते हुए यह कार्यवाही करनी पड़ी, जबकि दोनों ही निगम उन के मंत्रालय के अधीन हैं ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : पिछले सप्ताह भाण्डागारण निगम संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते समय स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी। खाद्य निगम केवल खाद्यान्नों से संबंध रखता है जबकि भाण्डागारण निगम कृषि, गैर-कृषि तथा आयातित सभी तरह की वस्तुओं से सम्बन्धित है। इसलिये दोनों के कार्य पृथक-पृथक हैं और अनाजों के भंडार का कार्य पूर्णतः विशिष्ट विषय है और क्षति रोकने की दृष्टि से इसका बहुत अधिक महत्व है। भारतीय खाद्य निगम ने अपने को उच्च विशिष्ट संगठन के रूप में विकसित किया है जो विशेष रूप से अनाज के भाण्डागारण का कार्य करता है। इस प्रकार इन संगठनों में कोई दोहरापन नहीं है। भाण्डागारण पर एक केन्द्रीय समिति है जो भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के कार्यों का समन्वय करती है।

श्री पी० गंगादेव : मैं जानना चाहता हूँ कि भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारीवृन्द का कितने प्रतिशत भण्डागारण कार्यों में तथा कितने प्रतिशत अनाज वसूली कार्य पर लगा हुआ है ? मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम और भण्डागारण निगम के वर्तमान तुलनात्मक भण्डागारण व्यय क्या हैं ?

श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना अपेक्षित है। यह सरकारी क्षेत्र के निगम हैं तथा इनमें छिपाने की कोई बात नहीं है।

भूमि की उर्वरता

*112. **श्री धामनकर :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जोती गई भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए यदि कोई कदम उठाए गए हैं तो क्या हैं;

(ख) क्या कृषि भूमि की आर्थिक उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए भी कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए कोई आर्थिक आय प्रणाली अपनाई गई है ताकि किसानों को अधिकतम लाभ हो सके ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क), (ख) और (ग) इन प्रश्नों से सम्बन्धित एक बयान पटल पर रखा जाता है।

विवरण

इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं। सघन फसल उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें मिट्टी की उर्वरता को कायम रखते हुए खेती की उपज बढ़ाने के उद्देश्य से वैज्ञानिक सस्य-क्रियाओं और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। उचित योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरक के सन्तुलित उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। अधिक उत्पादन तथा मिट्टी की उर्वरता को कायम रखने के लिए उपयुक्त फसल चक्रों की सिफारिश की गयी है। इनमें दलहनी फसलों तथा जहां सम्भव हो, वहां हरी खाद वाली फसलों को भी शामिल किया गया है। पहली योजना की अवधि से ही सारे देश में बड़े पैमाने पर मिट्टी संरक्षण कार्यक्रम चलाये गये हैं जिससे मिट्टी का भौतिक ह्रास कम हो और उसकी उर्वरता का संरक्षण हो। चालू योजना-काल में राष्ट्रीय मिट्टी संरक्षण कार्यक्रमों के लिए लगभग 278.28 करोड़ रुपयों की राशि निर्धारित की गयी हैं। खरीफ और रबी अभियानों के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित किया जाता है ताकि अधिक उपज प्राप्त करने के लिए मिट्टी की उर्वरता का कुशल प्रबन्ध सुनिश्चित करने वाली वैज्ञानिक कृषि क्रियाओं के उपयोग को बढ़ावा मिल सके। क्षारीय अथवा अम्लीय मिट्टियों में मिट्टी-सुधारकों का उपयोग करने के लिए 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गयी है। ताकि ऐसी समस्या वाली मिट्टियों को पौध-पोषक अधिक मिल सकें। देश में उर्वरकों और खादों (जिनमें कम्पोस्ट खाद भी शामिल है) की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए भी उपाय किये गये हैं। उत्पादन बढ़ाने और भूमि के उपयोग में सुधार करने के विकास कार्यक्रमों को सहायता देने के लिए राज्यों के 21 कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि

अनुसन्धान परिषद् तथा इसके अधीनस्थ कृषि अनुसंधान संस्थानों एवं अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रायोजनाओं की राष्ट्रीय श्रृंखला के द्वारा उपयुक्त कृषि अनुसन्धान योजनाएं चलायी जा रही हैं। चौथी योजना की शुरूआत से विशेषत: नयी प्रौद्योगिकी विकसित करने और मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने के लिए चार अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रायोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया है। मिट्टी की उर्वरता पर किये जाने वाले अनुसन्धान अन्वेषणों को बढ़ावा देने के लिए ये प्रायोजनाएं देश के 38 अनुसन्धान केन्द्रों में चलायी जा रही हैं। 5वीं योजना में इनके लिए 154 लाख रुपयों की राशि निर्धारित की गयी है।

कृषि भूमि की आर्थिक उपयोगिता को बढ़ाने के लिए कदम उठाये गये हैं। सिंचाई वाली भूमि, विशेष रूप से जिन क्षेत्रों की नहरों से सिंचाई होती है, उनके लिए 29 क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत भूमि विकास उपयुक्त सिंचाई व्यवस्था तथा सघन फसल कार्यक्रम के लिए 40 सिंचाई प्रायोजनाएं हैं। इनका उद्देश्य प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल से खेती की अधिकतम उपज लेना है। देशभर में विभिन्न कपास क्षेत्रों में लगभग 29 जल प्रबन्ध अग्रिम प्रायोजनाएं पहले ही चालू कर दी गयी हैं ताकि कमान क्षेत्रों में भूमि की आर्थिक उपयोगिता का प्रदर्शन किया जा सके और इसी तरह के कुछ अन्य अग्रिम प्रायोजनाएं, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, मंजूर किए जाने की संभावना है। चौथी-योजना के बाद इसी प्रकार बारानी खेती के लिए 24समन्वित बारानी अग्रिम विकास प्रायोजनाएं तथा अग्रिम अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाएं, 23 अनुसंधान केन्द्रों सहित, चालू की गई हैं। इनका उद्देश्य बारानी भूमि की आर्थिक उपयोगिता का सुधार करना तथा बारानी भूमि की उपज को बराबर कायम रखना है। सघन अनुसंधान के परिणामस्वरूप केन्द्रीय मिट्टी लवणीयता अनुसंधान संस्थान करनाल (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) में सिन्धु-गंगा के मैदानों में बहुत बड़े भू-भाग में फैली हुई, लवणीयता से प्रभावित, ऊसर भूमि की आर्थिक उपयोगिता को बढ़ाने और उसका सुधार करने के लिए भूमि सुधार प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। आशा की जाती है कि लगभग 1 करोड़ हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़ी, मध्यम तथा छोटी सिंचाई प्रायोजनाओं के द्वारा सिंचाई के अन्तर्गत लायी जायेगी (बड़ी और मध्यम के अन्तर्गत 5 लाख हैक्टेयर और छोटी योजना के अन्तर्गत 5 लाख हैक्टेयर)। कृषि भूमि की आर्थिक उपयोगिता को सुधारने के लिए बतौर उदाहरण के दिये गये उपायों के अंतर्गत ये कुछ बड़े कार्यक्रम हैं। देशभर में लगातार कृषि अनुसंधानों के परिणामस्वरूप कुछ बड़े कारगर फसल चक्र खोजे गये हैं जिनमें कम समय में तैयार होने वाली और अधिक उपज देने वाली किस्में हैं। किसानों के खेतों में राष्ट्रीय प्रदर्शन के अन्तर्गत प्रदर्शन किये गये हैं और देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए इन फसल चक्रों की सिफारिश की गयी है।

इन फसल चक्रों का राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रचार करने के लिये उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बुलेटिन "क्रोपिंग पेटर्नस इन इंडिया" (भारत में फसल प्रणाली) में दिया गया है। प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग ऐसे उपयुक्त प्रकाशन और विस्तार बुलेटिन निकालते हैं जिनमें राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों, बारानी और सिंचाई वाली दोनों ही स्थितियों में, उपयुक्त फसल चक्रों का सुझाव दिया जाता है।

विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए सामान्य फसल प्रणालियां, प्रायः उन स्थानों के प्रमुख अन्न की फसलों को लेकर तैयार की जाती हैं और ये प्रणालियां प्रायः धान या गेहूं या मोटे अनाज

पर आधारित होती हैं। सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए कुछ कारगर फसल प्रणालियां हैं : धान-गेहूं-मूंग, धान-दलहनी फसल / तिलहनी फसल, हरी खाद की फसल-धान-दलहनी फसल/तिलहनी फसल, मक्का/ज्वार/बाजरा-गेहूं, मक्का-आलू-गेहूं, मक्का/ज्वार/बाजरा-गहूं/चना/सरसों। बारानी खेती में, दुफसली खेती जिसमें कि जल्दी तैयार होने वाली किस्मों का उपयोग किया जाता है, लाभदायक है, बशर्ते कि बारिश समय के अनुकूल हो लेकिन वर्षा की प्रतिकूल स्थितियों में केवल एक ही फसल उगायी जाती है। बारानी स्थितियों में दुफसली पद्धति जैसे धान-दलहनी फसल/तिलहनी फसल, या मक्का/ज्वार/बाजरा-दलहनी फसल/तिलहनी फसल/गेहूं/जौ अपनायी जाती है। बारानी स्थितियों में एक फसल के अन्तर्गत अनाज, तिलहन, दलहनी फसल या कपास में से केवल एक ही फसल उगायी जाती है। प्रत्येक राज्य में कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग, उपलब्ध सिंचाई की सुविधा के अनुसार, स्थानीय कृषि जलवायु या बारानी क्षेत्रों में वर्षा के समय आदि का ध्यान रखते हुए सबसे अच्छे कारगर फसल कार्यक्रमों की सिफारिश करते हैं।

श्री धामनकर : विवरण विस्तृत और ज्ञानवर्धक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या फ़ास्फ़ेट, कम्पोस्ट और अन्य प्राकृतिक खादों को बढ़ावा देने के लिये सरकार की कोई योजना है? अधिक रासायनिक उर्वरकों को उपयोग में लाने की प्रवृति चल गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्राकृतिक उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग को सहायता देने की सरकार की कोई योजना है।

श्री शाहनवाज खां : प्राकृतिक खादों के उपयोग को प्रोत्साहन देना सरकार की नीति है। राज्य सरकारें कम्पोस्ट खादों के बड़ी मात्रा में तैयार किये जाने को प्रोत्साहन देती हैं। हम भी किसानों को हरे खाद का उपयोग करने का परामर्श देते रहे हैं। हम ब्लाकों तथा विस्तार ऐजेंसियों के माध्यम से किसानों को तकनीकी परामर्श देते रहे हैं कि नाइट्रोजन खाद का अधिक उपयोग न करें। उसके स्थान पर फ़ास्फ़ेट खादों का उपयोग भी आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप जैव खाद के उत्पादन में सहायता दे रहे हैं ?

श्री शाहनवाज खां : हम इस प्रकार के किन्हीं कार्यों की सहायता नहीं करते हैं। परन्तु जहां धरती खारी है उसके सुधार करने के कार्य पर व्यय का 50 प्रतिशत भाग हम देते हैं।

श्री धामनकर : खारी भूमि के सुधार कार्यों में करनाल स्थित राष्ट्रीय अनुसन्धान संस्था भारी योगदान दे रही है। मैं जानना चाहता हूं कि 'खार' जमीनें, जो कि वास्तव में खारी नहीं हैं, जो कि खाड़ियों के किनारे पर हैं और जिनमें पानी बहता है तथा भूमि की उर्वरता को क्षति पहुंचती है विशेष रूप से महाराष्ट्र के तीन जिलों अर्थात थाना, कोलाबा और रत्नगिरि जहां खाड़ों का पानी घुस आता है तथा भूमि की उर्वरता को क्षति पहुंचती है तथा बांध बह जाते हैं के बारे में क्या किया जा रहा है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय स्तर पर कोई अनुसन्धान संस्था है जो कि इन 'खार' भूमियों की जांच करे और उनकी उर्वरता तथा उत्पादकता की संवृद्धि करे ?

श्री शाहनवाज खां : बीहड़ भूमि के सुधार के लिये हमारा एक संगठन है। तेज गति से चलने वाला जल भूमि को काट देता है जिसे बीहड़ बन जाते हैं। बीहड़ भूमि के सुधार का संगठन जनता को बचाव के उपाय बताता है। भूमि संरक्षण के इन कार्यों को राज्य सरकार सहायता देती है। यह कार्य देश में विस्तृत एवं व्यापक रीति से किया जाता है।

श्री बी० बी० नायक : 'खार' भूमि भिन्न होती हैं। यह समुद्र तट पर ज्वार भाटा के क्षेत्र में स्थित होती है।

अध्यक्ष महोदय : नया प्रश्न न पूछें।

श्री पालनकर : खारी जल के पीछे गड्ढों वाली तथा 'खार' भूमि होती है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है तटों पर की खारी भूमि पर समुद्र का हमला।

श्री शाहनवाज खां : हमने इस प्रकार का कोई व्यापक अनुसन्धान कार्य नहीं किया है।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister has stated that there is arrangement for green manure. I mean to say that fertilizers are available but the seeds of 'senai','ghaincha', and 'urad' are not available. May I know what steps government is taking to check the damage caused to land by chemical mannures?

The hon. Minister has stated that there is provision for every thing. Can he give figures pertaining to any region wherein seeds of 'senai, 'ghaincha' and 'urad' were supplied and if so how much seeds were provided? Would the government make some arrangements under which the farmers may get seeds as well?

Shri Shahnaway Khan]: Is the hon. Member talking about Bihar or about the whole of India?

Shri Bibhuti Mishra : I am talking about Bihar which is the second largest state. The hon. Minister may please state if the farmers of the state get seeds of 'senai, 'ghaincha' and 'urad' or not.

Shri Shahnawaz Khan : The Agriculture Department of the State Governments have been instructed to arrange for green mannures as well.

Mr. Speaker : The hon. Minister may make some arrangements. The hon. Member is concerned with the whole of Bihar.

श्री राम सहाय पांडे : मंत्री महोदय ने बीहड़ों को सुधारने की बात कही है। मैं जानना चाहता हूं कि चम्बल के बीहड़ों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है क्योंकि विश्व बैंक के सहयोग से एक योजना तैयार की गई थी और इस बारे में कार्यवाही की जा सके और कृषि योग्य भूमि को किसानों में वितरित किया जाये ताकि वे अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें।

श्री शाहनवाज खां : कुछ कार्य किया गया है। कुछ भूमि कृषि योग्य बनायी जा चुकी है जिसे राज्य सरकार को किसानों में वितरित किये जाने के लिये सौंपा गया है।

श्री एन० गोपाल रेड्डी : भूमि की उर्वरकता में प्रति वर्ष कमी आ रही है। उसे दूर करने के लिये सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिये। मुझे भय है कि यह क्षेत्र राजस्थान जैसे स्थानों के समान रेगिस्तानी बन जायेगा। वनों का विनाश बन्द किया जाना चाहिये। वनारोपण के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? अध्यक्ष महोदय : उर्वरकता में कमी रोकने के लिये क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है?

श्री शाहनवाज खां : देश में हमारी 160 लघु तथा सीमांत किसानों के लिये परियोजनायें हैं, सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिये 160 परियोजनायें हैं और कमांड क्षेत्रों के लिये 58

परियोजनायें हैं जिनमें वनारोपण का कार्य नियोजित आधार पर किया जा रहा है। यह कार्य चल रहा है।

प्रायः सूखाग्रस्त क्षेत्रों सम्बन्धी कार्यक्रम की क्रियान्विति

*114. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में प्रायः सूखाग्रस्त क्षेत्रों सम्बन्धी कार्यक्रम की क्रियान्विति का पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पुनर्विलोकन की मुख्य बातें क्या हैं तथा प्रत्येक राज्य में उसे कहां तक क्रियान्वित किया गया है ; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख): अनुमोदित केन्द्रीय तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम की पुनरीक्षा योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के समय की जाती है। इसलिये सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की पुनरीक्षा उपयुक्त समय पर की जाएगी। तथापि, मंत्रालय में किये गये व्यय तथा प्राप्त किये गये भौतिक लक्ष्यों दोनों के लिये मासिक तथा तिमाही रिपोर्टों के माध्यम से कार्यक्रम का प्रबोधन कर रहा है। सम्बन्धित राज्य सरकारों के वार्षिक योजना प्रस्तावों को पास करते समय केन्द्र में स्थित संस्वीकृत समिति द्वारा कार्यक्रम की विस्तारपूर्वक पुनरीक्षा भी की जाती है।

(ग) केन्द्र ने राज्य को वर्ष 1975–76 के दौरान मंजूर किये कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये अब तक 20.01 करोड़ रुपये बंटित किये हैं।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम (तिरुनेलवली): मैं जानना चाहता था कि इस योजना की क्रियान्विति के पुनरीक्षण का क्या परिणाम निकला है परन्तु मंत्री महोदय ने बताया है कि इसे यथा समय हाथ में लिया जायेगा। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस बात से सहमत होंगे कि आवधिक पुनरीक्षण से इस कार्यक्रम की समुचित क्रियान्विति की विफलताओं को दूर करने में सहायता मिलेगी।

श्री शाहनवाज खां : पुनर्विलोकन के समय कुछ कमियां प्रकाश में आती हैं और हम सुधार करने की कार्यवाही करते हैं।

श्री आ० किरुतिनन : तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिये कितना धन मांगा था तथा राज्य सरकार ने कौनसी योजनाओं का सुझाव दिया था ?

श्री शाहनवाज खां : मेरे पास राज्यवार ठीक आंकड़े नहीं हैं परन्तु समूचे देश के लिये पांचवी योजना के दौरान 187 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मुझे सूखाग्रस्त क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त है और मैं उन क्षेत्रों में, जहां सूखा निरन्तर बना रहता है। मैं सूखा उन्मूलन के लिये चल रहे कार्य-

क्रम के लिये सरकार को बधाई देता हूं। परन्तु मेरा अनुभव है कि सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्र योजना के अन्तर्गत कई परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को हाथ में लिया और करोड़ों रुपये बरबाद कर दिये और अफसरशाही के प्रभाव के कारण वह कार्यक्रम बन्द कर दिये गये। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह लचीला रुख अपनाये और सूखा उन्मूलन सम्बन्धी सभी कार्यक्रमों को और अफसरशाही की उपेक्षा के कारण अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करे और लाखों को व्यर्थ में नष्ट होने से बचाये।

श्री शाहनवाज खां : चौथी योजना के दौरान कुछ द्रुत कार्यक्रम मुख्यतया लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए आरम्भ किये गये थे। हमने यह देखा कि यद्यपि इन परियोजनाओं के फलस्वरूप अस्थायी तौर पर कुछ रोजगार प्राप्त हो गये परन्तु उनसे दीर्घवधि वाले परिणाम प्राप्त नहीं हुये। इसीलिये हमने ऐसी योजनाओं के ढंग तथा उद्देश्य में कुछ परिवर्तन कर दिये हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह विवरण या सम्पूर्ण धनराशि को बेकार करने वाला द्रुत कार्यक्रम नहीं था। अनेक ऐसी परियोजनायें हैं जो कि अच्छी है और जिन पर लाखों रुपये लगाये जा चुके हैं। उन्हें उसी प्रकार अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इनके बारे में कोई स्पष्ट नीति अपनायेगी और प्रत्येक परियोजना पर उसके गुणों के आधार पर विचार करेगी।

श्री शाहनवाज खां : हम ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने पर विचार कर रहे हैं जिनका काफी काम किया जा चुका है। जहां काफी काम हो चुका है तथा शेष काम करने के लिये केवल कुछ ही धनराशि अपेक्षित है, हम उन्हें पूरा कर रहे हैं।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : मैं यह जानना चाहता हूं कि आरम्भ में यह विशेष कार्यक्रम किन जिलों के लिये मंजूर किया गया था ? क्या यह योजना अन्य जिलों पर भी लागू की गई थी ? क्या महाराष्ट्र द्वारा यह मांग की गई है कि यह योजना उसी प्रकार के अन्य जिलों या क्षेत्रों पर भी लागू की गई है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास महाराष्ट्र के आंकड़े हैं ?

श्री शाहनवाज खां : आंकड़े तो मेरे पास सभी राज्यों के हैं परन्तु उनमें काफी समय लग जायेगा। मैं जानकारी सभा पटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां, आप सम्पूर्ण देश सम्बन्धी जानकारी दे सकते हैं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : सूखाग्रस्त क्षेत्रों के बारे में मैं यह जानना चाहती हूं कि मंत्री महोदय द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले विभिन्न पुनरीक्षणों का जो उल्लेख किया गया है उन्हें दृष्टिगत रखते हुये क्या बाढ़ तथा सूखे की समस्याओं से निपटने के लिये कोई एकीकृत योजना बनाने का विचार है। क्या कोई ऐसी योजना विचाराधीन है जिससे कि मुख्य सिंचाई तथा अन्य परियोजनाओं के लिये बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के पानी का उपभोग किया जा सके तथा उससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सहायता भी की जा सके ?

श्री शाहनवाज खां : सूखाग्रस्त क्षेत्रों की परियोजनाओं के साथ मुख्य सिंचाई योजनाओं को सम्बद्ध नहीं कर सकते। एक चीज जोड़ी जा सकती है। हमारा सम्बन्ध छोटी सिंचाई योजनाओं से रहता है न कि मध्यम या बड़े दर्जे की सिंचाई योजनाओं से।

Shri Nathu Ram Ahirwar: Some programmes were taken up in the country in 1970 under Relief Works and Crash Programmes. Some minor irrigations programmes were taken up and when means of communications were not there, constructions work of small roads was also taken up for providing employment to the people. A good amount has been sent on those irrigation plans and smaller roads. The earth work of those roads has been completed but they are lying uncomplete simply because of non-construction of smaller culverts. I want to know if Government will make funds available for the completion of those works so that the money which has already been spent by the Government could be utilized.

Mr. Speaker. The completion of incomplete works has been assured by the hon. Minister.

समुद्री पानी से तटीय क्षेत्रों की सिंचाई

***115. श्री पी० आर० शिनाय :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र तक के किनारे-किनारे की लाखों एकड़ रेतीली भूमि की समुद्री पानी से सिंचाई वैज्ञानिक दृष्टि से सम्भव है ;

(ख) क्या समुद्र के पानी का प्रयोग करके रेतीली भूमि पर बड़े पैमाने पर कृषि अथवा औद्यागिक प्रयोग किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं, अभी तक इस देश में तीन प्रतिशत लवण की मात्रा वाले समुद्री जल से खेतों की सिंचाई करना सम्भव नहीं है ।

(ख) और (ग). इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री पी० आर० शिनाय : भारत का लगभग 5000 किलोमीटर का समुद्री तट है जिसके साथ लगभग 80 लाख हैक्टेयर रेत के टीले फैले हुये हैं । केन्द्रीय नमक और सामुद्रिक रसायनिक अनुसंधान संस्थान भावनगर ने यह सिद्ध कर दिया है कि समुद्री पानी के साथ कुछ पोषकों का प्रयोग करके रेत के टीलों पर भी बाजरा, ज्वार, और गेहूं की खेती की जा सकती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इसकी जानकारी है और यदि हां, तो क्या सरकार समुद्र तट के रेतीले क्षेत्रों में गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों की खेती करने के लिये प्रोत्साहित करेगी ।

श्री शाहनवाज खां : केवल मात्र समुद्री पानी से जिसमें कि 3 प्रतिशत नमकीन पानी हो, उसमें खेती करना सम्भव नहीं है । समुद्री पानी के साथ कुछ ताजा पानी मिलाकर केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसन्धान केन्द्र द्वारा कुछ प्रयोग किये गये हैं । उनके आंकड़ों से पता चलता है कि उससे कुछ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं परन्तु समुद्री पानी को अभी तक सिंचाई के लिये उपयोगी नहीं समझा गया है ।

श्री पी० आर० शिनाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने समुद्री तट के साथ समुद्री पानी के साथ मिलावट करके बड़े पैमाने पर खेती करने को प्रोत्साहन दिया है ?

श्री शाहनवाज खां : जी नहीं, अभी हमने बड़े पैमाने पर कोई प्रयोग आरम्भ नहीं किया हैं ।

दहेज

***119. श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोगों को दहेज न देने के लिये जागरूक बनाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : एक विवरण पत्र सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत में स्त्रियों के हैसियत से सम्बन्धित समिति ने दहेज के बारे में अपने निष्कर्षों और सिफारिशों में कहा है कि "आज देश में इस बारे में सामाजिक चेतना का कोई भी संकेत नहीं है। शिक्षित युवक इस बुराई के प्रति पूरी तरह उदासीन हैं और इसे बनाये रखने में उन्होंने बेझिझक से योगदान दिया है। दहेज लेना और देना सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के प्रतिकूल घोषित करके सरकार बहुत छोटा परन्तु महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है।"

2. सरकार ने इस सिफारिश को मंजूर कर लिया है तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1954 में संशोधन करके दहेज लेना और देना दण्डनीय बना दिया गया है।

3. दहेज देने का प्रश्न सामाजिक ढांचे की पूरी बनावट का हिस्सा है। प्रगति के रास्ते में जो प्रवृत्तियां, अन्धविश्वास और विश्वास रुकावटें बन कर खड़े हैं उन्हें बदलने की आवश्यकता के बारे में जन संचार साधनों के द्वारा चेतना उत्पन्न करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में कार्यक्रम शुरू किये गये थे। इन प्रयत्नों को जारी रखा जायेगा। शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से भी प्रयत्न किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

4. बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को और सख्त बनाने के लिये उसमें संशोधन करने हेतु कदम उठाये हैं।

5. स्वयंसेवी चेष्टा द्वारा लोगों को दहेज के विरुद्ध सचेत करने के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है तथा केवल सरकार का प्रयत्न ही ठीक सामाजिक वातावरण तैयार करने में सफल नहीं हो सकता।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : विवरण से यह स्पष्ट है कि सरकार ने भारत में स्त्रियों की हैसियत से सम्बन्धित समिति की एक सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और केन्द्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों में एक दण्डात्मक उपबन्ध जोड़ दिया गया है जिसके अनुसार दहेज देने तथा लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि सरकार पहले ही इस तथ्य को स्वीकार कर चुकी है कि इस कार्य के लिए लोगों की सामाजिक भावनाओं को जागृत करना पड़ेगा और लोगों का दृष्टिकोण ही बदलना पड़ेगा। क्या उन्होंने प्रतिवेदन की इस निष्कर्ष की टिप्पणी की ओर भी ध्यान दिया है जिसमें कहा गया है कि जहां स्त्रियों को रोजगार प्राप्त है वहां दहेज का प्रचलन अधिक नहीं है। अतः मैं यह जानना चाहती हूं कि मन्त्री महोदय द्वारा इस प्रकार की योजना बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं जिससे कि स्त्रियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकें ताकि वह आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी हो जाये ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस० नुरुल हसन) : माननीय सदस्या निश्चय ही इस बात से सहमत होंगी कि रोजगार का प्रश्न देश की आर्थिक प्रगति के सामान्य प्रश्न से जुड़ा हुआ है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि किये जाने के बाद ही जनसंख्या के सभी वर्गों को रोजगार उपलब्ध करवाना सम्भव होगा। परन्तु जहां तक स्त्रियों से सम्बद्ध इस सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है, सरकार इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही कर रही है कि रोजगार के मामले में स्त्रियों के साथ किसी प्रकार का भेद-भाव न किया जाये।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : विवरण में तीसरी बात यह कही गई है कि अंध विश्वास आदि-आदि के प्रति दृष्टिकोण बदलने के लिए जनमत तैयार करने का कार्यक्रम बनाया गया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि अभी तक आप जैसी स्थिति में ही है जहां कि दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता पर केवल विचार ही कर रहे हों या जन प्रचार के साधनों में परिवर्तन किया जा रहा है और दृष्टिकोण में निश्चित रूप से परिवर्तन किया जा रहा है। आप इसके लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं कि पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण भी कुछ इस प्रकार से किया जाये जिससे कि शिक्षा आरम्भ करते ही लोगों में इस प्रकार की जागृति लाई जा सके जिसकी कि आवश्यकता अनुभव की जा रही है। अतः निश्चय ही इसके लिए कुछ और कारगर किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

प्रो० एस० नुरुल हसन : माननीय सदस्या का सुझाव अच्छा है। सरकार इसकी आवश्यकता के प्रति जागरूक है और जो पुनरीक्षित पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं उन्हें तैयार करते समय इस बात पर विचार रखा जा रहा है। मैं यह निवेदन भी कर दूं कि इन कार्य को करने का काफी दायित्व राजनीतिक दलों का भी है और जहां तक मेरे दल का सम्बन्ध है उसने तो लोगों में दहेज प्रथा के विरुद्ध जागृति लाने का बहुत बड़ा कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मैंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि क्या जन संचार का कार्यक्रम ऐसा है जिससे कि लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जा सके और न कि केवल लोगों को जागृत किया जा सके ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : जन प्रचार कार्यक्रम के बारे में तो मेरे साथी सूचना मंत्री को जानकारी होगी और यदि माननीया सदस्या उनसे जानकारी मांगेंगी तो वह उन्हें मिल जायेगी। **(व्यवधान)** अन्तिम दायित्व तो इन्हीं का है ।

श्रीमती मुकुल बनर्जी : जहां तक वर्तमान दहेज अधिनियम का सम्बन्ध है उसके अनुसार जो भी व्यक्ति दहेज देगा या लेगा उसे 6 महीने तक के लिए जेल भेजा जा सकता है और उसे कुछ जुर्माना भी देना पड़ेगा। परन्तु पिछले अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में मंत्री महोदय पर इस बात के लिए काफी दबाव डाला गया था कि वह दहेज लेने व देने को दण्डनीय अपराध बना दें। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि वह इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे दण्डनीय अपराध घोषित कर रहे हैं ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : कुछ राज्य सरकारें ऐसा पहले ही कर चुकी हैं।

श्री बी० एन० रेड्डी : जहां तक स्त्रियों के दहेज से सम्बद्ध पैतृक अधिकार का प्रश्न है, उस बारे में मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि स्त्री का यह पैतृक अधिकार पुरुष के पैतृक अधिकार के समान ही बनाये रखा जाना चाहिये।

प्रो० एस० नुरुल हसन : संसद् पहले ही इस विषय पर नया कानून बना चुकी है।

खाद्यान्न उत्पादन तथा आयात

120. **श्री बी० वी० नायक** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि वर्ष 1975-76 में खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या यह उत्पादन देश की आवश्यकता के लिए पर्याप्त होगा ; और

(ग) क्या देश खाद्यान्नों का कोई आयात करेगा और यदि हां, तो कितनी मात्रा में ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क), (ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) 1975–76 के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं । तथापि, अद्यतन रिपोर्टों के अनुसार, 1975–76 में पिछले वर्ष की तुलना में खाद्यान्नों का काफी अधिक उत्पादन होने की सम्भावना है । उत्पादन के पक्के अनुमान न होने के कारण यह कहना कठिन है कि देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन काफी होगा अथवा नहीं, विशेषकर जब खाद्यान्नों की मांग, खाद्यान्नों की उपलब्धता तथा अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थों, उनके प्रतियोगी मूल्य, आय स्तर, जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण की रफ्तार आदि से पर्याप्त रूप से प्रभावित होती है । तथापि, उत्पादन में प्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए, 1975-76 में पिछले तीन वर्षों के स्तर से खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता अधिक होने की सम्भावना है ।

(ग) वर्ष 1976 में भी खाद्यान्नों का कुछ आयात करना आवश्यक होगा लेकिन आयात की जाने वाली मात्रा के बारे में इस समय कुछ कहना उपयुक्त नहीं है, न ही ये आंकड़े देना जनहित में ही होगा ।

श्री बी० वी० नायक : मंत्री महोदय का विवरण पूर्णतया अस्पष्ट है । विवरण में बताया गया है कि इस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन अधिक होगा और लोग अधिक अन्न खा सकेंगे । मैंने जो कटु शब्द प्रयोग किये हैं, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं । परन्तु विवरण के अन्त में उन्होंने बताया है कि कुछ खाद्यान्नों के आयात की भी सम्भावना है । अमरीका द्वारा दबाव डाला गया है और उसने पी० एल० 480 के अनुसार 5 लाख टन खाद्यान्न सम्बन्धी नया करार को रद्द करने की धमकी दी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सम्मान को दृष्टिगत रखते हुये वह पी० एल० 480 के अन्तर्गत 5 लाख टन अनाज स्वीकार करेंगे या नहीं ?

श्री बसन्त साठे : उन्होंने 70 लाख टन का अतिरिक्त उत्पादन किया है ?

श्री बी० वी० नायक : यदि आप उत्तर के साथ संलग्न विवरण को पढ़ें तो आपको मालूम हो जायेगा कि वह अभी भी अनाज का आयात कर रहे हैं ।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : श्रीमान् जी, इसमें मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मैंने यह कहा कि वर्ष 1976 के लिए कुछ अनाज आयात करना आवश्यक होगा । परन्तु आयात की जाने वाली मात्रा के बारे में इस समय कुछ कहना उपयुक्त नहीं है, न ही यह आंकड़े देना जनहित में होगा । अतः मैं पुनः आपका संरक्षण चाहते हुये सदस्य महोदय से निवेदन करता हूं कि वह आंकड़ों के लिए अधिक आग्रह न करें आखिरकार आयात कार्यक्रम का निर्धारण वर्ष विशेष के उत्पादन पर तो नहीं किया जाता ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मछली उत्पादन

*102. श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली की इस समय उपलब्ध मात्रा लोगों की मांग पूरा करने के लिये पर्याप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो मछली का निर्यात क्यों किया जा रहा है जबकि देश में ही उसकी मांग अधिक है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अद्यतन अनुमान के अनुसार भारत में 26 लाख मीटरी टन से अधिक मछली का उत्पादन होता है। देश में विशेष रूप से ताजी मछली की मांग है जिसका 8.7 लाख मीटरी टन उत्पादन होता है। ताजी मछलियों का उत्पादन बढ़ाने को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय किए हैं ।

मछली का निर्यात कम आयतन के ऊंची कीमत वाले समुद्री मात्स्यकी उत्पादों तक ही सीमित है। कुछ मछलियों के उत्पादन का केवल 4 प्रतिशत कच्चा माल निर्यात किया जाता है, जबकि इस वर्ष के दौरान इस निर्यात से लगभग 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा है।

युवकों एवं विद्यार्थियों का 20–सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सम्मिलित होना

*104. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधान मन्त्री के 20–सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विद्यार्थियों तथा युवकों का सक्रिय सहयोग एवं भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर किसी लोकप्रिय तन्त्र का गठन किया है;

(ख) क्या भारतीय युवा कांग्रेस आल इण्डिया यूथ फैडरेशन, आल इंडिया स्टूडेन्ट्स फैडरेशन और नेशनल यूनियन आफ स्टूडेन्ट्स आफ इण्डिया ने सभी स्तरों पर युवा एवं विद्यार्थी समितियों का गठन करने के लिए कुछ समय पूर्व एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया था; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम मुख्यत: राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा ही कार्यान्वित किया जा रहा है तथा वे छात्रों और युवकों सहित सम्बन्धित समाज के सभी वर्गों के लोगों के सक्रिय

रूप से हिस्सा लेने हेतु उपयुक्त कार्यप्रणाली बना रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के पास पहुंचने वाली रिपोर्टों के अनुसार, बहुत से स्थानों के छात्र तथा युवक संगठन इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में छात्र तथा गैर-छात्र युवक शामिल किए जाएंगे।

(ख) जी, नहीं। शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन

***105. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपना अंतिम प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान राष्ट्रीय कृषि आयोग की प्रमुख रिपोर्ट के सम्बन्ध में दिनांक 12-3-1976 को सभा-पटल पर रखे गये व्यक्तव्य की ओर आकर्षित किया जाता है।

(ग) यह रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की गई है, अतः इस पर अभी विचार किया जा रहा है।

जमात-ए-स्लामी और आनन्द मार्ग द्वारा चलाये जा रहे स्कूल

***107. श्री सरजू पांडे :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में अब भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनका प्रबन्ध तथा संचालन जमात-ए-इस्लामी और आनन्द मार्ग दोनों प्रतिबन्धित संगठनों द्वारा किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) भारत सरकार की नीति के अनुसार प्रतिबन्धित संगठनों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से शैक्षिक संस्थाओं का संचालन करने की अनुमति नहीं है। इस बात को राज्य सरकारों के ध्यान में ला दिया गया है।

धान, गेहूं और रबी फसल के उत्पादन एवं वसूली लक्ष्य

*108. **श्री हरी सिंह : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के लिये धान, गेहूं एवं रबी फसल के उत्पादन एवं वसूली लक्ष्य किस प्रकार नियत किये गये थे;

(ख) वास्तविक उत्पादन कितना हुआ और कितनी वसूली हुई; और

(ग) क्या अगले वर्ष के लिये भी कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चावल और गेहूं के अधिप्राप्ति लक्ष्य कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित किये जाते हैं। खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्य योजना आयोग और राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर प्रत्येक राज्य के प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं।

(ख) 1975–76 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। 1975–76 के विपणन मौसम में 11–3–1976 तक प्राप्त सूचना के अनुसार चावल की अधिप्राप्ति (चावल के हिसाब से धान समेत) 47 लाख मीटरी टन और 6–3–1976 तक प्राप्त सूचना के अनुसार गेहूं की अधिप्राप्ति 40.4 लाख मीटरी टन हुई थी।

(ग) अगले वर्ष के लिए उत्पादन के लक्ष्य और 1976–77 के विपणन मौसम के लिए गेहूं की अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

काजू का `केज कार्यक्रम

*110. **श्री सी० जनार्दनन : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू संबंधी पैकेज कार्यक्रम योजना लागू की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत सरकार पांचवीं योजना में निम्नलिखित अवयवों के साथ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में काजू एक पैकेज कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है :—

अवयव	वास्तविक लक्ष्य	वित्तीय परिव्यय	
		(लाख रुपयों में)	
(1) काजू की खेती की उन्नत प्रणालियों के सम्बन्ध में उत्पादकों के उद्यानों में प्रदर्शन प्लाटों की व्यवस्था करना	26,600 प्लाट	95.69	
(2) कायिक प्रवर्धन द्वारा काजू का सुधार	53,000 हैक्टर	97.67	
(3) काजू के लिए पौद-उत्पादक उद्यानों की स्थापना	640 हैक्टर	17.51	
(4) विभागीय क्षेत्रों में पैकेज कार्यक्रम	5,000 हैक्टर	20.00	यह कार्य केवल 1974–75 में चालू था।
(5) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभागीय क्षेत्रों में विशेष क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत 4,000 हैक्टर क्षेत्र में लगाये गये पौधो की देख-भाल करना।	4,000 हैक्टर	31.25	
		262.12	

मूंगफली के लिये मूल्य नीति

*111. **मौलाना इसहाक सम्भली :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने मूंगफली के लिये दीर्घकालीन मूल्य नीति बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

चुकन्दर की नई किस्म

*113. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक कृषि वैज्ञानिक ने विभिन्न कृषि जलवायु में खेती किये जाने के लिए चुकन्दर की अधिक उपज वाली किस्म का सफलतापूर्वक विकास किया है; और

(ख) क्या चुकन्दर और गन्ने के लिए विभिन्न जलवायु और जमीन की आवश्यकता है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। चुकन्दर की खेती के लिए गन्ने की अपेक्षा अधिक ठंडी जलवायु की जरूरत होती है और यह भारत के उपोष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों के सर्दी के दिनों के दौरान अच्छी तरह उगता है।

चुकन्द र तथा गन्ना दोनों ही फसलें एक ही किस्म की जमीन में भली भांति उगती हैं।

बीजों का उत्पादन और भंडारण

*117. **श्री समर मुखर्जी :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन लक्ष्य क्या है;

(ख) इनके उचित भण्डारण और पैकिंग के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) बीजों के भण्डारण तथा पैकिंग केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). अच्छी कोटि के बीजों के उत्पादन के लिये लक्ष्य निर्धारित करने और उनके उत्पादन और वितरण की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। तथापि, राष्ट्रीय बीज निगम, तराई विकास निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम, आदि अखिल भारतीय बीज उत्पादक संगठन भी राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिये अखिल भारतीय महत्व की किस्मों के बीजों का उत्पादन तथा विपणन करते हैं। चालू वर्ष के दौरान इन संगठनों के अच्छी कोटि के बीजों के उत्पादन के लक्ष्य नीचे दिये जा रहे हैं :—

राष्ट्रीय बीज निगम . . .	6,35,894 (क्विंटल)
भारतीय राज्य फार्म निगम . .	3,00,787 (क्विंटल)
तराई विकास निगम . . .	3,75,000 (क्विंटल)

राष्ट्रीय बीज निगम के पास देश के 37 स्थानों में परिसंस्करण एवं पैकिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनकी वार्षिक क्षमता 8, 88,500 क्विंटल है। परिसंस्करण संयंत्रों के राज्यवार स्थान अनुबंध 1 में दिये गए हैं। राष्ट्रीय बीज निगम के 15 स्थानों पर अपने बीज भंडार हैं। इसमें सामान्य भंडारण की क्षमता 70500 क्विंटल और वातानुकूलित भंडारण की क्षमता 8, 500 क्विंटल है। निगम 1, 46, 840 क्विंटल के लिये भंडारण के स्थान भाड़े पर भी ले रहा है। राष्ट्रीय बीज निगम के पास उपलब्ध भंडारण की सुविधाओं का ब्यौरा अनुबंध 2 में दिया गया है।

तराई विकास निगम के पास 5 स्थानों पर कुल 3,20,000 क्विंटल की क्षमता की परिसंस्करण और पैकिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सब पांचों स्थान उत्तर प्रदेश में हैं। तराई विकास निगम के भंडारण के स्थानो का ब्यौरा अनुबंध 3 में दिया गया है।

भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा उत्पादित सब बीजों का परिसंस्करण राष्ट्रीय बीज निगम करता है। राज्य फार्म निगम द्वारा उत्पादित बीजों की कुछ मात्रा का भंडारण तथा विपणन राष्ट्रीय बीज निगम करता है और शेष भाग बेचे जाने तक राज्य फार्म निगम के भंडारों में रखा जाता है। इन भंडारों के स्थानों का ब्यौरा अनुबंध 4 में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 10441/76

गन्ने की बीमारियाँ

***118. श्री के० एम० मधुकर** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था को पता लगा है कि देश में गन्ने की उपज कम होने का एक मुख्य कारण पादपरोग (प्लान्ट डीजीज) है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं, हमारे देश में गन्ने की कम उपज के कई प्रमुख कारणों में बीमारी केवल एक कारण है। कीटव्याधियां, चूहे आदि, खरपतवार, फसल में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक न होना, सिंचाई सुविधाओं और उन्नत किस्मों की रोपण सामग्री का अभाव आदि दूसरे ऐसे अवरोधक कारण हैं जिनमें गन्ने का उत्पादन नहीं बढ़ पाता।

(ख) गन्ने की बीमारियों, जैसे लाल सड़न रोग, मुरझान रोग, कंडवा, धारा जैसी दोजियो निकलना, पेड़ी का ठिगना रह जाना आदि रोग देश के गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर देखे गये हैं। इन बीमारियों ने गन्ने की पैदावार को काफी हद तक कम कर दिया है।

देश के गन्ना उगाने वाले अधिकांश क्षेत्रों में, सख्त बीमारी और कीट सतर्कता कार्य क्रम के अन्तर्गत एक बीज कार्यक्रम आरम्भ किया गया है--जिसमें बीज से पैदा होने वाली महत्वपूर्ण बीमारियों के कारणों को नष्ट करने के लिए बीज वाले गन्ने को गर्म हवा द्वारा उपचारित किया जाता है और इसके बाद उपचारित गन्ने का संवर्धन किया जाता है।

हिन्दी का संवर्धन

567. श्री नारायण चंद पराशर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के गैर-हिन्दी भाषी संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी के संवर्धन के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं, और ऐसे प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : सभी संघ शासित क्षेत्रों में स्कूल स्तर पर हिन्दी पढ़ाए जाने के लिए सुविधाएं विद्यमान हैं तथा उनकी अपनी मांगो में उनके द्वारा आवश्यक बजट व्यवस्था की जाती है। गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के संवर्धन के लिए भारत सरकार द्वारा सीधे लागू किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान संघ शासित क्षेत्रों को दी जा रही वित्तीय सहायता निम्नलिखित है :—

1. अपर प्राथमिक, मिडिल तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति :

संघ शासित क्षेत्र/ प्रशासन का नाम	दी गई वित्तीय सहायता		
	1973-74	1974-75	1975-76
		(रुपये लाखों में)	
मिजोरम	4.00	2.26	4.75

2. गैर-हिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों/संस्थाओं/कक्षों का खोलना :

संघ शासित क्षेत्र/ प्रशासन का नाम	दी गई वित्तीय सहायता		
	1973-74	1974-75	1975-76
मिजोरम	..	..	57,000 रुपये

3. स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता :

संघ शासित क्षेत्र/ प्रशासन का नाम	दी गई वित्तीय सहायता		
	1973-74	1974-75	1975-76
I पाँडिचेरी	रुपये	रुपये	रुपये
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा।	3,375	3,375	3,375
II गोआ			
गोआ, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, मरगांव।	3,465	..	..
गोमन्तक, राष्ट्र भाषा सभा, मरगांव	7,315	9,000	9,000
III मिजोरम			
जोरम हिन्दी प्रचार समिति, एजबल	..	23,000	23,000

4. अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना :

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अहिन्दी भाषी संघ शासित प्रदेशों/प्रशासनों को आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या निम्नलिखित है :—

अहिन्दी भाषी संघ शासित प्रदेश/ प्रशासन का नाम	आवंटित छात्र वृत्तियों की संख्या 1973–74	1974–75	1975–76
1. अंडमान तथा निकोबार	1	1	1
2. अरुणाचल प्रदेश	12	2	2
3. चंडीगढ़	1	1	1
4. दादरा तथा नागर हवेली	1	1	1
5. गोआ, दमन तथा दीव	3	3	4
6. लकादीव	1	1	1
7. मिजोरम	1	1	1
8. पांडिचेरी	2	2	2

Production and Consumption of Nitrogen Chemical Fertilizer

568. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) annual production and consumption of nitrogen chemical fertilizers in India ;

(b) whether nitrogen has been imported during 1975-76 ; and

(c) if so, the quantity thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) The figures of production and consumption of nitrogenous nutrients during 1974-75 are given below :—

Production	11·33 lakh Tonnes
Consumption	17·65 Lakh Tonnes

(b) Yes, Sir.

(c) A total quantity of 8·41 lakh Tonnes of Nitrogen was imported from April, '75 to December, '75.

तिरवनमियूर से ममलापुरम के बीच की भूमि का रिहायशी मकानों के लिए सीमित उपयोग

569. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी करके तिरवनमियूर से ममलापुरम के बीच की विस्तृत भूमि के उपयोग को रिहायशी मकान बनाने तथा अन्य प्रयोजनो तक सीमित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु सरकार लेटिस पुल, परमयुदी आदि के समीप तिरपोर सड़क के साथ साथ पड़ी भूमि, जो गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा विकसित की जानी हैं, के लिए पर्याप्त पेय जल की सप्लाई, तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था तत्काल करेगी ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु सरकार ने सूचना दी है कि वे मामले की जांच करेंगे।

राजस्थान सीमा पर बसे पाकिस्तान से आए शरणार्थी

570. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या युद्ध के समय पाकिस्तान से आये शरणार्थियों, जो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बस गये हैं, लाभकारी रोजगार दिये जा रहे हैं?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Narmada Valley Scheme

†571. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) main features of the draft of the Narmada Valley shceme intended to benefit Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra and action being taken at present in this regard ;

(b) the names of the projects included in the Narmada valley scheme and the expenditure estimated to be incurred on each of them, and the benefits likely to accrue to these States ;

(c) whether survey work in respect of proposed projects at Onkareshwar, Maheshwar, Harnfal (Madhya Pradesh) Jalsindhi and Navagoan (Gujarat) has been finalised; and

(d) if so, out come thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri K. N. Singh) : (a) to (d) The utilisable quantity of water in the Narmada basin has been accepted as 28 m.a.ft. Very little water of the Narmada is at present being utilised. All the States have plans to utilise these waters and the aggregate requirements of the Narmada waters as assessed by the States exceed the availability. The matter is under adjudication by the Narmada Water Disputes Tribunal set up under the Inter-State Water Disputes Act, 1956. In July 1974 the concerned States viz. Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan agreed that Maharashtra can use 0·25 m.a.ft. and Rajasthan can use 0.5 m,a.ft. of Narmada waters. The question of allocation of balance 27.25 m.a.ft. of water between Gujarat and Madhya Pradesh is now to be decided by the Tribunal.

Each of the Satates has a large number of big and small schemes for utilisation of Narmada waters. However, due to limited availability of water the plans of the States would need to be reviewed so as to be in conformity with their respective shares of water and the scope of the various schemes would be finalised only after the Tribunal gives its final decision. It is, therefore, difficult at this stage to indicate the names of schemes in the Narmada valley and their estimate costs and benefits. The decision of the Tribunal is awaited.

न्यूजीलैंड में क्रिकेट टेस्टों में असफलता

572. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूजीलैंड में हुए क्रिकेट टेस्ट में हमारी टीम की असफलता के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के उचित कोचिंग और प्रशिक्षण के लिए क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से निकट का सम्पर्क रखती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख). भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट टेस्ट शृंखला, 1976, बिना हार, जीत के समाप्त हुई थी। भारत क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि खराब मौसम तथा खिलाड़ियों को चोट आने के कारण भारतीय टीम का खेल उतना अच्छा नहीं रहा जितनी की आशा की गई थी।

भारत क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड एक स्वायत निकाय है। तथापि अखिल भारतीय खेल परिषद् क्रिकेट की प्रौन्नत सम्बन्धी बोर्ड के कार्यक्रमों पर निगरानी रखती है। परिषद् की सिफारिशों पर बोर्ड ने एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण नियुक्त किया है जिसके अनुदेश तथा देख रेख में बोर्ड युवक खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहा है। राष्ट्रीय नेता जी सुभाष खेल कूद संस्थान द्वारा नियुक्त क्रिकेट प्रशिक्षकों की सेवाएं, जरूरत पड़ने पर इन प्रशिक्षण शिविरों में भी उपलब्ध की जाती है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर

573. श्री आर० वी० बड़े : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 1 जनवरी, 1976 को सहायक इंजीनियर से लेकर अधीक्षक इंजीनियर तक विभिन्न अधिकारी ग्रेडों में (प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों सहित) सिविल तथा इलैक्ट्रीकल अनुभागों में अधिकारियों की अलग-अलग संख्या क्या है ; और

(ख) उनमें से (1 जनवरी, 1976 को) 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक समय से कितने व्यक्ति अपने वर्तमान ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

	सहायक इंजीनियर		कार्यकारी इंजीनियर		अधिक्षक इंजीनियर	
	सिविल	विद्युत	सिविल	विद्युत	सिविल	विद्युत
(क) विभिन्न ग्रेडों में अधिकारियों की संख्या (प्रतिनियुक्ति वालों सहित) . .	1010	314	329	80	64	16
(ख) (i) 10 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए स्थानापन्न कार्य कर रहे अधिकारियों की संख्या (परन्तु 15 वर्षों से कम) . .	396	69	92	15	9	4

	सहायक इंजीनियर		कार्यकारी इंजीनियर		अधिक्षक इंजीनियर	
	सिविल	विद्युत	सिविल	विद्युत	सिविल	विद्युत
(ii) 15 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए स्थानापन्न कार्य कर रहे अधिकारियों की संख्या (परन्तु 20 वर्षों से कम) . .	68	—	27	1	—	—
(iii) 20 वर्ष से अधिक की अवधि के के लिए स्थानापन्न कार्य कर रहे अधिकारियों की संख्या .	26	—	—	—	—	--

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और सरकारी मुद्रणालयों में इलेक्ट्रीशियनों के वेतनमानों में विषमता

574. **श्री शशि भूषण** : : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और सरकारी मुद्रणालयों में इलैक्ट्रीशियनों के वेतनमानों में विद्यमान विषमता को दूर करने का प्रश्न गत एक दशक से सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) इस प्रश्न पर निर्णय लेने में और कितना समय लगेगा ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) :(क) मुद्रण निदेशालय के बिजली मिस्त्रियों का काडर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बिजली मिस्त्रियों के काडर से भिन्न है। मुद्रण निदेशालय के बिजली मिस्त्रियों के वेतनमान को पुनरीक्षित करने का प्रश्न ताकि उसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बिजली मिस्त्रियों के वेतनमान के समकक्ष लाया जा सके, वर्गीकरण समिति की सिफारिशों के संदर्भ में विचाराधीन रहा है।

(ख) इस मामले में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना हैं।

Flood Control Scheme for Narmada River in Madhya Pradesh

*575. **Shri G.C. Dixit :** Willthe Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) Whether in view of the frequent floods in Madhya Pradesh, the Central Government have formulated any Flood Control Scheme for the Narmada river ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri K. N. Singh) :(a) Flood controlis includedin the State Sector and therefore, planning and implementation of flood ontrol schemes is the responsibility of the concerned State Governments. The Centre renders assistance in technical matters at the specific request of the State Government in formulation of flood control schemes.

(b) Does not arise.

Central Grant to Bihar for Construction of Houses

576. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Bihar Government had asked for grant from the Central Government for the construction of houses in the Adivasi and Harijan areas of Bihar after the proclamation of emergency ; and

(b) if so, the amount of grant given ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Uniform Pattern of Education

577. **Shri Janeshwar Mishra** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have under their consideration any scheme for a uniform pattern of education for children in the primary and higher stages ;

(b) whether public schools will have to be abolished under the said scheme ; and

(c) the difficulties Government are facing in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P.Yadav) : (a), (b) & (c). On the recommendation of the Kothari Commission the Government of India adopted the National Policy on Education, 1968 which proposed the adoption of a broadly uniform educational structure of 10+2+3 in the country. The Central Advisory Board of Education on which all State Education Ministers are represented also recommended that the new pattern of education should be introduced throughout the country. Most States have already introduced the new pattern. The matter is under consideration in the other States. The National policy also provides for the common school system to promote social cohesion and national integration. At the same time the Resolution stipulates that all special schools like Public Schools should be required to admit students on the basis of merit and also to provide a prescribed proportion of free studentships to prevent segregation of social classes.

केन्द्र द्वारा उर्वरकों का आवंटन

578. **श्री वीरभद्र सिंह** : : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976-77 के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को उर्वरकों के आवंटन के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन के तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तथा जिस बोर्डों को खरीफ 1976 के आवंटन जनवरी-फरवरी, 1976 में हुई क्षेत्रीय कान्फ्रेंस में खरीफ, 1976 के लिए अन्तिम रूप से तैयार किए गए थे । रबी 1975-76 के आवंटन जुलाई, 1976 में होने वाली अगली बैठक में अंतिम रूप से तैयार किए जायेंगे ।

(ख) एन० पी० तथा के० पोषक तत्वों को कुल 17.95 लाख मीटरी टन मात्रा जिस बोर्डों को आवंटित की गई थी । इसका विस्तृत ब्योरा संलग्न है ।

विवरण

उर्वरकों की आवश्यकतायें—खरीफ 1976

(क्षेत्रीय सम्मेलनों के अनुमानों के अनुसार) (मीटरी टनों में)

राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र/जिस बोर्ड	एन	पी	के	जोड़
दक्षिण क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	162000	60000	14000	236000
केरल . . .	21095	17077	16273	54445
कर्नाटक . . .	94830	39862	34827	169519
तमिलनाडु . . .	131600	42900	37700	212200
पांडिचेरी . . .	2932	1332	1205	5469
काफी बोर्ड . . .	6240	4200	6240	16680
रबर बोर्ड . . .	4367	4367	4367	13101
इलायची बोर्ड . . .	810	1600	1600	4010
चाय बोर्ड . .	5810	3737	3737	13284
पश्चिम क्षेत्र				
गुजरात	76544	44837	14534	135915
मध्य प्रदेश . .	59000	25000	5000	89000
महाराष्ट्र . .	115000	49000	30000	194000
राजस्थान . .	30000	9000	2000	41000
गोवा, दमन और दीव .	1757	1138	820	3745
दादरा और नागर हवेली	130	32	24	186
उत्तरी क्षेत्र				
हरियाणा . .	40000	8000	2000	50000
पंजाब . . .	10 0000	22000	6000	128000
उत्तर प्रदेश .	170000	20000	12000	202000
हिमाचल प्रदेश . .	43000	1300	900	6500
जम्मू और कश्मीर . .	7000	1000	500	8500
दिल्ली . .	820	71	18	909
चंडीगढ़ . . .	350	60	30	440

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिस बोर्ड	एन	पी	के	जोड़
पूर्वी क्षेत्र				
असम . .	4000	1000	700	5700
बिहार .	50000	10000	5000	65000
उड़ीसा . .	30000	9000	4000	13000
पश्चिम बंगाल	50000	10000	6000	66000
मणिपुर	1000	300	150	1450
मेघालय .	800	400	100	1300
नागालैंड	70	40	25	135
त्रिपुरा .	234	52	65	351
अरुणाचल प्रदेश .	390	195	195	780
मिजोरम . . .	65	52	39.	156
पश्चिम बंगाल चाय	4885	1093	1748	7726
असम चाय .	11677	2236	3578	17491
बिहार चाय .	22	6	6	34
त्रिपुरा चाय . .	294	67	67	428
सिक्किम . .	250	150	75	475
अंदमान तथा निकोबार . .	90	42	42	174
समस्त भारत . . .	1188362	391186	215555	1795103

बेनामी भूमि

579. **श्री समर गुह : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति की घोषणा के बाद प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में प्राप्त बेनामी भूमि के कुल एकड़ के अद्यतन आंकड़े क्या हैं ;

(ख) बेनामी भूमि रखने वालों के विरुद्ध चलाये गए मुकदमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या राजनीतिक दलों के सदस्यों के कब्जे में बेनामी भूमि पाई गई है यदि हां, तो उन राजनीतिक दलों के नाम क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :(क) (ख) तथा (ग). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

"ऐथलिटों" और खिलाड़ियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन

580. श्री ए० के० गोपालन : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विख्यात 'एथलिटों' और खिलाड़ियों को वृद्धावस्था पेंशन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) : सरकार मामले की जांच कर रही है ।

समुद्री उत्पाद उद्योग

581. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समुद्री उत्पाद उद्योग को प्रोत्साहन देने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में विशेष रूप से केरल में क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख). समुद्री मात्स्य की उद्योग के विकास को यंत्रीकृत नौकाएं एवं बड़े मत्स्य-ग्रहण जलयान प्रारम्भ करने, बन्दरगाह की सुविधाओं, कार्मिको के प्रशिक्षण, नई तकनीकों का प्रदर्शन, भंडारण की सुविधाओं की व्यवस्था, परिसंस्करण, परिवहन एवं विपणन, और विशेषकर निर्यात के लिये समुद्री उत्पादों के उत्पादन के लिये विभिन्न अन्य सुविधाओ एवं रियायतों के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

(ग) कोचीन में एक गहन समुद्र मत्स्य-ग्रहण बन्दरगाह का निर्माण किया जा रहा है और अन्य केन्द्रों में मध्यम मत्स्य-ग्रहण बन्दरगाहों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । केरल मात्स्यकी निगम ने दो बड़े मेक्सियन ट्रालर आयात कर लिये हैं और उन्हें आयात करने के लिये 2 और ट्रालर अलाट किये गये हैं । आशा है कि कई गैर-सरकारी फर्में भी, जिन्हें ट्रालरों के आयात के लिये अनुमति दी गई है, केरल के समुद्री तटों पर मात्स्यकी कार्य करेंगी । केरल में कई केन्द्रीय मात्स्यकी संस्थाएं कोचीन में स्थित है । इनमें केन्द्रीय मत्स्यकी प्रोद्योगिकी संस्थान, केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान, संस्थान, समेकित मात्स्यकी परियोजना, गहन समुद्र मात्स्यकी परियोजना, केन्द्रीय मात्स्यकी परिचालन संस्थान, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और समन्वेषी मात्स्यकी परियोजना की एक यूनिट शामिल है जिनसे अन्य राज्यों के साथ-साथ केरल को भी लाभ पहुंचता है । इसके अतिरिक्त, योजना संबंधी वित्त से कई मात्स्यकी विकासात्मक योजनाओं की सहायता की जा रही है । वर्ष 1975–76 के लिये 2.2 करोड़ रुपये और 1976–77 के लिये 2.8 करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति दी गई है ।

Closure of Wine Shohs on National Highways

582. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state : (a) number of wine shops on national highways at present and whether there is any nation wide scheme to close down these ; and

(b) Whether Government have enacted a legislation under which no new wine shops shall be opened on national highways and if so, the time by which it will be enforced ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture

(Shri Arvind Netam) : (a) The information on the number of wine shops on national highways is not readily available, as the licences to such shops are issued by the State Governments The State Governments and the Union Territories have been advised, under the Programme of Prohibition, that there should be minimum distance of 500 metres between a liquor shop and a highway.

(b) Separate legislative backing for the purpose in view is not necessary, as the State Government can withhold licences to liquor shops on highways even under the existing excise law.

The following State Governments/Union Territories have already agreed not to licence liquor shops on highways :

Andhra Pradesh, Assam, Jammu & Kashmir, Kerala, Manipur, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Delhi and Goa, Daman & Diu.

Agriculture Farms

583. **Shri Anant Prasad Dhusia :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) total number of agriculure farms under the management of Central Government and the expenditure incurred thereon, in 1974-75 as also the income earned thereby ; and

(b) names of the farms in which people from Soviet Russia work indicating the number of these people and the annual payments made to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) The total number of agricultural farms being managed by the State Farms Corporation of India during 1974-75 was Twelve.

Income & Expenditure statement farm-wise is given in the Annexure.

(b) No Soviet Experts are working at present at any of the Farms managed by State Farms Corporation of India Ltd.

Statement

(July 1974 to June, 1975).
(Figures in lakhs)

S.No	Name of the Farm	Income	Expenditure
1.	Suratgarh	220·33	162·30
2.	Jetsar	57·99	46·86
3.	Hissar	42·17	37·94
4.	Ladhowal	22·10	31·54
5.	Chengam	32·20	30·95
6.	Cannanore	41·22	38·83
7.	Raichur	42·85	85·99
8.	Jharsuguda	0·42	0·89
9.	Kokilabari	6·19	13·94
10.	Rae-Barely	1·87	5·03
11.	Khammam	7·59	13·12
12.	Bahraich	33·61	34·45
		508·54	501.84

छोटा नागरपुर, बिहार में कृषि सुविधाएं

584. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में छोटा नागपुर में आदिवासियों को दी जा रही कृषि सुविधायें अभी भी बहुत कम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इतिहास के अध्यापकों के लिये 'ओरियेन्टेशन कैम्प"

585. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने कलकत्ता में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के स्कूलों के इतिहास के अध्यापकों के लिए प्रथम फरवरी से 14 फरवरी, 1976 तक दो सप्ताह का "ओरियेन्टेशन कैम्प" आयोजित किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस का मुख्य प्रयोजन क्या था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां । रा० शि० अ० प्र० परिषद द्वारा कलकत्ता में आयोजित ओरियेन्टेशन कैम्प की वास्तविक तिथि 2 से 13 फरवरी, 1976 थी ।

(ख) ओरियेन्टेशन कैम्प में कलकत्ता विश्वविद्यालय, समाज विज्ञान अध्ययन केन्द्र, कलकत्ता, विश्वभारती विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद के अध्येताओं तथा इतिहासकारों द्वारा कई चर्चाएं की गई । इस कैम्प में भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों के विभिन्न पहलुओं, विश्व-इतिहास के कुछ पहलुओं और विश्व इतिहास पढ़ाने की समस्याओं तथा इतिहास पढ़ाने की समस्याओं से संबंधित अनेक विषयों को भी शामिल किया गया ।

(ग) इस कैम्प का मुख्य उद्देश्य इसमें हिस्सा लेने वालों को इतिहास के पठन-पाठन की आधुनिक प्रवृत्तियों से परिचित कराना था ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किया गया खाद्यान्न

586. **श्री पी० एम० मेहता :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गत तीन वर्षों में कितना खाद्यान्न वसूल किया गया ; और

(ख) उनका औसत वसूली मूल्य, औसत भण्डारण एवं अन्य व्यय क्या हैं ; और औसत बिक्री मूल्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधे अथवा अन्य सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से अधिप्राप्त किए गए खाद्यान्नों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

	1972–73	1973–74	1974–75
गेहूं .	4976	4427	1769
चावल	1978	2986	2317
मोटे अनाज, जौ सहित . .	170	177	31
चना, चने के उत्पाद और दालें .	100	36	77

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

दर रु०/क्विंटल

	औसत अधिप्राप्ति मूल्य	अधिप्राप्ति और भण्डारण, संचलन और वितरण सम्बन्धी प्रासंगिक खर्चे	औसत विक्रय मूल्य
1972–73			
गेहूं . . .	76.00	22.64	78.00
चावल . . .	91.21	18.85	114.39
मोटे अनाज .	57.69	19.52	65.79
1973–74			
गेहूं . .	76.00	24.10	78.00 तक 7-11-73
			90.00 से 8-11-73
चावल .	103.37	21.06.	126.41
मोटे अनाज . .	59.48	22.12	76.41

	औसत अधिप्राप्ति मूल्य	अधिप्राप्ति और भंडारण, संचालन और वितरण संबंधी प्रारंभिक खर्च	औसत विक्रय मूल्य
1974–75			
गेहूं . .	105.00	24.08	90.00
			तक 14.4–74
			125.00
			से 15–4–74
चावल . .	128.29	21.78	156.18
मोटे अनाज . . .	72.39	25.23	82.76

Whips coeference

587. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister **of Parliamentary Affairs** be Pleased to state :

(a) whether many years have lapsed since a Conference of the Whips of Parliament and State Legislatures was held ;

(b) if so, the reasons for not holding such a conference since then ;

(c) whether there is a greater need for holding such a conference in the present situation ; and

(d) if so, when and where Government propose to convene the next Conference ?

Ministrer of Works & Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghu Ramaiah) : (a), (b) & (c) The 8th All India Whips Conference was held at Bhopal in 1972. In That conference, an invitation was extended by the then Minister of state for Parliamentary Affairs of Jammu & Kashmir State to hold the next whips Conference at Srinagar. The invitation was accepted by the conference, subject to the convenience of the State Government. However, in view of the acute financial stringency through which the country was passing, the 9th All India Whips' Conference could not be held so far.

(d) No decision has yet been taken regarding the date and venue of the Next All India Whips Conference.

कावेरी जल

588. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 29 मार्च, 1972 को हुए कावेरी जल संबंधी मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि "कावेरी के जितने जल का उपयोग इस समय किसी भी राज्य द्वारा किया जा रहा है उससे अधिक जल का उपयोग करके अथवा जल रोक कर किसी भी राज्य द्वारा समस्या के हल को मुश्किल नहीं बनायेगा" ;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु सरकार को 1974 में कावेरी जल का उपयोग करके नेल्लिथुराय परियोजना का कार्य प्रारंभ करने के लिए दी गई मंजूरी पहले किए गए निर्णय के विरुद्ध है ; और

(ग) मुख्य मंत्री सम्मेलन में पारित किए गए सर्व सम्मत संकल्प की अवहेलना करके उक्त निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) यह मतैक्य इस भावना के साथ हुआ था कि संघीय सरकार की सहायता से समझौता 6 महीने में हो जाएगा ।

(ख) और (ग) नेल्लीयुराय जल विद्युत परियोजना की स्वीकृति कावेरी जल में केरल के हितों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले है। बहरहाल, यह कहा जा सकता है कि प्रस्तावित परियोजना नितान्त हाइड्रो परियोजना है जिसमें जल के प्रयोग की कोई खपत नहीं होती है ।

मत्स्य उद्योग के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता

589. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने मत्स्य उद्योग के विकास तथा मछलियां उन स्थानों तक, जहां पर मछली की मांग काफी अधिक है परन्तु उत्पादन मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, मछली भेजने के लिए उनके भंडारण के लिए अधिक सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल)) : (क) और (ख) कमी वाले राज्यों को सप्लाई पूरी करने हेतु सहायता के लिए पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों से कोई विशेष अनुरोध नहीं मिला है । पश्चिम बंगाल सरकार ने 'कोल्ड चेन' योजना के उस भाग का तत्काल क्रियान्वयन करने का अनुरोध किया है जिसका सम्बन्ध कलकत्ता की मंडी से है । "कोल्ड चेन" योजना में सम्बन्धित परिसंस्करण तथा विपणन की सुविधाओं समेत शुरू में कलकत्ता, दिल्ली और बंगलौर में प्रशीतित और जमे हुए बड़े भंडारों की स्थापना करने का विचार है । 4.6 करोड़ रू० की लागत की प्रशीतित परिवहन की सुविधाओं सहित इस योजना पर सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा है ।

बीज आयात

590. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदेशों से कृषि के लिए बीजों का आयात करना पड़ता है और यदि हां, तो वर्ष 1973–74, 1974–75 और 1975–76 के दौरान उनका कितनी मात्रा में आयात किया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : भारत सरकार ने 1973–74, 1974–75 और 1975-76 के दौरान वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए बीजों का आयात नहीं किया है ।

मिथिला विश्वविद्यालय को अनुदान

591. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री मिथिला विश्वविद्यालय को अनुदान तथा सुविधाओं के बारे में 12 जनवरी, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 489 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने इस बीच आश्वासन की तीसरी आवश्यकता का पालन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार, बिहार सरकार द्वारा तीसरा आश्वासन पूरा कर दिया गया है, अर्थात् भवनों उपस्करों, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों, छात्रावासों, स्टाफक्वार्टरों के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त निधियों की व्यवस्था कर दी गई है, जिनका कुल मूल्य विकसित भूमि को मिलाकर 2 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। आयोग ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम के अनुच्छेद 12–क के अनुच्छेद 12–क की शर्तों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी स्रोतों से वित्तीय सहायता पाने के योग्य संस्था घोषित कर दिया है ।

दिल्ली में सरकारी भूमि पर कब्जा करना

592. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में सरकारी भूमि पर कब्जा करने को हस्तक्षेप अपराध बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ।

केरल को खाद्यान्न

593. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** :
श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्री ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि केरल में खाद्य की गंभीर स्थिति को देखते हुए वहां के लिए चावल के कोटे में वृद्धि की जाये ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि केरल राज्य को अपनी चावल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतया केन्द्रीय सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ता है ; और

(ग) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की काफी अधिक मात्रा में वसूली के बावजूद केरल को अपेक्षित मात्रा में चावल की सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) केरल के खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री से जनवरी, 1976 में पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें फरवरी, 1976 से आगे राज्य के चावल का मासिक कोटा बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया था ।

(ख) और (ग) केरल की सरकारी विवरण प्रणाली की जरूरतें केन्द्रीय पूल से चावल का आवंटन कर और राज्य में उपलब्ध चावल की अधिप्राप्ति कर पूरी की जा रही है। केन्द्रीय पूल में चावल की समूची उपलब्धता, कमी वाले अन्य राज्यों की सापेक्ष जरूरतों, बाजार में उपलब्धता और बफर स्टाक तैयार करने की आवश्यकता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर केरल की सरकारी वितरण प्रणाशी की जरूरतें पूरी करने के लिए यथा-सम्भव अधिक से अधिक चावल आवंटित किया जा रहा है। केन्द्रीय पूल से केरल को चावल का मासिक कोटा 45.0 हजार मीटरी टन से बढ़ाकर फरवरी, 1976 से 54.0 हजार मीटरी टन कर दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश के लिये एच० यू० डी० सी० ओ० निधियां

594. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच० यू० डी सी० ओ० ने वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान आन्ध्र प्रदेश को कितना धन दिया ;

(ख) वर्ष 1976-77 में कितना धन दिए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) :

(क) 1974-75 : 128.00 लाख रुपए ।

1975-76 : 39.00 लाख रुपए (फरवरी, 1976 के अंत तक)

(ख) ऋण करारों के अनुसार 1976-77 में 114.40 लाख रुपये दिए जाने हैं। तथापि, दी जाने वाली वास्तविक राशि प्रत्येक योजना के कार्य की प्रगति पर निर्भर करेगी।

(ग) 3464 स्वीकृत एककों में से फरवरी, 1976 के अन्त तक 442 एककों का निर्माण पूरा हो गया है तथा 1575 एककों का निर्माण कार्य चल रहा है। इस प्रयोजन के लिए स्वीकृत 524.90 लाख रुपयों के विपरीत 173 लाख रुपए का खर्चा हुआ ।

उर्वरकों के प्रयोग में मितव्ययिता

595. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश में उर्वरकों की खपत मितव्ययी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : उर्वरकों का उचित प्रयोग करने के संबंध में राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं ताकि प्रयुक्त की गई उर्वरक की मात्रा से अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। भारत सरकार ने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने के लिए स्थानीय खाद संसाधनों के विकास का एक व्यापक कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है।

उत्तर प्रदेश और बिहार के चीनी मिलों को सरकार के अधिकार में लिया जाना

596. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों को सरकार के अधिकार में लिए जाने के बारे में इस बीच कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) मुख्य कारण इस प्रकार है :--

इसके लिए भारी वित्तीय परिव्यय की आवश्यकता होगी और इन कार्यकलापों का योग्यता के साथ प्रबंध करने के लिए बहुत अधिक संख्या में प्रशिक्षित और अनुभवी कार्मिकों की भी आवश्यकता पड़ेगी ताकि उत्पादन के मौजूदा स्तर पर कोई असर न पड़े और निर्यात सम्भाव्यता को बनाए रखने और उसमें सुधार लाने की भी तात्कालिक आवश्यकता है ।

रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग

597. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रासायनिक उर्वरकों के मूल्य अधिक होने तथा कृषि उत्पादों के मूल्य कम होने के कारण रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किफायती नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इन उर्वरकों के प्रयोग को किफायती बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) सरकार को पता है कि उर्वरकों और कृषि जिंसों के वर्तमान मूल्यों विशेष रूप से फास्फेट और पोटाश उर्वरकों की लागत की तुलना में लाभ कम है ।

(ख) उर्वरकों की खपत में वृद्धि करने के लिए जुलाई 1975 और दिसम्बर, 1975 में दो बार उर्वरकों के मूल्यों में कमी की गई थी । राज्य सरकारों को भी इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाने के लिए सलाह दी गई है, जिसके फलस्वरूप प्रयुक्त किए गए उर्वरक की मात्रा से अधिक से अधिक उपज हो सके ।

Suicide by a Scientist

598. **Shri Pannalal Barupal** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the 'Indian Express' dated the 16th February, 1976 captioned "Scientist Suicide", and if so, Government's reaction thereon ; and

(b) whether it is because of the non-implementation of the recommendations of Gajendragadkar Report that this tragic incident took place ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri **Shah Nawaz Khan**) :(a) & (b) Government have seen a letter to the Editor appearing in the 'Indian Express' dated the 16th February, 1976 captioned "Scientist's Suicide". Shri B. Chandrashekhara, a Ph. D, student of the Indian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhi alleged by committed suicide on domestic and health grounds on 7th February, 1976. He was not an employee of the above Institute but an employee of the University of Agricultural Sciences, Bangalore, who deputed him initially for doing his Ph. D. programme under the joint USAID/IARI training programme for a period of three years with effect from 6th December, 1971. Candidates sponsored under this programme were paid study leave salary, in addition to the maintenance allowance, while they studied in the U.S.A. (for a period of one year) and were given fellowship by the Indian Council of Agricultural Research when they returned to India to complete their research work here (for a period of 24 months), in addition to study leave salary by their parent office. Shri Chandrashekhara left for U.S.A. on 12th December, 1971 for doing his course work and returned to India and joined the I.A.R.I. on 4th July, 1973. On return to India, Shri Chandrashekhara was awarded the Senior Fellowship of Rs. 400/- per month for a period of two years and was paid the same from 4th July, 1973 to 3rd July, 1975. On the expiry of this period no request was received from him for extending his fellowship. He was also given an amount of Rs. 500/- for purchase of books and another sum of Rs. 531/- was spent on contingent expenditure in his behalf. Since he could not complete his Ph. D. programme in three years, the University of Agricultural Sciences extended the term of his deputation by another year i.e., from 6th December, 1974 to 5th December 1975 on half-pay leave.

2. The reasons for Shri Chandrashekhara's suicide as stated in the notes left behind by him, were based on domestic and health grounds. In a note entitled "To whomsoever it may concern" he has referred to several personal and health problems, particularly with reference to his married life.

3. In the letter to the Eiditor, it has been stated that while the I.C.M.R. and C.S.I.R. pay fellowship of Rs. 600/- per month to their doctorate students, the ICAR continues to pay Rs. 400/- only. Prior to 1st July, 1973, the value of senior fellowship awarded by the ICAR to candidates possessing M. Sc./M.V.Sc. was Rs. 300/- with a cntingent grant of Rs. 1500/— per year. The amonunt of fellowship has, with effect from 1st July, 1973, been increased to Rs. 400/—(the contingent amount remairing the same). The C.S.I.R. provides two followships — (i) Junior Research Fellowship of Rs. 400/—per month with a contigent grant of Rs. 1500/— per annum and (ii) Senior Research Fellowship of Rs. 500/— per month with a contingent grant of Rs. 2000/—per annum. While the junior fellowship is given to MSc. or equivalent degree holders, the Senor Fellowship is granted to those M.Sc. condidates who have already two years, research experience. In the case of I.C.M.R. the junior fellowsihip given to M.Sc. candidates for doing Ph.D. degeree is Rs. 400/—per month for the first year. Rs. 450/— per month for the second year and Rs. 500/—per month for the third year. The senior Fellowship of I.C.M.R. is Rs. 600/—but it is meant only for those who already have a Ph.D. degree. ICAR has also created Research Fellowships of the value of Rs. 500/—per month for M.Sc. degree holders and Rs. 700/—per month for those havnig Ph.D. degree.

4. The ICAR Inquiry Committee under the chairmanship of Dr. P.B. Gajendragadkar did not make any recommendation in regard to the amount of fellowships offered by the ICAR. Government's decisions on the recommendations of the ICAR Inquiry Committee have already been implemented. The suicide appears to have been due to some family circumstances and had nothing to do with any dissatisfaction with the implementatin or otherwise of the Committee's report.

विश्व भारती संबंधी मसूद समिति के प्रतिवेदन पर ज्ञापन

599. **श्री सरोज मुखर्जी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व भारती सम्बन्धी मसूद समिति के प्रतिवेदन के बारे में कर्मी सभा, विश्व भारती, शान्तिनिकेतन, पश्चिम बंगाल से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त समिति के सुझावों पर विचार किया है और उन पर कोई निर्णय किया है, यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने कर्मी समिति अर्थात् विश्व भारती की कार्यकारी परिषद् में गैर-अध्यापन कर्मचारियों के कुछ प्रतिनिधि शामिल करने का निर्णय किया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) विश्व भारती से संबंधित समिति की रिपोर्ट पर कर्मी सभा का ज्ञापन प्राप्त हो गया है जिसमें उनके विचार दिए गए हैं। मसूद समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं और मामले पर अन्तिम निर्णय लेते समय ज्ञापन में दिए गए सुझावों को सरकार ध्यान में रखेगी ।

सिंचाई सुविधाओं के लिए प्राथमिकता

600. **श्री विश्व नारायण शास्त्री** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन राज्यों को कोई प्राथमिकता दी गई है अथवा दी जानी है जहां सिंचाई सुविधायें बहुत कम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में वृहत् और मध्यम स्कीमों से सिंचाई शक्यता के विकास में अन्तर्राज्जीय असंतुलन को यथासम्भव कम करने का प्रयास किया गया है । ऐसी संभावना है कि पांचवीं योजना में बड़ी संख्या में चालू परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर राज्यों के बीच असंतुलनों के कम होने में महत्वपूर्ण योगदान होगा ।

पांचवीं योजना अवधि के दौरान नई परियोजनाओं को हाथ में लेने के सम्बन्ध में विचार करते समय यह ध्यान में रखा जायेगा कि भावी योजनाओं से असंतुलन क्रमशः और अधिक कम होता जाए ।

देश के विभिन्न भागों में जल के फालतु और उसकी कमी का भी अध्ययन किया जा रहा है, जिससे कि कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से फालतु जल वाले क्षेत्रों से कम जल वाले क्षेत्रों को जल को ट्रांस्फर करने की संभावनाओं का पता लगाया जा सके ।

Food Grant From U.K.

601. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) Whether it has been decided that India would get 50,400 tonnes of foodgrains from Britain as grant; and

(b) if so, whether this grant has been given by Britain herself or is it being given at the request of India ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) The Government of United Kingdom as a member of the European Economic Community has undertaken to supply to India 50,400 tonnes of wheat as a food aid grant under the E.E.C. Cereals Food Aid programme for 1974-75.

खाद्यान्नों के मूल्य

602. **श्री नाथू राम अहिरवार** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973–74 की तुलना में वर्ष 1974-75 के दौरान खाद्यान्नों के मूल्यों में गिरावट आई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1973–74 की तुलना में वित्तीय वर्ष 1974–75 के दौरान थोक मूल्यों के अखिल भारतीय सूचकांक में वृद्धि हुई थी। विभिन्न खाद्यान्नों में वृद्धि की प्रतिशतता 22.3 से 67.9 के बीच भिन्न भिन्न थी ।

टाईप-III तथा टाईप-IV के क्वाटरों का निर्माण

603. **श्री अमर सिंह चौधरी** : : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली में टाइप–III तथा टाईप–IV के क्वाटरों की संख्या, इन टाईपों के सरकारी क्वाटरों के पात्र सरकारी कर्मचारियों की संख्या की तुलना में अपर्याप्त हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से टाईप III तथा टाईप–IV के और अधिक क्वार्टरों का निर्माण करने का है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) जी , हां ।

(ख) जी, हां, बशर्ते कि साधन उपलब्ध हों ।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों का सर्वेक्षण

604. **श्री राम भगत पासवान** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में बाग कड़ेखां, पदम नगर, मोतिया बाग (सराय रोहिल्ला) दया बस्ती का सर्वेक्षण फरवरी, 1976 में किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका उद्देश्य क्या है ; और

(ग) इन बस्तियों को नियमित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) क्षेत्र की आयोजना तथा विकास की समस्या का मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण किया गया था । सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है ।

ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता की सीमा

605. **श्री समर गुह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति की घोषणा के बाद ऋण भार से दबे ग्रामीण व्यक्तियों को राहत देने के सम्बन्ध में बैंकों को क्या कार्य सौंपे गये हैं ; और

(ख) ग्रामीण व्यक्तियों की ऋण से राहत देने के बारे में राज्य-वार नवीनतम आंकड़े क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सहकारी सोसाइटियां कृषि ऋण हेतु ऋण की व्यवस्था करने के लिए मुख्य संस्थागत स्रोत बनी रहीं। ऋण नीतियों का मुख्य उद्देश्य समुदाय के कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण देने में पर्याप्त रूप से वृद्धि सुनिश्चित करना है। दी गई कुछ रियायतें इस प्रकार हैं––(i) ऋणों की वापसी अदायगी अवधि की आसान शर्तें (ii) न्यूनतम अदायगी (iii) दी गई प्रत्याभूति के मूल्य की अपेक्षा सुधार के बाद बढ़ती हुई आय के आधार पर पात्रता निश्चित करना (iv) उन किसानों के समूह को ऋणों में बढ़ोतरी करना जिन्हें व्यक्तिगत आधार पर ऐसे ऋण नहीं दिये जा सकते हैं (v) केन्द्रीय सहकारी बैंकों/भूमि विकास बैंकों द्वारा छोटे आर्थिक दृष्टि से कमजोर किसानों के हित में 20 प्रतिशत अग्रिम निर्धारित करना।

20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता को परिसमाप्त करने के लिए किये गये विशिष्ट उपायों के परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश, 1975 को (जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976–1976 की संख्या 21 द्वारा बदला जा चुका है) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के गठन को योग्य बनाने के लिए 26–9–75 को प्रख्यापित किया गया था। 2 अक्तूबर, 1975 को हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गठित किये गये थे और इनके अलावा 5 और बैंक बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में फरवरी, 1976 तक स्थापित किये गये हैं :

ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केवल लघु तथा सीमान्त कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों आदि को सीधे कृषि अग्रिम सुलभ करते रहेंगे।

(ख) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, लघु सीमान्त कृषकों से ऋण की वसूली करने पर ऋण स्थगन को लागू करने तथा उन सीमान्त कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों तथा ग्रामीण कारीगरों, जिनकी घरेलू आय 2,4000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, के मामले में पूर्णतः राहत हेतु विधायी कार्यवाही करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए हैं। ग्रामीण ऋण को सोपानवार परिसमाप्त करने के लिए भी विधायी कार्यवाही करना अपेक्षित है। उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल में लाभभोगियों की सम्भावित संख्या 55,15,000 होगी। महाराष्ट्र में शहरी इलाकों से 15,145 व्यक्तियों तथा ग्रामीण इलाकों से 12,737 व्यक्तियों को ऋण राहत उपाय द्वारा लाभ पहुंचाया गया है। अन्य राज्यों की सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

सहकारी समितियों द्वारा जोखिम तथा गारंटी निधियां

606. श्री वसंत साठे : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 फरवरी, 1976 के "इकनामिक टाइम्स" में "रिस्क एण्ड गारन्टी फण्ड बाई कोपरेटिव्ज, गवर्नमेंट कांट्रिब्यूशन्स अर्जेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें दिये गये विचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर राहत तथा गारन्टी निधि गठित करने और उन्हें प्राथमिक स्तर पर बकाया ऋणों के आधे प्रतिशत के स्तर तक निर्मित करने के लिए पहले ही सलाह दी गई है। अधिकांश राज्य सरकारों ने पहले ही ऐसी निधियों का गठन कर लिया है, यद्यपि सरकार का निधियों में अंशदान अपेक्षित स्तर तक नहीं रहा है। इस मामले में राज्य सरकारों को कहा जा रहा है।

कृष्णा नदी से मद्रास नगर को जल की सप्लाई

607. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा नदी से मद्रास नगर तक जल लाने पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी; और

(ख) इसके लिए क्या लक्ष्य-तिथि निर्धारित की गई है क्योंकि मद्रास नगर की मांग, यदि वीराणम जल सप्लाई तत्काल चालू हो भी गई तो उसके बावजूद दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर किशन लाल भगत) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आलू का निर्यात

608. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आलू के बाजार में प्रवेश करने और निर्यात के लिये बड़ी मात्रा में उनका स्टाक खरीदने का विचार है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आलू के निर्यात के वर्षवार आंकड़े क्या हैं और वर्ष 1976-77 के लिये आलू के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप देश में आलू का मूल्य बढ़ जाने की संभावना है जैसा कि गत वर्ष प्याज के मामले में हुआ था ; और

(घ) देश की वार्षिक आन्तरिक आवश्यकता कितनी है और क्या उसे अब पूरा किया जा सकेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) कुछ हद तक।

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान निर्यात की गई आलू की मात्रा नीचे दी गई है :—

	मात्रा (मीटरी टन)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1972-73	3,149	20,87
1973-74	3,784	23.56
1974-75	9,355	68.67

वर्ष 1976-77 के लिए आलू के निर्यात का लक्ष्य 30,000 मीटरी टन से अधिक है।

(ग) कुल निर्यात थोड़ी मात्रा में किया जाता है, इसलिए इससे मूल्य नहीं बढ़ेंगे। दूसरी तरफ उचित स्तर पर मूल्यों के स्थिर होने की संभावना है।

(घ) आलू की आन्तरिक आवश्यकताओं के संबंध में कोई ठीक-ठीक अध्ययन नहीं किया गया है। केवल देशी उत्पादन से ही पूरी आवश्यकता पूरी की जाती है।

Drop out at Secondary Stage

609. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) Whether out of crores of children and youth in the age group of 15 to 25 years in the country, only 1.25 crores go to attend Secondary Schools or Colleges;

(b) if so, whether the reasons for this is that either they do not get admissions or the education system itself is defective; and

(c) steps taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav) (a), (b) and (c). According to the existing pattern of university education the secondary stage is considered to be from classes IX—XI/XII for which the normal age group is 15—17/18. The enrolment figure for the year 1973-74 at this stage is about 1·11 crores.

While the State Governments have been striving to expand the facilities for Secondary Education as well as improve its quality the National Policy Resolution does not visualise universalisation of education at secondary level. It has been the experience of the Government that enrolment in colleges has expanded far too rapidly resulting in lowering of standards in many institutions and causing frustration among college graduates because of their inability to find suitable jobs. The strategy of development of higher education is that expansion of enrolment should be strictly regulated while ensuring that persons belonging to economically, socially and educationally backward sections of society are enabled to benefit from good quality higher education.

खेलकूद में महिलाओं द्वारा भाग लिया जाना

610. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी महिलाओं ने हाल ही में क्रिकेट सहित अनेक खेलकूदों में बड़े पैमाने पर भाग लेना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को ध्यान में रखते हुए देश में महिला खेलकूदों के संवर्धन हेतु एक बड़ी राशि की व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख). 1975 के दौरान महिलाओं द्वारा खेल कूदों में भाग लेने में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष समारोह के एक भाग के रूप में ब्लाक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर 1975 में महिलाओं के लिए विशेष खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। नवम्बर 1975 में, नई दिल्ली में आयोजित, राष्ट्रीय महिला खेलकूद समारोह में अनेक राज्यों की लगभग 1500 महिला-खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इन विशिष्ट खेलकूद कार्मक्रमों के लिए भारत सरकार ने 7 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की थी।

अगस्त-सितम्बर, 1975 के दौरान इंग्लैंड में आयोजित विश्व हाकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय महिला हाकी टीम प्रायोजित की गई थी और दिसम्बर, 1975–जनवरी, 1976 के दौरान मद्रास में अन्तर्राष्ट्रीय महिला हाकी टूर्नामेन्ट आयोजित किया गया था। इन दो प्रतियोगिताओं में भारत द्वारा भाग लेने के लिए कुल 2.34 लाख रुपये के अनुदान संस्वीकृत किए गए थे। 1975-76 के दौरान भारत में भारत-न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टैस्ट मैच, आयोजित किया गया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान, पटियाला ने भारतीय टीम को प्रशिक्षित किया था।

महिलाओं के खेलकूदों के प्रति उत्पन्न रुचि को भविष्य में बरकरार रखा जाएगा और इसके लिए भारत सरकार उपलब्ध स्त्रोतों की सीमा में वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता की व्यवस्था करेगी।

खाद्यान्नों की वसूली

611. **श्री समर गुह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य ने विगत मुख्य फसलों का वसूली के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये और प्रत्येक राज्य उन लक्ष्यों को कहां तक पूरा कर सका ;

(ख) वसूल की गई फसलों के लिए प्रत्येक राज्य ने कितना मूल्य अदा किया ;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने वसूल की गई फसल के लिये बोनस अथवा 'अतिरक्त राशि' अदा की ;

(घ) क्या किसी राज्य में ऐसी प्रमुख फसलों की स्वेच्छा से बिक्री की गई ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में भारतीय खाद्य निगम तथा चावल मिल-मालिकों द्वारा की गई वसूली संबंधी आंकड़े क्या हैं और प्रत्येक राज्य में चावल मिलों को क्या-क्या लाभ दिये गये ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है (विवरण--I)* ।

(ख), (ग) और (घ). इस संबंध में पूर्ण जानकारी राज्य सरकारों से प्राप्त की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) 47.24 लाख मीटरी टन की कुल अधिप्राप्ति में से, लगभग 14.90 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधा अधिप्राप्त किया गया था, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (विवरण—II)* जहां तक चावल मिल मालिकों द्वारा अधिप्राप्ति करने का सम्बन्ध है प्रत्येक चावल मिल मालिक के बही खातों के संदर्भ में ही अपेक्षित सूचना एकत्रित करनी होगी और इस सूचना को एकत्रित करने में जो समय लगेगा और प्रयत्न करने पड़ेंगे वे जिस उद्देश्य को प्राप्त करना हैं उसके अनुरूप नहीं होंगे। इसी प्रकार यह भी ठीक-ठीक बताना कठिन है कि प्रत्येक राज्य की चावल मिलों को यदि कोई लाभ दिए जाते हैं तो उनका क्या स्वरूप होगा।

भारतीय खाद्य निगम के खाद्य भंडार

612. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम के खाद्य भंडारों की संख्या कितनी है ;

(ख) (एक) भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व वाले अथवा उसके द्वारा निर्मित (दो) किराए पर लिए भंडारों, संरचनाओं या इमारतों का राज्यवार, क्या ब्यौरा है ;

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने वर्ष 1973 से 1975 के दौरान किराए पर ली गई ऐसी इमारतों के लिए कुल कितना किराया दिया ;

(घ) क्या किराए पर ली गई ऐसी इमारतों के चयन तथा उनका किराया निश्चित करने के मामलों में भ्रष्ट तरीके अपनाये जाने के बारे में विभिन्न स्तरों पर भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को शिकायतें मिली हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं तथा ऐसी शिकायतें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 1,542 ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) 1973-74 और 1974-75 के दौरान 11.68 करोड़ रुपये।

(घ) और (ङ). इस सम्बन्ध में जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है नियमों के अधीन उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

*[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 10442/76]

विवरण

राज्य का नाम	अपने गोदामों की संख्या	किराये के गोदामों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	21	92
असम	10	114
बिहार	16	39
दिल्ली	3	3
गुजरात	6	33
हरियाणा	24	37
हिमाचल प्रदेश	..	2
जम्मू एवं कश्मीर	1	4
केरल	16	54
कर्नाटक	8	19
महाराष्ट्र	10	31
मध्य प्रदेश	36	180
एन० ई० एफ० रीजन	3	29
उड़ीसा	14	38
पंजाब	91	16
राजस्थान	32	76
तमिलनाडु	9	31
उत्तर प्रदेश	36	176
पश्चिम बंगाल	16	216
जोड़	352	1190
सकल जोड़	1542	

भारतीय खाद्य निगम का पुनर्गठन

613. **श्री समर गुह :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का कोई पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इसकी कार्य संचालन व्यवस्था में विभिन्न मदों पर भारी खर्च कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) निगम ने किफायत करने संबंधी विभिन्न पग उठाए हैं जिनमें राज्य सरकारों के खाद्यान्नों की सप्लाई करने के लिए पूर्व-भुगतान की प्रणाली शुरू करना, वित्तीय और रोकड़ प्रबन्ध पर कड़ी निगरानी करना, आन्तरिक लेखा परीक्षा और प्रत्यक्ष जांच दलों को सुदृढ़ करना, किस्म नियंत्रण उपायों को लागू करना, कीटाणुओं, चूहों और पक्षियों पर नियंत्रण करने के लिए वैज्ञानिक तकनीक को अपनाना, और अधिक किफायती कवर तथा प्लिंथ भण्डारों का अधिक इस्तेमाल करना भी शामिल है । निगम ने प्रशासनिक लागत की नियंत्रण योग्य मदों जैसे समयोपरि और यात्रा भत्ते, स्टाफ कारों पर व्यय और टेलीफोन के खर्च में किफायत लाने के तीव्र कार्यक्रम को भी शुरू किया है ।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों का गिराया जाना

614. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में अभी और कितनी अनधिकृत कालोनियां गिराई जानी हैं ;

(ख) पुनर्वास कालोनियों में कितने लोग बसाये जा चुके हैं ;

(ग) दिल्ली के खिचड़ीपुर, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी तथा खेलगांव पुनर्वास कालोनियों में कितनी-कितनी उचित मूल्य की दुकानें, राशन की दुकानें, स्कूल, दुग्ध-केन्द्र, औषधालय, पेय जल की व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें दी गई हैं ;

(घ) क्या सरकार इन लोगों को वहां अपने मकान बनाने के लिए नकद या सामग्री के रूप: में कोई सहायता देगी ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) :(क) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों का अलग-अलग अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी ताकि इन कालोनियों के भविष्य के बारे में कोई निर्णय लिया जा सके । समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है । सरकार ने समिति की रिपोर्ट पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है अतः कोई निश्चित सूचना नहीं दी जा सकती ।

(ख) झुग्गी झोंपड़ी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत विकसित की गई पुनर्वास कालोनियों में लगभग एक लाख परिवारों को अब तक बसाया जा चुका है । इन में से लगभग 55,000 परिवारों को जुलाई, 1975 से बसाया गया है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने खेलगांव का पुनर्वास कालोनी के रूप में विकास नहीं किया है । खिचड़ीपुर, कल्याणपुर तथा त्रिलोकपुरी पुनर्वास कालोनियों के सम्बद्ध में स्थिति निम्न-लिखित है :—

72 पणन स्थलों, 9 स्थानीय पणन स्थलों, एक सब-डिस्ट्रिक्ट स्थल/समाज सदन की व्यवस्था है । प्रत्येक पणन स्थल में 72 छोटे शापिंग बूथों, तथा प्रत्येक स्थानीय पणन केन्द्र में 131 दुकानों की व्यवस्था है । उच्चतर माध्यमिक स्कूल के लिए 32 स्थलों तथा प्राथमिक स्कूलों के लिए 50 स्थलों की व्यवस्था है । पेय जल की व्यवस्था करने के लिए अब तक 480 हैण्ड पम्प लगाये

गए हैं। दो बस टर्मिनलों, एक कब्रिस्तान, दो अस्पतालों, एक कालिज, एक डाक तथा तार कार्यालय, एक अग्निशमन केन्द्र, 11 समाज सदनों, दो पुलिस स्टेशनों और 11 औषधालयों जैसी अन्य नागरिक सुविधाओं की भी व्यवस्था है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक 286 ट्यूब लाइटों तथा 408 बल्ब लाईटों की व्यवस्था की गई है। 530 सार्वजनिक शौचालय भी उपलब्ध किए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

शैक्षिक संस्थाओं की संख्या में वृद्धि

615. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूल स्तर की शैक्षिक संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लक्ष्य क्या हैं ;

(ग) वर्ष 1973-74, 1974-75 और 1975-76 में प्राइमरी, मिडिल तथा माध्यमिक स्कूलों को जाने वाले लड़कियों तथा लड़कों का क्या प्रतिशत है ; और

(घ) जनसंख्या की तुलना में उनका कुल अनुपात कितना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नरुल हसन) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) ब्यौरे अनुबंध i, ii तथा iii में दिए गए हैं। [1975-76 वर्ष से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 10443/76]

भूमिहीनों को केन्द्रीय सहायता

616. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या भूमिहीनों को जिन्हें 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि दी जा रही है, आवश्यक कृषि उपकरण तथा अन्य सामग्री प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सरकार का विचार सहायता देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार की सहायता दी जा रही है और प्रत्येक राज्य पर इसका क्या वित्तीय प्रभाव होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) और (ख) भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन द्वारा प्राप्त की फ़ालतू भूमि के अलाटियों को सहायता प्रदान करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की एक योजना तैयार की गई है। इस धनराशि को पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में खर्च करने का प्रस्ताव है। यह योजना उन क्षेत्रों

में लागू होगी जो लघु कृषक विकास एजेंसी, सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक, सुखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम और कमांड क्षेत्र विकास जैसी केन्द्रीय क्षेत्र की अन्य योजनाओं के अंतर्गत नहीं आते। इसमें फालतू भूमि के प्रत्येक अलाटी को खेती के लिए आवश्यक आदानों की खरीद और उनकी तत्काल खपत की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए प्रति मौसम प्रति हैक्टार 250 रुपए का अनुदान देने का प्रस्ताव है। यह सहायता पहले दो कृषि मौसमों के लिए देने का प्रस्ताव है।

आवंटित भूमि के एक भाग को खेतों के अंतर्गत लाने से पहले उसमें भूमि समतलन, कन्टूर बांध बनाना आदि जैसी भूमि विकास की सरल क्रियायें करने की जरूरत होगी। ऐसे प्रयोजनों के लिए उन अलाटियों को प्रति हैक्टार 500 रुपए की दर से सहायता देने का प्रस्ताव है जिनकी भूमि का विकास करने की आवश्यकता है। उन्हें इस धनराशि का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में और शेष 50 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जायेगा।

आवश्यक निधि की पहली किश्त राज्यों को निर्मुक्त की जा रही है। प्रत्येक राज्य की आवश्यकता का तत्काल अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि यह सहायता इस शर्त पर हो जाएगी कि वास्तव में कितनी भूमि का वितरण किया गया। अतः राज्यों द्वारा फालतू भूमि का वितरण कर लिए जाने के बाद उनकी आवश्यकताओं का समय समय पर हिसाब लगाना होगा।

सामुदायिक विकास खंड

617. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में सामुदायिक विकास खंडों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या कुछ राज्यों द्वारा विशेष रूप से पर्वतीय और पिछड़े राज्यों द्वारा जहां जनसंख्या बिखरी हुई है, इन खण्डों के क्षेत्राधिकार का पुनर्व्यवस्थापन करने और इस प्रकार उनकी संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो यह पुनर्व्यवस्थापन किस प्रकार का होगा और प्रत्येक राज्य में सामुदायिक विकास खंडों की संख्या में कितनी वृद्धि होने की संभावना है और इन प्रस्तावों को भारत सरकार के पास कहां कहां से भेजा गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में सामुदायिक विकास खंडों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) व (ग) यह विषय राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया है, इसलिए भारत सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

सामुदायिक विकास खंडों की राज्यवार संख्या

1. राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	
1. आन्ध्र प्रदेश	324*
2. असम	130
3. बिहार	587
4. गुजरात	218
5. हरियाणा	87
6. हिमाचल प्रदेश	69
7. जम्मू तथा कश्मीर	73
8. कर्नाटक	175**
9. केरल	144
10. मध्य प्रदेश	457
11. महाराष्ट्र	343
12. मणिपुर	14
13. मेघालय	24
14. नागालैंड	21
15. उड़ीसा	314
16. पंजाब	117
17. राजस्थान	232
18. तमिलनाडु	374
19. त्रिपुरा	17
20. उत्तर प्रदेश	875
21. पश्चिम बंगाल	335
22. अंडमान तथा निकोबार	5
23. अरुणाचल प्रदेश	43
24. चंडीगढ़	1
25. दादरा तथा नागर हवेली	2
26. दिल्ली	5
27. गोवा, दमन तथा दीव	12
28. लक्षद्वीप	4***
29. मिजोरम	20
30. पांडिचेरी	4
अखिल भारत	5026

* आंध्र प्रदेश ने सोपानवार श्रेणीकरण से अलग नया श्रेणीकरण (पिछड़े, सामान्य तथा प्रगतिशील खंड) शुरू किया है।

** कर्नाटक ने 1-4-1969 से खंडों का सोपानवार श्रेणीकरण समाप्त कर दिया है।

*** लक्षद्वीप ने इन खंडों का विशेष खंडों के रूप में श्रेणीकरण किया है।

Excavation of Places Connected With Lord Buddha in M.P.

†618. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education, Social Welfare And Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have under their consideration a proposal for carrying out excavations in those places in Madhya Pradesh which are directly connected with Lord Buddha ;

(b) number of Places at which excavations have been made so far ; and

(c) results of the excavations made so far in Madhya Pradesh ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) According to the Programme of explorations and excavations approved by the Central Advisary Board of Archaeology, there is no proposal to carry out excavations in Madhya Pradesh at places directly connected with Lord Buddha.

(b) The principal Buddhist sites so far excavated in Madhya Pradesh include Bharhut n District Satna, Sanchi in district Raisen and Sirpur in District Raipur.

(c) At Bharhut the Ground-plan of a *stupa* and a portion of the Great railing of the eastern gateway complex were brought to light. The latter was removed to the Indian Museum, Calcutta. At Sanchi, the remains of *Stupas*, monastries and temples were laid bare while at Sirpur remains of Buddhist Temples and Viharas were discovered including a swastika shaped monastery.

Irrigation Schemes of Madhya Pradesh Pending with Central Government

†619. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture and irrigation** be pleased to state :

(a) whether any big and medium irrigation schemes of Madhya Pradesh are pending with Central Government ;

(b) if so, the facts thereof ; and

(c) when are they likely to be cleared by the Central Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and irrigation (Shri K.N. Singh): (a) to (c) 14 major and 27 medium irrigation schemes of Madhya Pradesh are pending clearance with Government of India. Out of these 6 medium projects have been found acceptable by the Advisory Committee of the planning Commission for clearance.

3 major and 3 medium schemes are in Narmada Basin which are under dispute. Clearance these projects can be considered after the Narmada Dispute is resolved.

Comments on 6 major and 9 medium schemes have been sent to State Government and their replies are awaited. This includes one major scheme in Narmada Basin, accord for clearance of which was reached by agreement among the concerned states in March, 1975.

Remaining 5 major and 9 medium schemes are in various stages of scrutiny in the Central water Commission, Department of Agriculture and the Ministry of Finance.

These projects will be cleared for inclusion in the State's development plan after they are found technically feasible, economically viable and necessary funds made available by the State

Allocation for Urban and Rural Housing in 5th Plan

620. **Dr. Laxmi narayan pandeya**: Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) percentage of the total population of the country having no housing facility :

(b) percentage of the rural and urban areas out of it, separately and the name of the State having highest percentage thereof ; and

(c) amount allocated or estimated provision for urban and rural housing in Fifth Plan ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah): (a) and (b) It is presumed that information is required about those persons who are not staying in houses but living on pavements etc. According to the 1971 Census, the percentage of such houseless people in the country was 0·36 of the total population. The percentage of houseless population in rural and urban areas was 0·35 and 0·43 respectively. The States having highest percentage of houseless population were Maharshtra, Madhya Pradesh and Gujarat.

(c) The Fifth Plan document has not yet been finalised. However, in the draft Fifth Five Year Plan, a tentative provision of Rs. 348·00 crores has been made for urban and rural housing schemes in the Central and State sectors.

नकदी फसलों के लिये फसल रिपोर्ट बोर्ड

621. **श्री वसंत साठे** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समय पर कार्यवाही करने और नीति निर्धारण के लिए आवश्यक सूचना देने की दृष्टि से राज्य स्तरों पर उपयुक्त गठन करते हुए केन्द्रीय स्तर पर कपास तथा अन्य महत्वपूर्ण नकदी फसलों के लिए फसल रिपोर्ट बोर्ड की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) क्या हमारी आवश्यकताओं के लिए इसे अधिक कारगर और अनुरूप बनाने की दृष्टि से वर्तमान पद्धति का नवीकरण किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क), (ख) और (ग) कपास अथवा अन्य नकदी फसलों के लिए फसल सूचना बोर्ड स्थापित करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कपास सहित मुख्य फसलों के उत्पादन और क्षेत्र के आंकड़े सही सही और समय पर प्राप्त करने के उद्देश्य से योजना के अन्तर्गत दो स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं, इन योजनाओं में से एक का उद्देश्य प्रत्येक राज्य में 20 प्रतिशत चुने हुए गावों में बुवाई के पश्चात् शीघ्र ही प्राथमिक गणना के आधार पर मुख्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र का विश्वसनीय और सामाजिक अनुमान लगाना है। इस समय यह योजना नियमित सूचना एजेंसी वाले 13 बड़े राज्यों में चालू है। अन्य स्कीम में नमूने के 10,000 गांवों में पटवारियों द्वारा गहन परीक्षा के बाद गणना करने और प्रमुख फसलों के नमूने के 30,000 खेतों में फसल की कटाई के समय के अनुमान प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। कपास के लगभग 1,800 प्रयोगों का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण का फील्ड कार्य योजना मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का केन्द्रीय पर्यवेक्षक स्टाफ और राज्य सरकारों का पूर्णकालिक सांख्यकीय स्टाफ करता है।

Fixation of Sugarcane Prices

622. **Shri Janeshwar Mishra** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) how far the State Governments and the sugar mills have implemented decision regarding the sugarcane prices fixed by Government for the current year ; and

(b) whether sugarcane prices have increased or decreased *vis-a-vis* the rising cost of irrigation facilities and fertilisers as compared to that of last year ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan):(a) What the Central Government fix is only the statutory minimum cane prices payable by different factories under the system of partial control on sugar prices, the factories are in a position to, and do generally, pay for the cane prices higher than the statutory minimum prices. The higher prices are settled by negotiations between the factories and the growers, often through the good offices of the state Governments.

(b) The higher cane prices being paid in most of the zones this year are more or less the same as what were paid last year, and being based on negotiations, should be taken, by and large, to cover the cost of irrigation facilities, fertilisers, etc. Keeping in view the important need for maintaining the benefits already accuring from the several anti inflationary measure taken by Government.

Funds to Various Universites by U.G.C.

†623. **Shri Janeshwar Mishra** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether there is any check to ensure that the funds allocated by U. G. C. are utilised properly by the receiving universities ;

(b) whether Government have received complaints from several institutions about the misuse of funds provided by the University Grants Commission ; and

(c) if so, their names ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) The University Grants Commission makes grants to Universities and Colleges for approved schemes in accordance with the rules and procedures laid down for these schemes. Grants are released in suitable instalment after taking into consideration the report regarding the progress of expenditure. The universities and colleges receiving grant from the Commission are required to furnish audited statements of accounts and utilization certificates issued by the auditors.

(b) & (c) Complaints about misuse of grants sanctioned by the University Grants Commission to institutions are received by the Government as well as the Commission. Complaints have been received *inter alia*, in respect of the following institutions :

Name of the University

1 Allahabad

2 Bombay

3 Delhi

Name of the Colleges

1 Arya College, Ludhiana

2 Bajali College, Pathshala

3 Dayanand Education Society's Science College Latur.

4 Dayanand Education Society's Arts College, Latur,

5 D.S. College, Aligarh.

6 D.B.S. College, Kanpur.

7 Deogarh College, Sambalpur.

8 Gyan Mandir College, Neemuch.

9 Government College, Barwaha.

10 Government College, Kota.

11 Institure of Oreintal Philosophy, Vrindaban.

12 Jagjiwan College, Arrah.

13 K.L.S. Yadav College , Nawadah.

14 Nehru Smarak P.G. College, Chakghat, Rewa.

15 Panskura Banamal, College, Panskura.

16 R.L.S. Yadav College, Bakhtiarpur.

17 Ramakrishna Sarada Vidyamahapitha, Kamarpukar.

18 St. Satyamma Narsimha Rao Memorial College, Hayderabad.

19 Shankar College, Yadgiri.

20 Shaheed Kedar Nath Degree College, Mauganj.

21 S. M. D. R. S. D. College, Pathankot.

22 Vidyanagar College, Calcutta.

The Commission is taking necessary steps to verify the facts from the respective Universities/Colleges to be able to take appropriate action in each case.

Rights to form Associations by Students and Teachers

†624. **Shri Janeshwar Mishra :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) Whether Government have under their consideration a scheme for making radical changes in the pattern of education in the country during emergency;

(b) whether the rights of students and teachers to form associations have been curtailed under the said schemes; and

(c) Steps taken towards making radical changes in education in addition to the changes in regard to the formation of students unions or teachers associations ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Professor S. Nurul Hasan):

(a), (b) and (c) A Statement is enclosed.

Statement

(a), (b) and (c). The National policy on Education lays down the broad basis of the reorganisation of education in the conutry. Provisions of the National policy Resolution and a number of important measures of educational reform recommended by the Education Commission and modified by the Central Advisory Board of Education from time to time are being brought to the notice of the State Governments. The Ministry of Education has impressed upon the State Governments that the Emergency may be the occasion when these measures can be implemented on a priority basis.

2. The Central Advisory Boards of Education at its XXXVIII Session held at New Delhi on November 27-28, 1975 reviewed the entire question of educational reforms and adopted a number of resolutions on the reorganisation of education which have been forwarded to the State Governments and other concerned authorities for necessary action. The proceedings of the meeting are available in the Parliament Liberary.

3. The National Council of Educational Research and Training has published a curriculum of the 10-year school after detailed and extensive is discussion. This curriculum which is to serve as the basis for reorganisation of school education has been recommended to state Governments for adoption. A national conference of educationists was held in August, 1975 to discuss and finalised the curriculum. The NCERT is also preparing syllabus for the various classes on the basis of thisi currculum and curriculum for the +2 stage with emphasis on vocationalisation. A conference of District Education Officers was convened from 6--8 March, 1976 to discuss the implementation of the new educational pattern. A Conference of Directors of State Institutes of Education was held from 8—10 March, 1976 to discuss the steps to be taken for the reorganisation of Education in the light of the reforms adopted.

4. Non-formal education programmes to cover the youth has been introduced in 110 districts covering 1·5 lakhs young men and women. The National Council of Educational Research and training has taken up experiments in non-formal education for the age group 6—14 in rural areas.

5. An All India Conference of Principals was organised by the Delhi University on 4th and 5th October, 1975 with assistance from University Grants Commission to discuss some important aspects of higher education and to draw up proposals for a meaningful programme of action.

6. The University Grants Commission have, through Conference of Vice-Chancellors workshops of academic community. Zonal Workshops on Exanmination Reforms, formulated many programmes for re-casting higher education, on such as introduction of 10+2+3 pattern, quality improvement programmes including examination reforms· faculty improvement programmes, science and humanities improvement programmes, support for research and development of centralised facilities on inter-university basis and schemes relating to students amanities and youth development for implementation by the universities. With the implementation of these in right earnest, the distortions of academic life may be corrected and an atmosphere of disciplined study may be created.

7. The educational programmes included by the Prime Minister in her 20-point economic programme are being implemented vigorously. Essential commodities such as foodgrains, pulses, spices, vanaspati and other edible oils, tea and coffee, sugar and the like are being supplied to the students in university/college hostels and approved lodgings through consumer co-operative institutions at preferential/concessional rates. According to the reports available 2775 college and university hostels serving 2,31,317 student hostelers have been benefited. The average monthly saving of mess charges per student has been between Rs. 10 and Rs. 15 per mensum. To ensure availability of text-books and exercise book to the students at reasonable rates and in time, the Government of India are making available white printing paper at at concessional rate to the extent of 1·20 lakhs tonnes per year. As a result of this tangible reduction in prices of tex-books and prices of note-books and exercise books has been reported. The prices of exercise-books have been further reduced by 4 to 7 per cent. With the assistance of University Grants Commission 899 Banks Books have been opened in colleges and universities. 74587 Book Banks have also been opened in schools. These measures will ensure access of weaker and poorer sections of the community to higher education.

8. The Government gives considerable importance to participation of the students and teachers in improving educational standards. They are encouragd to form associations for constructive activities and all possible support is provided to such associations.

उर्वरकों के मूल्य में कमी

625. सरदार महेन्द्र सिंह गिल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरकों के मूल्य में कमी करने के लिए हाल में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उर्वरक बेचने के लिए कुछ उचित दर दुकानें खोली जायेंगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) दिसम्बर, 1975 में, फास्फेट और पोटाश के कतिपय उर्वरकों के मूल्यों में कमी की गई थी ।

(ख) आयातित उर्वरकों का नियतन राज्य सरकारों के नाम किया जाता है और राज्य में उर्वरकों के आंतरिक वितरण की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है उर्वरकों को बेचने के लिए उचित मूल्य की दूकानें खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

"एवार्ड" द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में सरकारी कर्मचारियों के सम्बद्ध होने के बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की जाँच

626. **श्री शशि भूषण** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एसोसियेशन आफ वालंटरी एजेंसीज फार रुरल डेवेलपमेंट द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के साथ सरकारी कर्मचारियों के किसी प्रकार सम्बद्ध होने के बारे में जानकारी है और इस संगठन तथा इससे सम्बद्ध संगठनों को दिए गए अनुदानों की राशि कितनी है ; और

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों के इस प्रकार सम्बन्ध होने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) व (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ग्रामीण विकास के लिये स्वैच्छिक एजेन्सी संघ

627. **श्री शशि भूषण** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी शांति प्रतिष्ठान ग्रामीण विकास के स्वैच्छिक एजेन्सी संघ से सम्बद्ध है ;

(ख) गांधी शांति प्रतिष्ठान तथा एवार्ड ने देश में "सम्पूर्ण क्रांति" आन्दोलन के लिए कितनी धनराशि दी ; और

(ग) देश में "सम्पूर्ण क्रांति" आन्दोलन के सम्बन्ध में गांधी शांति प्रतिष्ठान तथा अन्य संगठनों के कितने व्यक्ति जेल गये ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क), (ख) व (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने के लिए सरकारी एजेंसियों को अनुमति देना

628. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में शराब की दुकानें खोलने के लिए सरकारी एजेंसियों को अनुमति देने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

952(ai)LS—5

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किये गये मद्यनिषेध सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप प्रसासन द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है।

पाँचवीं योजना में स्कूल खोले जाना

629. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत खोले गए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की कुल संख्या कितनी है और उनमें कुल कितने छात्र हैं ; और

(ख) क्या इन स्कूलों में जरूरतमन्द छात्रों को दोपहर का भोजन दिया जाता है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर यथासमय, सभा को भेज दी जाएगी।

आलू की खेती के लिये मार्गदर्शी योजना

630. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आलू की खेती के लिये कोई मार्गदर्शी योजना बनाई है ; और

(ख) क्या इस योजना से इस वर्ष आलू निर्यात के लिए भी शेष रहेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राकृतिक आपदाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

631. **श्री अर्जुन सेठी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं पर होने वाले व्यय पूरा करने के लिए किन-किन राज्यों को उनकी वार्षिक योजना सहायता के लिए कुल कितना धन प्राप्त हुआ है ?**

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : सरकार ने वर्ष 1975–76 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय को पूरा करने के लिए निम्न राज्यों को योजना के लिए अग्रिम सहायता की स्वीकृति दी है :

(रुपये करोड़ में)

राज्य	आपदा	आवंटन
1. बिहार	बाढ़	9.75
2. गुजरात	बाढ़ तथा चक्रवात	9.15
3. उड़ीसा	बाढ़	7.55
4. राजस्थान	बाढ़	2.50
5. सिक्कम	सूखा	0.73
6. उत्तर प्रदेश	बाढ़	6.20
7. हिमाचल प्रदेश	भूचाल	इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

योजना के लिए इस अग्रिम सहायता में से 6–3–1976 तक निम्नलिखित धनराशि दी गई है :—

(रुपये करोड़ में)

राज्य	आपदा	6–3–1976 तक दी गई सहायता
1. बिहार	बाढ़	5
2. गुजरात	बाढ़ तथा चक्रवात	5
3. उड़ीसा	बाढ़	2.50
4. राजस्थान	बाढ़	1.25
5. सिक्कम	सूखा	0.73
6. उत्तर प्रदेश	बाढ़	2
7. हिमाचल प्रदेश	भूचाल	इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

और सहायता राज्य सरकारों द्वारा बताई गई व्यय की प्रगति के आधार पर दी जाएगी।

खेती की मशीनों के लिये किसानों को ऋण देने सम्बन्धी योजना

632. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय एक ऐसी प्रणाली लागू करने पर विचार कर रहा है जिसके अन्तर्गत ट्रैक्टर जैसी खेती की आधुनिक मशीनें उन किसानों को ऋण पर दी जाएंगी जो ऐसी मशीनें खरीदने में असमर्थ होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय ने राज्यों को भी ऐसे कोई निदेश जारी किये हैं ;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने इस बारे में कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो पंजाब सरकार को उक्त प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) कृषि और सिंचाई मंत्रालय ने राज्य कृषि उद्योग निगमों के माध्यम से 17 बड़े राज्यों में कृषि मशीनरी भाड़ा केन्द्रों की स्थापना के लिए योजना पहले ही प्रारम्भ कर दी है। इस योजना के अन्तर्गत इस समय 250 केन्द्र कार्य कर रहे है और ट्रैक्टर, पावर-टिलर, फ़सल काटने वाला यन्त्र, कम्बाइन आदि किसानों को किराए पर देते हैं। इनके अतिरिक्त, 2400 कृषि सेवा केन्द्र बेरोजगार उद्यमियों द्वारा भी स्थापित किए गए हैं और जो किसान इस प्रकार की मशीनरी नहीं खरीद सकते उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

(ख) विस्तृत हिदायतें उन राज्य सरकारों को भेज दी गई थी जहां कि उपरोक्त योजनाएं आरम्भ की गई है।

(ग) जी हां। पंजाब कृषि उद्योग निगम ने 12 मशीनरी भाड़ा केन्द्रों की स्थापना की है और किसानो को किराए पर ट्रैक्टर और कम्बाइन प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता देने के लिए तथा कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए कार्य कर रहे 149 अतिरिक्त कृषि सेवा केन्द्र काम कर रहे हैं जो किसानों को ट्रैक्टर एवं कम्बाइनों द्वारा कृषि संबंधी सेवाएं उपलब्ध कर रहे हैं।

(घ) भारत सरकार ने पंजाब कृषि उद्योग निगम को शेयर पूंजी के लिए समान योगदान के रूप में 113 लाख रुपये जमा कर दिए हैं। उद्योगियों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत तथा कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए दस लाख रुपये के अनुदान के रूप में इस निगम को दिए गए हैं।

निर्धन विद्यार्थियों को सहायता देने के लिये संस्थानों को वित्तीय सहायता

633. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्धन विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क देने और पुस्तकें खरीदने में सहायता करने के लिये संस्थानों को वित्तीय सहायता देने का एक प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितनी सहातया दी गई है ; और

(ग) कुल कितने विद्यार्थियों ने उक्त सहायता प्राप्त की ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री एस० नूरुल हसन): (क) से (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में छात्र-सहायता निधि योजना को लागू कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षण शुल्क देने और पुस्तक खरीदने के लिए निर्धन विद्यार्थियों को सहायता देने की व्यवस्था भी सम्मिलित है। आयोग निर्धन विद्यार्थियों के लिए पुस्तक बैंकों की स्थापना का भी समर्थन करता है। इन योजनाओं का लाभ बहुत भारी संख्या में छात्र उठा रहे हैं।

1973–74 तथा 1974–75 के दौरान, छात्र-सहायता निधि योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुदान संस्वीकृत किए गए थे :—

	1973–74	1974–75
विश्वविद्यालय . . .	2,00,919 रुपये	4,79,493 पये
कालेज . . .	39,34,433 रुपये	23,13,338 रुपये

वसूली बोनस योजना

634. श्री भान सिंह भौरा :
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों को गेहूं की वसूली के लिये वसूली बोनस दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए पात्र प्रत्येक राज्य को बोनस की कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या सरकार ने चावल वसूली के लिये भी इसी प्रकार की बोनस योजना तथा अन्य उत्पादन बोनस योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 1975–76 मौसम की गेहूं बोनस योजना के अधीन अब तक निम्नलिखित पांच राज्यों को भुगतान किए गये हैं जो इस प्रकार हैं :—

लाख रुपये में

हरियाणा . . .	60.74
पंजाब	219.64
उत्तर प्रदेश	99.25
राजस्थान	93.44
जम्मू तथा कश्मीर . . .	11.56

(ग) जी हां ।

(घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1975-76 मौसम के लिये चावल की प्रोत्साहन बोनस योजना

इस योजना के अधीन, बोनस का हिसाब चावल की उस मात्रा के आधार पर लगाया जाता है जिसे अधिप्राप्त करके केन्द्रीय पूल में दिया जाता है । केन्द्रीय पूल में अंशदान हेतु प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्य का प्रथम 50 प्रतिशत 3 रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से बोनस के लिए उपयुक्त होता है और प्रत्येक 25 प्रतिशत के दूसरे दो स्लैब पर क्रमशः 6 रुपये और 10 रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से बोनस मिलता है । लक्ष्य की मात्रा पर बोनस की औसत दर 5.50 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित की गयी है । लक्ष्य की मात्रा के अलावा केन्द्रीय पूल को सप्लाई की गई चावल की मात्राओं के लिए 15 पये प्रति क्विटल की दर से बोनस देना होता है ।

1975-76 मौसम के लिए चावल की उत्पादक बोनस योजना

उत्पादक बोनस योजना के अधीन, जो राज्य पिछले तीन मौसमों अर्थात् 1972-73 से 1974-75 के ैरान चावल के अपने औसत उत्पादन की कम से कम 15 प्रतिशत मात्रा अभिप्राप्त कर उपर्युक्त 15 प्रतिशत का केन्द्रीय पूल को कम से कम 70 प्रतिशत देंगे, वे बोनस के हकदार होंगे । तथापि अधिप्राप्त चावल की कुल मात्रा के आधार पर बोनस की राशि का हिसाब लगाया जाएगा । मात्राओं के स्लैब तथा बोनस की दरें इस प्रकार हैं :—

अधिप्राप्ति मात्राओं के स्लैब	बोनस की दर
औसत उत्पादन का पहला 5 प्रतिशत . . .	शून्य
औसत उत्पादन का दूसरा 5 प्रतिशत .	15.00 रु० प्रति मीटरी टन
औसत उत्पादन का दूसरा 10 प्रतिशत . . .	25.00 ,,
शेष . .	40.00 ,,

केरल में कन्नानूर लघु कृषक विकास एजेंसी

635. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कन्नानूर जिले में लघु कृषक विकास एजेन्सी ने अब तक कितनी प्रगति की है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस योजना के अन्तर्गत आने वाले लघु किसानों के सामने आने वाली कुछ समस्याओं की ओर केरल सरकार के कृषि मन्त्रालय को प्रस्तुत एक ज्ञापन द्वारा दिलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) उन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) लघु कृषक विकास एजेंसी, कन्नानूर को मार्च, 1976 को समाप्त होने वाली पंचवर्षीय परियोजना अवधि के लिए 1.50 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया था। एजेंसी ने आरम्भ से लेकर नवम्बर, 1975 तक 1.08 करोड़ रुपए की धनराशि का उपयोग किया है। 776 हैक्टेयर्स अतिरिक्त क्षेत्र कृषि के अन्तर्गत लाया गया है। एजेंसी ने लघु सिचाई यूनिटों, जिनमें सामूहिक निर्माण कार्य भी शामिल हैं, के गठन में 3892 भागीदारों की सहायता की। इसके फलस्वरूप सिंचाई के अन्तर्गत लगभग 7250 हैक्टेयर्स अतिरिक्त क्षेत्र लाया गया। लगभग 2565 भागीदारों की दुधारू पशु यूनिटों के गठन में सहायता की गई।

(ख), (ग) व (घ). केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मन्त्रालय (ग्राम विकास विभाग) को इसके बारे में जानकारी नहीं है।

नारियल का तेल

636. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नारियल के तेल के मूल्य में भारी कमी हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों में केरल में नारियल के मूल्यों में कितनी घट-बढ़ हुई थी;

(ग) उक्त अवधि में नारियल के तेल के मूल्य में कितनी घट-बढ़ हुई थी;

(घ) अभोज्य प्रयोजनों के लिये नारियल के तेल की कितनी प्रतिशतता का प्रयोग किया जाता है और यह प्रयोग किन-किन उद्योगों में किया जाता है; और

(ङ) नारियल का तेल निकालने वाले केन्द्रों अथवा राज्यों के नाम क्या हैं और राज्यवार कितनी मात्रा में तेल निकाला जाता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) वर्ष 1975–76 के दौरान खरीफ मूंगफली के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने की सूचना मिलने और विशेष रूप से आपात स्थिति की घोषणा के बाद से सरकार द्वारा किए गए मुद्रास्फीति निरोधी विभिन्न उपायों के कारण हाल के महीनों में अन्य तिलहनों के मूल्यों में गिरावट आने के फलस्वरूप नारियल के मूल्य भी कम हुए हैं।

(ख) तथा (ग) निम्नलिखित तालिका में 1973 से केरल में नारियल और नारियल के तेल के थोक मूल्य दिए गए हैं :—

थोक मूल्यों की स्थिति

वर्ष (जनवरी–दिसम्बर)	(रु० प्रति 1000 नारियल) नारियल (छिलका समेत) न्यूनतम	अधिकतम	(रु० प्रति क्विटल) नारियल का तेल न्यूनतम	अधिकतम
1973	525	1025	590	1330
1974	690	1075	990	1260
1975	500	1025	700	1060
1976 (जनवरी से 5 मार्च)	675	780	695	820

(घ) देश में नारियल के तेल के उपयोग के सम्बन्ध में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि तदर्थ अनुमान के अनुसार खाद्य प्रयोजनों में 40 प्रतिशत से कुछ ही कम और अखाद्य प्रयोजनों के लिये मुख्य रूप से प्रसाधनों और साबुन बनाने के लिये 60 प्रतिशत से कुछ ही अधिक तेल का प्रयोग किया जाता है।

(ङ) नारियल का तेल निकालने के मुख्य केन्द्रों/राज्यों और कुल निकाले जाने वाले तेल में उनका प्रतिशत हिस्सा नीचे दिया गया है :—

केरल	47
महाराष्ट्र . .	37
पश्चिम बंगाल . . .	6
तमिलनाडु . . .	5
कर्नाटक	4
आंध्र प्रदेश .	1

केरल में कन्नानूर केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना

637. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों और राज्य सरकार से केरल में कन्नानूर में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किये जाने के बारे में ज्ञापन प्राप्त हुए थे; यदि हां, तो उस बारे में क्या निर्णय किया गया है;

(ख) वर्ष 1975–76 में किन-किन केन्द्रों में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार कन्नानूर के मामले पर अगली बार विचार करने का है;

(घ) कन्नानूर में सशस्त्र बल के सैनिकों सहित एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादला किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) उन प्रत्येक स्थानों पर ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जहां वर्ष 1975–76 में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाना मंजूर किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ङ). विवरण संलग्न है।

विवरण

(क), (ख), (ग), (घ) और (ङ). केन्द्रीय विद्यालय संगठन को कन्नानूर में केन्द्रीय स्कूल खोलने के लिए कुछ संस्थाओं से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। नागरिक क्षेत्र (सिविल सेक्टर) में एक वर्ष में केवल चार केन्द्रीय स्कूल खोलने की ही व्यवस्था है। किसी स्थान पर स्कूल खोलने के लिए मुख्य

आवश्यकताओं में एक यह है कि वहां सुरक्षा सेवाओं के अथवा केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों अथवा भारत सरकार के उपक्रमों के अलग-अलग अथवा संयुक्त रूप से कम से कम 500 कर्मचारियों का समूह स्थित हो और प्रारंभ में ही स्कूल की विभिन्न कक्षाओं में कम से कम 3200 बच्चे दाखिला लेने के लिए इच्छुक हों। केन्द्रीय स्कूल के लिए मांग प्रस्तुत करने वाली संस्था को संगठन को लगभग 15 एकड़ भूमि निःशुल्क देने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। कन्नानूर में एक केन्द्रीय स्कूल खोलने की मांग की जांच की गई थी, किन्तु चूंकि निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की गई थीं, इसलिए कन्नानूर में केन्द्रीय स्कूल खोलना सम्भव न हो सका। कन्नानूर में केन्द्रीय स्कूल खोलने के लिए हाल ही में की गई मांग के उत्तर में संस्था से फिर से ब्यौरे भेजने के लिए कहा गया है ताकि संगठन उक्त विषय पर पुनः विचार कर सके। सशस्त्र सेना के सैनिकों सहित एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरणीय कर्मचारियों की संख्या के बारे में भी सूचना एकत्र की जा रही है।

1975-76 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर केन्द्रीय स्कूल खोले गए थे। इन स्थानों में से प्रत्येक में स्थानान्तरणीय कर्मचारियों की संख्या भी दिखाई गई है।

स्थान का नाम	स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या
नागरिक क्षेत्र	
1. धनबाद	5,000
2. खुरदा रोड	2,050
3. झारोदाकलां	4,200
4. कोलीवाडा (बम्बई)	15,000
सुरक्षा क्षेत्र	
1. पटियाला	5,600
2. अमृतसर	11,850
3. मऊ	6,190
4. बैरागढ़	5,500
5. बीदर	1,350
6. तलपत	5,600
7. योल	1,500
8. अरूवनकाडु	1,650
सार्वजनिक उपक्रम तथा स्वायत्त निकाय	
1. हरिद्वार	(बी० एच० ई० एल०)
2. सिंग्रौली	(राष्ट्रीय कोयला विकास निगम)
3. रामागुन्डम	(हिन्दुस्तान जिंक लि० जावर माइन्स)
4. कोरवा	(भारत अल्युमीनियम कं०)

ये स्कूल मुख्य रूप से उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए ही खोले गए हैं क्योंकि इन स्कूलों का सम्पूर्ण खर्च उपक्रम वहन करते हैं।

जनकपुरी, नई दिल्ली में विशेष केन्द्रीय विद्यालय के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मंजूर किया गया भूखंड

638. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उस समय जनकपुरी, नई दिल्ली में अस्थाई जगह पर चल रहे विशेष केन्द्रीय विद्यालय के लिये कोई भूखण्ड मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त भूखण्ड कहां पर है और उसका क्षेत्रफल कितना है और उसकी मंजूरी किस तिथि को दी गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विद्यालय के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए जो कश्मीर से लेकर नागालैंड तक हिमालय की सीमा पर बसे राज्यों के छात्रों की आवश्यकता पूरी करता है और वर्ष 1963 में चलाया गया था इसके लिये किस सम्भावित तिथि तक भूखण्ड मंजूर किया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) तथा (ख). महरौली-बदरपुर रोड पर स्कूल चलाने हेतु एक स्थल का आवंटन करने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण को विद्यालय से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। स्कूल प्राधिकारियों से कहा गया है कि वे प्रस्तावित स्थल के लिये स्थान निर्धारण प्लान प्रस्तुत करें। दिल्ली विकास प्राधिकरण को वह अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) स्थान निर्धारण प्लान प्राप्त होने के बाद ही मामले पर आगे की कार्यवाही की जा सकती है।

Mini Tube-Well in U. P.

639. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the former Irrigation and Power Minister Dr. K. L. Rao had during his tour of Ballia assured installation of mini tube-wells on the alluvial land of the Ganga and the Ghaghra ; and

(b) if so, the reasons why the same have not been installed so far ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah awaz Khan) : (a) There is no written record to show that any such assurance had been made.

(b) Does not arise in view of the (a) above.

नारियल का तेल

640. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नारियल तेल का प्रयोग बड़ी मात्रा में औद्योगिक प्रयोजनों के लिये भी किया जाता है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से उक्त तेल को औद्योगिक उत्पाद घोषित करने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बेरोजगार महिलाओं को रोजगार दिलाने की योजना

641. **मौलाना इसाहक सम्भली** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष संबंधी राष्ट्रीय समिति ने महिलाओं के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यह योजना बेरोजगार महिलाओं को रोजगार दिलाने में कहां तक समर्थ होगी ; और

(घ) महिलाओं के लिये बनाई गई इस योजना को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समिति ने महिलाओं के लिये योजना नहीं बनाई है । फिर भी अपनी विदाई बैठक में इसमें महिलाओं के लिये कार्य की राष्ट्रीय योजना की रूपरेखा का समर्थन किया था, जिसे समाज कल्याण विभाग द्वारा तैयार किया गया था ।

(ख) राष्ट्रीय योजना में अन्य बातों के साथ साथ शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के लिये अवसरों को बढ़ाये जाने तथा उन के स्वास्थय की देखभाल के लिये सेवाये प्रदान करने के लिये विधायी और प्रशासनिक कार्यवाई तथा स्वयंसेवी प्रयत्न किये जाने की व्यवस्था है ।

(ग) और (घ) महिलाओं के लिये राष्ट्रीय योजना मुख्यतया महिलाओं के लिये रोजगार योजना नहीं है । इसका उद्देशय सभी क्षेत्रों, शैक्षिक कानूनी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में मंत्रियों के विकास के लिये स्थिति और अवसरों की समानता प्राप्त करना है । राष्ट्रीय लक्ष्य के इस ढांचे के भीतर पूर्ण आर्थिक सहयोग के लिये विशिष्ट उद्देश्यों का संबंध विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में वेतन रोजगार को बढ़ाया जाना तथा अपना रोजगार चलाये जाने से है ।

यद्यपि ये लक्ष्य इस प्रकार के हैं कि प्रत्येक अंश के लिये कोई समय सीमा निर्धारित करना कठिन है, तो भी यथा साध्य उद्देश्य को शीघ्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा सभी सम्भव उपाय किये जायेंगे।

गैर-हिन्दी क्षेत्र में हिन्दी विश्वविद्यालय

642. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राष्ट्रभाषा हिन्दी के उन्यन हेतु प्रायोगिक तौर पर किसी गैर हिन्दी क्षेत्र में एक हिन्दी विश्वविद्यालय खोलना चाहती है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आलू का निर्यात

643. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत चालू वर्ष के दौरान लगभग 30,000 टन आलू निर्यात करेगा, और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत से आलू का आयात कर रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) सुदूरपूर्व मध्य पूर्वी और यूरोपीय देश भारत से आलू आयात करने वाले देश हैं।

संसद् भवन, नई दिल्ली के निकट सरदार भगत सिंह की प्रतिमा

644. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत फरवरी के मध्य में बैंगलौर में स्वतन्त्रता सेनानियों की बैठक हुई थी ;

(ख) क्या उक्त बैठक में एक संकल्प के माध्यम से राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार से स्वाधीनता संग्राम के शहीदों के समुपयुक्त स्मारक बनाने का देश व्यापी कार्यक्रम आरम्भ करने का अनुरोध किया गया था ;

(ग) क्या इस ने एक विशेष संकल्प के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया था कि सरकार भगत सिंह की प्रतिमा संसद भवन के निकट स्थापित की जाये जिसके साथ इस शहीद का ऐतिहासिक संबंध था ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क), (ख) तथा (ग) : जी हां।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि सरदार भगत सिंह मार्ग के पार्क में सरदार भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने का उनका प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव का अनुमोदन दिल्ली नगर कला आयोग ने कर दिया है।

सरकार यह निश्चय कर चुकी है कि दिल्ली में एक ऐसा स्मारक स्थापित किया जाए जिसमें प्रतिमाओं की संरचना यह दर्शायें कि गांधी जी अपने पीछे अनुयायियों के समूह का दृढ़ संकल्प के साथ नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह स्वतंत्रता संग्राम में समाज के विभिन्न वर्गों के सभी शहीदों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व होगा।

बाढ़ से फसल को क्षति

645. **श्री एस० एम० मुरुगनन्तम** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ से प्रत्येक वर्ष फसल को बहुत अधिक क्षति होती है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कुल कितनी क्षति होने का अनुमान है;

(ग) प्रत्येक राज्य में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से कौन कौन से हैं ; और

(घ) इस समस्या को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) : बाढ़ों से फसलों को प्रति वर्ष भिन्न भिन्न स्तरों की क्षति पहुंचती है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर बाढ़ों द्वारा प्रतिवर्ष औसतन फसली क्षेत्र लगभग 29 लाख हैक्टेयर प्रभावित होता है तथा प्राप्त सूचना के अनुसार चालू वर्ष (1975) में फसली क्षेत्र 38.5 लाख है० को क्षति पहुंची है जिस की लागत 271 करोड़ रुपये है।

(ग) बाढ़ों द्वारा क्षतिग्रस्त कुल क्षेत्र और फसली क्षेत्र के औसतन आंकडों का राज्य वार विवरण संलग्न हैं।

(घ) बाढ़ नियंत्रण राज्य विषय है तथा बाढ़ नियंत्रण स्कीमों को तैयार करने और उस के साथ ही उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। 1954 में बाढ़ नियंत्रण उपाय देश भर में आरम्भ किये गये थे और अब तक विभिन्न बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर 390 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है। बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत योजना प्रावधानों में क्रमिक रूप से लगातार वृद्धि की जा रही है जो प्रथम योजना में 13.21 करोड़ पये से बढ़कर पांचवीं योजना में 281 करोड़ रुपये हो गई है। कई अन्य कटाव रोधी उपायों के क्रिया-न्वयन के अलावा लगभग 8,045 किलोमीटर की लम्बाई के तटबंध, 15,900 किलोमीटर की जल निकासी चैनलें, 213 नगर सुरक्षा स्कीमे तथा 4,665 गांवों को ऊंचा किया जाने का कार्य पूर्ण हो चूका है। इन उपायों के साथ 250 लाख हैक्टेयर भूमि की जिसे बाढ़-प्रवण क्षेत्र के रूप में मान लिया गया है, में से 79 लाख हैकटेयर को युक्तियुक्त बाढ़ सुरक्षा प्रदान करना संभव हो सका है। राज्यों द्वारा अपेक्षाकृत गंभीर बाढ़ समस्या वाले क्षेत्रों में व्यापक योजनाओं को बनाने और उन का समन्वित और प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वियन करने के लिये विशेष संगठनों को स्थापित किया गया है। ये संगठन असम में ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग

और पश्चिम बंगाल में उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग है। केन्द्र ने गंगा बैसिन में बाढ़ नियंत्रण की व्यापक योजना को तैयार करने के लिये तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इसका समन्वित कार्यन्वयन करने के लिये पटना में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की है।

देश में बाढ़ समस्या का व्यापक पुनरीक्षण करने के लिये अब तक किये गये कार्यों का मूल्यांकन करने और भविष्य में इस समस्या को सुलझाने के लिये अपनाये जाने वाले तरीकों का सुझाव देने के हेतु और बाढ़ नियंत्रण उपायों के शीघ्र कार्यन्वयन के लिये आवश्यक संगठन एवं वित्तीय प्रबंधों को करने हेतु एक राष्ट्रीय बाढ़ आयोग को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

विवरण

1973 से 1975 की अवधि के दौरान बाढ़ों से हुई औसतन क्षति का विवरण

राज्य	कुल प्रभावित क्षेत्र लाख है० में औसत	प्रभावित फसली क्षेत्र लाख है० में औसत
1. आंध्र प्रदेश	2.1	1.5
2. असम	9.4	1.5
3. बिहार	11.6	5.8
4. गुजरात	2.8	2.1
5. हरियाणा	1.7	1.0
6. हिमाचल प्रदेश	0.3	0.1
7. जम्मू और कश्मीर	0.2	0.1
8. कर्नाटक	0.1	0.1
9. केरल	2.2	0.2
10. मध्य प्रदेश .	1.5	1.2
11. महाराष्ट्र .	0.6	0.4
12. मणिपुर . .	0.1	नगण्य
13. मेघालय .	0.1	0.1
14. नागालैंड . .	नगण्य	नगण्य
15. उड़ीसा . .	6.7	3.0
16. पंजाब . .	2.8	1.7
17. राजस्थान . .	1.9	0.9
18. तमिल नाडू . .	0.7	0.3
19. त्रिपुरा . . .	0.5	0.1
20. उत्तर प्रदेश . .	19.0	10.0
21. पश्चिम बंगाल . .	7.2	2.8
22. दिल्ली . . .	0.1	0.1
भारत के लिये औसत . .	69.8	29.4

खेल के मैदानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की योजना

647. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल के मैदानों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता की कोई विशिष्ट योजना है; और

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सरकार ने इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी सहायता की सिफारिश की है और इस सिफारिश के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी सहायता दी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविंद नेताम) :

(क) जी हां।

(ख) कर्नाटक सरकार द्वारा अब तक जितने भी प्रस्तावों की सिफारिश की गई है, उनमें से अधिकांश शैक्षिक संस्थाओं के उन खेल-मैदानों के विकास से संबंधित है, जो केन्द्रीय योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। बाकी मामलों में कुछ महत्वपूर्ण सूचना नहीं दी गई थी। यह सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है तथा उस की प्रतीक्षा है। अतः कर्नाटक में खेल के मैदानों के विकास के लिये इस योजना के अधीन अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

कर्नाटक में एक जिले से दूसरे जिले में धान तथा चावल लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध

648. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में एक जिले से दूसरे जिले में धान और चावल लाने-ले-जाने पर प्रतिबंध हैं;

(ख) दक्षिण कनारा जिले में धान तथा चावल ले जाने पर लेवी लगाने का उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) क्या लेवी के माध्यम से एकत्रित धान जिले में कमजोर वर्गों के लोगों में नहीं बांटी जाती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकारी वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चावल और धान पर लेवी ली जाती है। इस प्रकार प्राप्त किया गया चावल/धान अधिप्राप्त स्टाक के अंतर्गत ही होता है जिसे सामान्य वितरण नीति के अनुसार वितरित किया जाता है जिसमें समाज के कमजोर वर्गों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाता है।

वायरस के कारण दाल और टमाटर की क्षति

649. **श्री पी० गंगादेब** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि पौधों में वायरस के कारण दालो और लोकप्रिय किस्मों के टमाटर की फसल को भारी क्षति पहुंची है ;

(ख) क्या 'लीफकर्ल' वायरस सबसे अधिक व्यापक हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार खरीफ के मौसम के दौरान हरियाणा राज्य में उगायी जाने वाली उड़द तथा मूंग की फसलों को पीले मोजेक, चित्तीदार मोजेक तथा पत्ती मरोड़ विषाणु रोग के प्रति ग्राही पाया गया है। हालांकि इन विषाणु रोगों को देखा तो अवश्य गया है, परन्तु इनके कारण होने वाली हानि का अनुमान नहीं लगाया गया।

हरियाणा के टमाटर उगाने वाले सभी क्षेत्रों में व्यापारिक स्तर पर उगायी जाने वाली टमाटर की पूसा रूबी, साइक्स तथा एम—12 किस्मों को "पत्ती मोड़क' रोग से ग्रसित पाया गया। इस विषाणु रोग से उपज काफी घट जाती है ।

(ख) हां राज्य के टमाटर उगाने वाले क्षेत्रों में पत्ती मोड़क विषाणु रोग का काफी प्रभाव पाया गया है ।

(ग) हरियाणा कृषि विश्व विद्यालय द्वारा विकसित टमाटर की एच० एस, 101 किस्म जिसकी व्यापारिक स्तर पर उगाने हेतु सिफारिश की गई है, विषाणु यह किस्म है। इस किस्म से विषाणु रोग द्वारा होने वाली हानि से काफी हद तक मुक्ति मिली है । विषाणु रोधी स्रोतो की खोज जारी है ।

दालो में रोग फैलाने वाले रोग वाहकों के रासायनिक नियंत्रणों की सिफारिश की गई है । फिर भी, विषाणु रोधी दालों की किस्मो के चयन सम्बन्धी प्रयास जारी है ।

तमिलनाडु में मत्स्यपालन

650. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित कई योजनाओं से तमिलनाडु में मत्स्यपालन में आमूल परिवर्तन होने की सम्भावना है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस राज्य के मछेरों को कोई सहायता देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तमिलनाडु में चालू केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का इस क्षेत्र के मत्स्य की विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा है ।

(ख) तथा (ग) किसी भी केन्द्रीय या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में मछुआओं को प्रत्यक्ष सहायता देने की व्यवस्था नहीं है । सामान्य रूप से आवस्थापनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था के लिये सहायता दी जाती है ।

क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आदित्यपुर को विश्वविद्यालय में बदलना

651. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमशेदपुर के निकट आदित्यपुर में स्थित क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को विश्व-विद्यालय में बदलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कपूरथला हाउस प्लाट

652. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपूरथला हाउस प्लाट में जो केरल सरकार का है, लगभग चार एकड़ भूमि देने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) क्या केरल सरकार को सूचित किया गया था कि केन्द्रीय सरकार कपूरथला हाउस प्लाट को देने के बजाय कोई अन्य भूमि देने का प्रयत्न कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में ताड़ तेल का उत्पादन

653. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री केरल में ताड़-तेल के उत्पादन के लिये सहायक कम्पनी के बारे में 17 मार्च, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 381 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल बागान निगम लिमिटेड को ताड़-तेल के उत्पादन के लिये केन्द्रीय ऋण देने के बारे में केन्द्रीय सरकार के निर्णय में विलम्ब के कारण बागान कार्यक्रम में काफी कमी हुई है जैसा कि परियोजना के प्रतिवेदन में बताया गया है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं।

952 (Ai) LS—6

(ख) 1973-74 तक ताड़-तेल के अन्तर्गत 530 हैक्टर क्षेत्र के लिये जाने के लक्ष्य की तुलना में वास्तव में 550 हैक्टर क्षेत्र लिया गया है। 1974-75 में 300 हैक्टर नए क्षेत्र में पौध-रोपण किया जाना था, परन्तु मलेशिया से, जो कि अच्छी किस्म के बीजों की सप्लाई का प्रमुख स्रोत है, बीज न मिलने के कारण ऐसा नहीं हो सका।

पौधरोपण निगम केरल लि० को ऋण देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और इस संबंध में यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

केरल में नारियल बागान

654. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रुग्ण तथा अनुत्पादक नारियल बागान को पुनः लगाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना लागू की जा रही है ;

(ख) क्या सरकार उक्त योजना के अन्तर्गत नारियल की पौध के मूल्य में 50 प्रतिशत की राजसहायता देने पर सहमत हो गई है ;

(ग) क्या राज्य सरकार इसके लिये बार-बार शत प्रतिशत राज सहायता की मांग करती रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) केरल राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने योजना के अन्तर्गत नारियल की पौध पर शत-प्रतिशत राजसहायता स्वीकार की है। भारत सरकार की स्वीकृति राज्य सरकार को 24-9-1975 को भेज दी गई थी ?

Financial assistance to Cultural Organisations in Bihar

655. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government grant financial assistance to cultural organisations in various States in the country every year ;

(b) if so, the particulars of the cultural organisations in Bihar who applied for grants during 1975-76; and

(c) Particulars of the organisations sanctioned grants by Central Government together with the amounts so sanctioned to them :

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) A Statement is attached. [Placed in Library. *See* No. L. T. 10444/76]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ऐतिहासिक किलों को अधिकार में लेना

656. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किलों को सेना से अपने अधिकार में ले रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) यह निश्चय किया गया है कि सर्वेक्षण को केवल उन इमारतों को छोड़कर, जहां पर सेना की प्रतीकात्मक उपस्थिति आवश्यक समझी गई है, इस समय सेना के अधीन क्षेत्रों को रखरखाव के उद्देश्य से अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। सेना के प्राधिकारियों से इमारतों को खाली कराने के लिए एक चरणात्मक कार्य-क्रम बनाया गया है । दिल्ली (लाल किला) और आगरा के किलों के बारे में पहला चरण कार्यान्वित हो रहा है ।

केरल में अनानास के लिए "पैकेज कार्यक्रम"

657. **श्री ए० के० गोपालन : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के क्वीलोन, त्रिचूर, मल्लापुरम और कन्नानोर जिलों में अनानास उगाने के 'पैकेज कार्यक्रम' को स्वीकृति प्रदान कर दी है ;

(ख) यह योजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए कब भेजी गई थी;

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) स्वीकृति कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) अभी नहीं ।

(ख) यह योजना फरवरी, 1976 में प्राप्त हुई थी।

(ग) इस प्रस्तावित योजना में क्वीलोन, कोट्टायम, त्रिचूर, मल्लापुरम और कन्ननूर जिलों में, पैकेज प्रदर्शनों का संगठन और अनानास की खेती के अन्तर्गत 3,000 हैक्टार का क्षेत्र लाने का विचार है ।

(घ) इस मामले में निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा।

वायनाड वन्य जीव शरणस्थल में 'प्रोजेक्ट टायगर'

658. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन्य जीव संरक्षण बोर्ड ने वायनाड वन्य जीवशरण स्थल में 'प्रोजेक्ट टाइगर' का विस्तार करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) सरकार बाघ परियोजना को केरल के वायनाड आश्रयस्थल और तमिलनाडु के मुदुमलाम आश्रयस्थल के निकटवर्ती क्षेत्रों में बढ़ाने के प्रश्न पर 1973 से विचार कर रही थी। प्रशासनिक कठिनाइयों और इस तथ्य

को दृष्टिगत रखते हुए कि बंदीपुर बाघ आरक्षण के मौजूदा क्षेत्र बहुत बड़े आकार के हैं और इनमें पशु एवं वनस्पति भी नए क्षेत्रों जैसे ही हैं, इन नए क्षेत्रों को शामिल करना जरूरी नहीं समझा गया था। 31 दिसम्बर, 1974 को हुई दक्षिणी क्षेत्र परिषद की बैठक में भी यही निर्णय किया गया था। इस मामले पर फिर से विचार करने के लिए तब से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

12-Point Prohibition Programme

659. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) points, out of the 12-point prohibition programme arranged by Government, implemented by the State, State-wise indicating the steps taken by them in this regard ; and

(b) total quantity of liquor, in litres, sold in each State during 1973, 1974 and 1975 year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) A statement is attached.

(b) Information regarding sale is not readily available, but according to information available, the consumption in the country appear to be of the following order :—

quantity in kilolitres

Year	Bear	IMFL	country liquor
1972 . .	50472	27875	34148
1973 . .	57745	22271	42579
1974 . . .	58611	26800	42579

Statement

A number of points included in the minimum programme for bringing about a reduction in the consumption of alcoholic beverages have been accepted by several States and Union Territories as per details furnished below :—

Measures Suggested	*Names of States/Union Territories who have agreed to implement the measures*
1. Discontinuance of advertisement and inducesements relating to drinks.	Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Manipur, Uttar Pradesh, Andaman & Nicobar Islands, chandigarh and Delhi.
2. General restriction on public drinking .	Andhra Pradesh, Assam, Jammu & Kashmir, Kerala, Manipur, Maharashtra, Nagaland, Orissa, Punjab, Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh, Tripura, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh and Himachal Pradesh.
3. Banning of liquor shops on Highways, residential areas in towns and villages, educational institutions, religious places and colonies of labourers.	Andhra Pradesh, Assam, Jammu & Kashmir, Kerala, Manipur, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Delhi and Goa, Daman and Diu.

4. Pay days to be uniformly dry days	Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Andaman & Nicibar Islands, Dadra and Nagar Haveli, Delhi, Tripura, Madhya Pradesh, Maharashtra.
5. Banning of sale of liquor to young people..	Andhra Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Manipur, Maharashtra, Karntaka, Orissa, Punjab, West Bengal, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Haryana, Delhi, Nagaland, Tripura, Madhya Pradesh and Bihar.

(2) Further reports from the State Governments are awaited. These will be discussed at the forthcoming meeting of the Central Prohibition Committee.

Practice of Carrying Night Soil on heads

660. **Shri M. C. Daga :**
Shri Priya Ranjan Das Munsi : Will the **Minister of Works and Housing** be pleased to state:

(a) Whether a memorandum, signed by 82 members, was presented to Prime Minister in February, 1976 demanding that a legislation should be enacted for putting an end to the practice of carrying night soil on heads and if so, action taken by Government thereon; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri H.K.L. Bhagat): (a) & (b) Yes Sir. The subject matter of the legislation desired by the Hon'ble members of Parliament falls within the jurisdiction of the State Governments. The feasibility of such a legislation has to be considered by the State Governments.

Prosecutions under wild life (Protection) Act

661. **Shri M. C. Daga :** Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state the number of persons challaned in the country during 1973 and 1974-75 under the Wild Life (Protection) Act. and number of persons punished, the periods of their sentences and the nature of offences for which they were punished?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

चौथी और पाँचवी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान युवक सेवाओं के लिए नियतन

662. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रों में युवक सेवाओं और युवक कल्याण के लिये कुल कितनी धनराशि नियत की गई ;

(ख) क्या चौथी योजना में दी गई पूरी धनराशि का उपयोग किया गया ; और

(ग) देश में गैर-विद्यार्थी युवकों की संख्या कितनी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क)	चौथी योजना में विनिधान	1642 लाख रु०
	पांचवी योजना में विनिधान	3230 लाख रु०
	कुल	4872 लाख रु०

(ख) जी, नहीं।

(ग) सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह अनुमान है कि 1971 की जनगणना के अनुसार 15–24 वर्षों के आयु वर्गों में गैर-छात्र युवकों की संख्या लगभग 760 लाख हैं।

राष्ट्रीय युवा बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में अनुवर्ती कार्यवाही

663. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युवा कार्यक्रम बनाने तथा प्रायोजन के लिये राष्ट्रीय युवा बोर्ड की पिछली बैठक कब हुई थी ;

(ख) बोर्ड द्वारा की गयी सिफारिशों पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ;

(ग) सिफारिशों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये इन सिफारिशों पर ध्यान देने के लिये क्या विशिष्ट तथा प्रभावी व्यवस्था है; और

(घ) क्या स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता दिये जाने के लिये दिये गये आवेदन पत्रों की जांच करने के लिये अभी तक कोई समिति नहीं बनाई गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय युवक मण्डल की पिछली बैठक दिसम्बर, 1970 में हुई थी। इसने राज्य और जिला युवक मण्डलों की नियुक्ति करने के लिए सिफारिश की। राज्य सरकारों से राज्य स्तर पर युवक मण्डलों की नियुक्ति करने के लिए अनुरोध किया गया। नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय युवक मण्डल ने युवक केन्द्रों; कार्य केन्द्रों की स्थापना के लिए, खेल के मैदानों का विकास करने के लिए, युवक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और साहसिक कार्य की सुविधाओं की व्यवस्था करने से सम्बन्धित कुछ मामलों की भी सिफारिश की है। सरकार ने इनमें से अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और कार्यान्वयन के लिए योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। प्रत्येक योजना में आवश्यक अनुवर्ती उपायों की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, युवक कार्यक्रमों से सम्बन्धित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

सड़े हुए माइलो की सप्लाई

664. **श्री शशि भूषण** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विषैले बीजों से युक्त सड़े हुए माइलों की सप्लाई सम्बन्धी मामले की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ख) क्या इस मामले में कुछ भारतीय अधिकारी जिम्मेदार पाये गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) निर्यातक देश की विनिर्दिष्टयों के अनुरूप माइलो की खरीदारी की जाती है । यह सही नहीं है कि सड़ा हुआ माइलो खरीदा गया था या हमें प्राप्त हुआ था । तथापि, माइलो में धतूरे के बीज पाये गए थे । यू०एस० अनाज मानकों के अन्तर्गत धतूरे के बीजों को विषैला नहीं बताया गया है और उन्हें बीजों के आकार पर निर्भर करते हुए विजातीय सामग्री और/अथवा डाकेज माना जाता है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया था कि कभी भी माइलो में अनुमेय छूट सीमा के बाहर धतूरे के बीज पाये जाएं, जनता को देने से पूर्व माइलों को साफ करने की व्यवस्था की जाए और उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि वे उपभोक्ताओं को भी परामर्श दें कि इस अनाज का इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथों से धतूरे के बीज निकाल लें। ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि कुछ मामलों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकार को इन अनुदेशों को भेजने में कुछ विलम्ब हुआ था। इस मामले की जांच की गई थी और इसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम के दो वरिष्ठ अधिकारियों को उचित चेतावनी दे दी गई है।

लाल किले का रख-रखाव कार्य रक्षा मंत्रालय से होना

665. **श्री शशि भूषण** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली के लाल किले के रख-रखाव का कार्य रक्षा मंत्रालय से ले लिया है ;

(ख) लाल किले में स्थित पुरानी मिलटरी बैरकों को नया रूप देने के लिए मंत्रालय की क्या योजना है ; और

(ग) क्या दिल्ली के लाल किले के उन कमरों को, जिनमें ब्रिटिश शासन के दौरान राजनैतिक बंदियों को रखा गया था, नया रूप देने का और उक्त कमरों के बाहर ऐसे पत्थर लगाने का है, जिन पर राजनैतिक बंदियों के नाम आदि लिखे हों यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन): (क), (ख) और (ग) इसका निश्चय पहले ही हो चुका है कि दिल्ली के लाल किले के वे भाग जो अब सेना के कब्जे में हैं, कई वर्षों के चरणात्मक कार्यक्रम में रख-रखाव के लिए सर्वेक्षण को सौंप दिये जाएंगे। इसका प्रथम चरण कार्यान्वित हो रहा है ।

पुरातात्विक सिद्धान्तों के अनुसार ऐतिहासिक महत्व की संरचनाओं का यथावत संरक्षण किया जाएगा ।

तमिलनाडु की नेल्लीथुराय परियोजना

666. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने एवं केरल के संसद सदस्यों ने कावेरी के जल का उपयोग करके नेल्लीथुराय परियोजना का कार्य प्रारम्भ करने के लिए तमिलनाडु सरकार को दी गई मंजूरी के विरुद्ध बार-बार कुछ विशेष आपत्तियां उठाई थीं; और

(ख) केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग द्वारा परियोजना की स्वीकृति से कावेरी जल के प्रयोग में केरल के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है ।

बालीराजगढ़ स्थल में खुदाई कार्य

667. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री बालीराजगढ़ स्थल में खुदाई कार्य के बारे में 19 जनवरी, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 778 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालीराजगढ़ में पंपों से पानी निकाल कर आगे और खुदाई की गई है अथवा की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में खुदाई कार्य

668. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार मे मधुबनी में बिसफिट, कल्याणेश्वर तथा इब्रेकोहेथा में, दरभंगा में अहिल्या स्थान, हबीडीह तथा अन्य स्थानों में, सहरसा में, महिषी में और मिथिला क्षेत्र के अन्य प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में खुदाई करने के प्रयास किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति (प्रो० नूरुल हसन) (क) 1975–76 के लिए उत्खनन और समन्वेषण के अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार इन स्थलों पर खुदाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

आन्ध्र प्रदेश में कृषि विकास के लिए दी गई धनराशि

669. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974–75 और वर्ष 1975–76 के दौरान कृषि विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत, आंध्र प्रदेश को योजनावार कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) इन योजनाओं की दिसम्बर, 1975 तक क्या प्रगति हुई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी प्रदर्शित करने वाला विवरण संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10445/76)

कीटनाशी अधिनियम में संशोधन

670. **श्री राम सहाय पाँडे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) जी हां। राज्य सभा की विधि विषयक अधीनस्थ समिति ने कीटनाशी नियम, 1971 पर विचार करते समय यह महसूस किया था कि या तो इस अधिनियम के अन्तर्गत कीटनाशी दवाओं के पंजीकरण की शर्तें संशोधित कर दी जायें या इस अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत गठित पंजीकरण समिति को पंजीकरण की शर्तें निर्धारित करने के सम्बन्ध में अधिकार देने के लिए अधिनियम को संशोधित कर दिया जाये। इस नियम को सरकार ने कीटनाशी अधिनियम, 1968 के उपबंधों में होने के कारण आधा अधिसूचित किया था। इस समिति की सिफारिश की जांच करने पर यह मालूम हुआ कि कीटनाशी दवाओं के स्वरूप, उनकी बनावट और उसके विषकारी प्रभाव में अन्तर होने के कारण एक ही तरह की शर्तें लगाना सम्भव नहीं था जो कि सर्वत्र लागू हो सकें और जिन्हें कीटनाशी नियमों में समायोजित किया जा सके। अतः सरकार ने प्रत्येक कीटनाशी दवा के सम्बन्ध में पंजीकरण की शर्तें निर्धारित करने के लिए पंजीकरण समिति को अधिकार देने का फैसला किया है। इस प्रयोजन के लिए कीटनाशी अधिनियम की धारा 9 और धारा 36 की उप-धारा (2) को संशोधित करना जरूरी है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन में प्राप्त अनुभव से कीटनाशी अधिनियम, 1968 के विभिन्न उपबंधों को कारगर ढंग से लागू करने की बात को सुविधाजनक बनाने के लिए और अधिक संशोधन करने की आवश्यकता का भी पता लगा था। नई कीटनाशी दवाओं के सम्बन्ध में अन्तिम पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने, वाणिज्यिक कृमि नियंत्रण आपरेटरों को लाइसेंस देने, घरेलू या अन्य किस्म के प्रयोग आदि के लिए कीटनाशी दवाओं की बिक्री या वितरण के लिए अलग-अलग लाइसेंस फीस निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार देने के मामले को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ और संशोधन करने का प्रस्ताव है। संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है और इसे यथाशीघ्र संसद में लाया जाएगा।

समेकित ग्रामीण विकास

671. श्री नारायण चन्द पराशर :
श्री वसन्त साठे :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 जनवरी से 7 जनवरी, 1976 तक वाल्टेयर में हुए इण्डियन साइंस कांग्रेस के 63वें अधिवेशन में समेकित ग्रामीण विकास के प्रति एक नया व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस दृष्टिकोण की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो विशिष्ट सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) और (ख) इस वर्ष जनवरी में वाल्टेयर में हुए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 63वें अधिवेशन ने समन्वित ग्राम विकास के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की कुछ सिफारिश की हैं। उन सिफारिशों की मुख्य बातें ये हैं :

(1) आर्थिक दृष्टि से सक्षम ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए अधिक सघन अनुसंधान तथा विकास संबंधी प्रयासों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक नौकरियों के लिए जगह बनाना। पूंजी लगाने वालों की इनमें रुचि पैदा करने के प्रयत्नों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायोजनाओं के लिए ग्रामीण बैंकों एवं ऋण दाता दूसरी एजेन्सियों, देश के वैज्ञानिक संगठनों, प्रत्येक राज्य के विश्वविद्यालयों तथा प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्ध की दूसरी संस्थाओं को एक ऐसा संघ स्थापित करना चाहिए जोकि उपयुक्त प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान, विकास तथा विस्तार केन्द्रों का संगठन एवं आयोजन कर सके। साधनों के उपयोग करने से संबंधित प्रशिक्षण के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाते हुए शिक्षण पर अधिक जोर देना चाहिए ताकि निजी रोजगार को बढ़ावा मिल सके।

(2) समस्याओं को अधिक सघन, सूक्ष्मस्तरीय रूप से जानने तथा उनका विश्लेषण करने के उद्देश्य से जलवायु, साधन, पोषण, स्वास्थ्य आदि पर सभी सुलभ आंकड़ों का मूल्यांकन करने के लिए एक समन्वित नीति अपनायी जानी चाहिए।

(3) सभी प्रौद्योगिक नवीन कार्यों को बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले, उनकी परिस्थिति के आधार पर जांच पड़ताल की जानी चाहिए। विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों और प्रमुख नदियों के अपवाह क्षेत्रों में, पेड़ लगाकर परिस्थिति की पुनर्निर्माण के राष्ट्रीय कार्यक्रम में विद्यार्थी-समुदाय को लगाया जाना चाहिए।

(4) शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए ताकि विकास कार्य में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लगाया जा सके। शिक्षण संस्थाओं के उपयुक्त स्तर

पर कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे तुरन्त लाभ देने वाले एवं व्यवहार में लाने योग्य वैज्ञानिक परिणामों का पता लगा सकें और अधिक लोगों को लेकर चलाये जाने वाले विकास कार्यक्रम तैयार कर सकें। इन कार्यक्रमों द्वारा प्रत्येक संकाय के सदस्य तथा विद्यार्थी को, किसी ग्रामीण/नागरीय विकास गतिविधि में, भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए।

(5) जन-सामान्य के माध्यमों जैसे दूरदर्शन, रेडियो तथा पत्रों का, ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए, कारगर उपयोग किया जाना चाहिए। जिलास्तर पर संचार नीति दलों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि इस प्रकार के सभी साधनों के बीच कारगर ढंग से तालमेल बैठाया जा सके।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सप्लाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की सम्पूर्ण पद्धति को सुदृढ़ बनाना होगा।

(7) भूमि की उत्पादकता तथा व्यावहारिक जोतो की न्यूनतम सीमाओं को बताते हुए, सहकारी प्रयत्न तथा भूमि के अनुकूलतम उपयोग के लिए सामाजिक रूप से प्रेरणा दी जानी चाहिए।

(8) सुदूरवर्ती क्षेत्रों/ग्रामीण/पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने वाले वैज्ञानिक कर्मचारियों के लिए भी सेवा की शर्तों में सामान्य सामाजिक सेवाओं तथा अवसरों की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, साथ ही इन वैज्ञानिकों के सामाजिक दायित्वों की भी व्याख्या की जानी चाहिए जिसमें प्रत्येक वैज्ञानिक प्रयास अथवा कार्य के लिए सोद्देश्य मानदण्ड तथा समय-सारणी हो।

(9) ग्रामीण विकास के लिए व्यवहार किए जाने वाले विज्ञान के क्षेत्र विशेष में स्वेच्छा से किये जाने वाले प्रयत्नों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय संगठन की स्थापना।

विज्ञान कांग्रेस ने यह भी सुझाव दिया है कि वैज्ञानिक ग्रामीण नगरीय विकास के लिए सर्वांगीण रूप से दिशा-निर्देश के उद्देश्य से भारत सरकार एक संसदीय प्रस्ताव तैयार करे। राष्ट्रीय नीति प्रस्ताव में, कार्यवाही के प्रारूप में शामिल करने के लिए, निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाता है :

(क) प्रत्येक खण्ड तथा नगर के लिए वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक संघ की स्थापना जो कि पारिस्थितिकी पर आधारित ग्रामीण कार्यों एवं नगर विकास कार्यक्रमों के विकास एवं कार्यान्वयन में सहायता दे सकें (वैज्ञानिक संघों में, उस क्षेत्र के सभी वैज्ञानिक तथा तकनीक संस्थान एवं विद्यालय व महाविद्यालय शामिल किए जाने चाहिए और प्रशासनिक संघ में सभी ग्रामीण समुदाय, जन सामान्य के माध्यम, उद्योग तथा साधन आपूर्ति एजेन्सियों के उपयुक्त प्रतिनिधियों को सदस्य बनाना होगा।

(ख) भूमि के समुचित इस्तेमाल व सहकारी प्रयासों हेतु सामाजिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में सिंचित और असिंचित भूमि के लिए व्यावहारिक जोत और भूमि उत्पादकता की न्यूनतम सीमाएं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र के लिए विशिष्ट उद्योगों, ऋण तथा बिजली का आरक्षण।

(घ) सभी स्रोतों के उपयोग संबंधी नीति के अविभाज्य अंग के रूप में रोजगार गारंटी कार्यक्रम।

(ङ) ईंटें बनाने, भवन निर्माण इत्यादि जैसे गैर खेती के कामों के लिए अनुत्पादक भूमि का आरक्षण तथा उत्पादन के उद्देश्यों के लिए अच्छी जमीन का निश्चित रूप से समुचित उपयोग।

(च) ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी, जन स्वास्थ्य तथा ईंधन संभरण नीति।

(छ) प्रत्येक उत्पादन प्रणाली में उर्वरकों, आहार, जल तथा भूमि संबंधी आवश्यकताओं के दीर्घकालीन निर्णयों पर आधारित, प्रत्येक कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र के लिए एक वैज्ञानिक पाइप-पशु-मानव आहार-श्रृंखला नीति।

(ज) भूमि तथा जल संरक्षण तथा पौध रोपण; और

(झ) एक ऐसे समन्वित औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा पद्धति जिसमें ग्रामीण/शहरी विकास कार्यक्रमों में विद्यार्थी व शिक्षकों की उपयुक्त साझेदारी हो।

(ग) ग्रामीण विकास वाले क्षेत्रों में कार्यक्रम और प्रायोजना तैयार करते समय इन सिफारिशों पर यथोचित ध्यान दिया जायेगा।

दोष पूर्ण भंडारण के कारण बीज की क्षति

672. **श्री एम० एम० बनर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973–74, 1974–75 और 1975–76 में कितना बीज भंडारों में रखा गया और दोषपूर्ण भंडारण के कारण कितना बीज नष्ट हुआ ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : भंडार में रखे गये बीज की मात्रा का अनुमान एक विशेष समय पर ही लगाया जा सकता है। तथापि, पूरे साल में भंडार में रखे गये बीज की मात्रा का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। राष्ट्रीय बीज निगम, तराई विकास निगम और राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार दोषपूर्ण भंडारण के कारण कोई बीज बर्बाद नहीं हुआ है। तथापि, अंकुरण की क्षमता कम हो जाने के कारण राष्ट्रीय बीज निगम को नीचे लिखी मात्रा में बीजों को रद्द करना पड़ा था।

1973–74	4548.19 क्विंटल
1974–75	5492.35 क्विंटल
1975–76 . .	1421.32 क्विंटल

सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

673. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की देश में 56 सिंचाई परियोजनाओं को सहायता देने में रुचि है जैसा कि 16 फरवरी, 1976 के 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस, में समाचार छपा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) (क) और (ख):—भारत सरकार नें विश्व बैंक को 21 बृहत और 35 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता व्यवस्था हेतु विचार करने के लिए प्रस्ताव किया है। इनम से कुछ परियोजनाओं का विश्व बैंक वालों द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। विश्व बैंक द्वारा इन 56 परियोजनाओं में से कुछ चुनी हुई परियोजनाओं को ऋण सहायता की व्यवस्था किये जाने की संभावना है।

नर्मदा जल विवाद

674. **श्री डी० डी० देसाई : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा जल विवाद को, जो अभी न्यायाधिकरण के समक्ष है, हल करने में प्रगति हुई है; और

(ख) क्या सरकार इस विवाद को हल करने के लिए संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने पर विचार कर रही है जैसा गोदावरी नदी जल विवाद के मामले में किया गया था ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जुलाई, 1974 नर्मदा विवाद के कुछ विशेष पहलुओं पर भागीदार राज्यों के बीच समझौता हुआ था, तब से गुजरात राज्य में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष अपने प्रारंभिक तर्कों को प्रस्तुत करना पूरा कर लिया है। अब मध्य प्रदेश राज्य द्वारा तर्क प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

(ख) 8 मार्च, 1975 को हुई अन्तर्राज्यिय बैठक में संबंधित राज्यों द्वारा सहमति दी गई थी कि गुजरात सरकार, कर्जन, हेरण, रामी और सुखी परियोजनाओं पर और मध्य प्रदेश सरकार कोलार, बिचिया, सूक्ता और बिछुआ-लतिया परियोजनाओं पर योजना आयोग से स्वीकृति मिल जाने पर निर्माण कार्य चालू कर सकती हैं।

गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा जल का बंटवारा और नवगांव बांध की ऊंचाई रुके पड़े बड़े मामले हैं। यह विचार किया गया है कि इन मामलों पर न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाये।

नई दिल्ली में कम लागत आवास प्रदर्शनी

675. **श्री डी० डी० देसाई : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में कम लागत आवास प्रदर्शनी हुई थी;

(ख) क्या इस प्रदर्शनी से कम लागत आवास डिजाइन का चुनाव करने में सहायता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्र (श्री के० रघुरमैया) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). प्रदर्शनी का उद्देश्य केवल कम लागत का एक डिजाइन चुनना ही नहीं था बल्कि भवन-निर्माताओं और आयोजकों को भवन निर्माण के डिजाइन तथा स्थानीय उपलब्ध इमारती सामान सहित इमारती-सामग्री के बारे में सभी उपलब्ध नई तकनीकों के लिए बढ़ावा देना था। बनाये गये प्रत्येक मकान के निर्माण में इन तकनीकों में से एक या अधिक तकनीकें प्रयोग की गई थीं।

Requirement of Tractors

676 **Shri Panna Lal Barupal** Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state the number of tractors required at present and the number of tractors produced annually in the country and the names of the places where these are being manufactured?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel)

The National Council of Applied Economic Research (NCAER) was requested by this ministry in 1972 to conduct a detailed systematic market survey on scientific lines with the object of making realistic estimates of the likely demand for tractors of various h. P. ranges on an annual basis during the remaining part of the Fourth Plan period and the Fifth Plan period. According to the assessment made by them, the demand for tractors in the country will be of the order of 79,000 by 1978-79 (end of 5th Plan) as detailed below:—

1974-75	45,000
1975-76	52,000
1976-77	60,000
1977-78	70,000
1978-79	79,000

The production of agricultural tractors during the last few years has been as under:—

Year	Nos.
1972-73	20,802
1973-74	24,425
1974-75	31,088
1975-76 (upto Jan.76)	25,632

At present there are 11 units in production. The names of these units and the places where they are located are indicated below:—

	Name of the Unit	Location
1	M/s Hindustan Machine Tools Ltd.	Pinjore (Haryana)
2	M/s Hindustan Tractors Ltd.	Baroda (Gujarat)
3	M/s Kirloskar Tractors Ltd.	Nasik (Maharashtra)
4	M/s International Tractors Co. of India Ltd	Kandivli East Bombay (Maharashtra)

5	M/s Escorts Ltd.	Faridabad (Haryana)
6	M/s Escorts Tractors Ltd.	Faridabad (Haryana)
7	M/s Eicher Tractors Ltd.	Faridabad (Haryana)
8	M/s Punjab Tractors Ltd.	Mohali (Punjab)
9	M/s Tractors & Farm Equipment Ltd.	Madras (Tamil Nadu)
10	M/s Pittie Tools (P) Ltd.	Poona (Maharashtra)
11	M/s Harsha Tractors Ltd.	Loni (Ghaziabad)

Sale of Wheat at Low Price

677 **Shri Shiv Kumar Shastri** Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(*a*) Whether wheat is selling in the market at a price lower than the price fixed by Government;

(*b*) Whether Government are unable to buy wheat from all those farmers who desire to sell their wheat; and

(*c*) Whether Government have any scheme for providing relief to the farmers having regard to their difficulties; and if so, the outlines of the measures considered ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Anna Saheb P. Shinde)

(*a*), (*b*) & (*c*): Necessary steps have been taken by the State Governments for giving effective support to the prices of wheat through the various procurement agencies including Cooperatives and the Food Corporation of India. Procurement machinery has been fully geared to undertake price support purchases whenever and wherever necessary.

The market prices of wheat of Fair Average Quality are generally ruling at or above the level of procurement prices fixed by Government.

Prices of fertilisery, an important input, have been reduced twice during 1975, once in July and again in December. Prices of certified seeds have also been reduced by the National Seeds Corporation.

Fall in prices of Agricultural inputs

678 **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(*a*) The item wise percentage of decrease registered in the prices of various agricultural implements, seeds and fertilizers during 1974-75 as compared to that in 1973-74;

(*b*) reasons for which the prices have not come down; and

(*c*) action proposed to be taken by Goverment in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel)

(*a*) A comparative statement showing the Economic Adviser,s Index Number of whole-sale prices of fertilizers and tools and implements and also the sale price of various seeds, during 1973-74 and 1974-75 is enclosed. The prices generally registered an increase during 1974-75 as compared to that in 1973-74.

(*b*) The increase in the prices of fertilizers effected in 1974 was necessitated by abnormal increase in the prices in International Market and manifold increase in the Ocean freight as well as in the cost of production of indigenous fertilisers. The increase in the prices of tools and implements was due to general rise in the cost of raw material, port charges, labour wages and exciset and custom duty the increase in the prices of seeds was due to the increase in the prevailing marke

price and the procurement price of the grain and the increased expenditure on processing, certification and packaging material.

(c) The prices of fertilizers were reduced twice; first on 18-7-75 and again on 1-12-75 the Price of NSC seeds has been reduced from the Year 1975-76 The reduction in the prices in respect of paddy seed was by 27% wheat seed by 14% and other grains by 7% to 17%. As regards tools and implements, a preliminary study on the cost reduction of mechenisation input has been carried out and a report has been submitted to the Ministry of Finance in January, 1976 which is under examination.

Statement

(A) Average Annual number Index in respect of Fertilisers and Tools and Implements

(Base Year **1961-62-100)**

	1973-74	1974-75
Fertilisers	166·9	298·1
Tools & Implements	232·6	304·4

(B) Sale Prices of various seeds.

Crops/Variety		Sale price 1973-74	1974-75
		Rs.	Rs.
1 Hy. Maize		320	460
2 Composite Maize		320	460
3 Sorghum (Hybrid)	CSH—1	800	800
	CSH—2	950	1050
	CSH—4	750	1050
	CSH—5	800	1050
	Other varieties	450	450
4 Hy. Bajra		850	1050
5 Wheat	HD (M) -1553	320	320
	HD (M) -1593	320	320
	S. Sonora	220	320
	Lerma	220	320
6 Paddy	Course & Medium Course	220	265
	Fine & Medium	230	285

Taxes on Fertiliser

679 **Shri Nathu Ram Ahirwar**: Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state various taxes levied on the chemical fertilizers by the central and state Governments and the rates thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel):

The indigenous Chemical Fertilisers are subject to Central Excise Duty at the rate of 15% *ad valorem* except in case of 'single super Phosphate' for which the rate of duty 7 1/2%. The imported Chemical Fertilisers are subject to Auxiliary duty which varies from 5% to 15% depending upon ICT-classification and Countervailing Customs duty at an uniform rate of 15% *ad valorem*. Besides the above taxes the imported and indigenously producted Chemical Fertilisers are subject to Central Sales tax at the rate of 4% and States Sales tax under States Sales Tax ACTs wherever they are being levied and the rates of which vary from state to state.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन नियम, 1976

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 6 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 352 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10429/76]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में अध्यादेश तथा केन्द्रीय दक्ष परिषद् नियम, 1976

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (वर्ष 1975-76 के उत्पादन के लिये मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 9 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 67(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10430/76)

(2) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) चार के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) तमिलनाडु ऋण ग्रस्त कृषक (अस्थायी राहत) संख्या 2 अध्यादेश, 1976 (1976 का तमिलनाडु अध्यादेश संख्या 7) जो तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 3 मार्च, 1976 को प्रख्यापित किया गया था।

(दो) तमिलनाडु ऋण ग्रस्त व्यक्ति (अस्थायी राहत) संख्या 2 अध्यादेश, 1976 (1976 का तमिलनाडु अध्यादेश संख्या 8), जो तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 3 मार्च, 1976 को प्रख्यापित किया गया था।

(तीन) तमिलनाडु ऋण ग्रस्त कृषक तथा ऋण ग्रस्त व्यक्ति (विशेष उपबंध) संख्या 2 अध्यादेश, 1976 (1976 का तमिलनाडु अध्यादेश संख्या 9)

जो तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 3 मार्च, 1976 को प्रख्यापित किया गया था।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10431/76]

(3) वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 8घ की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय वक्फ परिषद् (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 27 फरवरी 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०ग्रा० 144(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10432/76]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियम, 1944, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 तथा वित्त अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

राजस्व तथा बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 327 जो दिनांक 6 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां०नि० 328 जो दिनांक 6 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 329 जो दिनांक 6 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां०नि० 330 जो दिनांक 6 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०सां०नि० 331 जो दिनांक 6 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा०सां०नि० 118(ङ) जो दिनांक 10 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 10433/76]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) का एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 239 जो दिनांक 21 फ़रवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तब एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०सां०नि० 325 जो दिनांक 6 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 10434/76]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (छठा संशोधन) नियम 1976, जो दिनांक 21 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 240 में प्रकाशित हुए थें।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1976, जो दिनांक 6 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 322 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 10435/76]

(4) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1971 की धारा 51 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 266 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर 1971 की अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1455 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 10436/76]

उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1976

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 1 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 103(ङ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 10437/76]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हता, सेवा निवृत्ति तथा सेवा की शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 1976 तथा राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हता, सेवा-निवृत्ति

तथा सेवा की शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 295 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 10438/76]

(2) राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 10439/76]

गुजरात राज्य के सम्बन्ध में 12-3-76 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा, उद्घोषणा के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश तथा गुजरात के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया प्रतिवेदन

(श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 12 मार्च, 1976 की उदघोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 12 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 123(ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति के दिनांक 12 मार्च, 1976 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 12 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 124(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) गुजरात के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजे गये दिनांक 12 मार्च, 1976 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 10440/76]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा ने 9 मार्च, 1976 की अपनी बैठक में विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 1976 पास किया है।

(दो) कि राज्य सभा 11 मार्च, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 9 मार्च, 1976 को पास किये गये पटना उच्च न्यायालय (रांची में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 8 मार्च, 1976 को पास किये गये उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है।

(चार) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 8 मार्च, 1976 को पास किये गये उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक

FOREIGN CONTRIBUTION (REGULATION) BILL

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

महासचिव : विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 1976 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं।

बजट प्रस्तुत किये जाने के लिए सभा को स्थगित करने के बारे में घोषणा

ANNOUNCEMENT RE. ADJOURNMENT OF THE HOUSE FOR THE BUDGET

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि परम्परा के अनुसार सभा आज मध्याह्न पश्चात् 4.30 बजे स्थगित होगी और मध्याह्न पश्चात् 5 बजे बजट प्रस्तुत किये जाने के लिये पुन: समवेत होगी।

रेल, बजट 1976–77—सामान्य चर्चा—जारी

RAILWAY BUDGET—1976-77—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम रेल बजट पर आगे चर्चा करेंगे। श्री हनुमन्तैया।

श्री के० हनुमन्तैया (बंगलौर): रेल मन्त्री द्वारा लाभ का बजट पेश किया जाना स्वागत योग्य है। रेल मन्त्री ने यह भी स्पष्ट रूप से बताया है कि 1974-75 के अन्त में विकास निधि और राजस्व संचित निधि के अन्तर्गत रेलवे पर सामान्य राजस्व का 379.75 करोड़ रुपये का ऋण था तथा सामान्य राजस्व को लाभांश के भुगतान में तेजी से कमी आई है। इस बार 62.81 करोड़ रुपये लाभांश का भुगतान किया गया।

हम यदि इन लाभ दिखाने वाले आंकड़ों पर गहराई से ध्यान दें तो पता चलेगा कि यह विशेष लेखा पद्धति अपनाने के कारण है अन्यथा यह लाभ का बजट नहीं है। वास्तव में यह 'लेखा लाभ' है न कि 'आकलन लाभ'। रेल मन्त्री इसे अगले वर्ष 'आकलन लाभ' में बदलें।

अंग्रेजों के सामने रेलवे विस्तार के मामले में दो उद्देश्य थे : कलकत्ता, बम्बई और मद्रास व्यापारिक केन्द्र तथा रक्षा। स्वतन्त्रता के बाद हमारी अर्थव्यवस्था अब विकासशील हो गई है। अतः रेलवे प्रणाली के विकास कार्यों के अनुरूप सुव्यवस्थित करना होगा।

कुछ समय पहले सभी राज्यों की राजधानियों को सीधे बड़ी लाईन से जोड़ने का प्रस्ताव सदन में रखा गया था तथा इसे एक मत से स्वीकार किया गया था और सराहा गया था। परन्तु इस बजट में उसे लागू करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। रेल मन्त्री यह जान लें कि रेल देश का मुख्य आधार हैं और उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया जाये कि भारत का प्रत्येक भाग दिल्ली से जोड़ दिया जाये। यह कार्य यथासम्भव शीघ्र किया जाये।

सदन ने कई प्रकार की लाईनों के स्थान पर एक ही प्रकार की लाईनें रखने की बात भी स्वीकार की थी। रेलवे ने कुछ किलो मीटर लाईनों को बदला है। इस सम्बन्ध में हमें कोई पद्धति अपना कर आगे बढ़ना चाहिये जिससे यह कार्य करने की कोई समय सीमा निश्चित की जा सके।

बहुत पहले से पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाईनें बिछाने की आवश्यकता अनुभव की गयी है। जब मैं रेल मन्त्री था तो मैंने रेलवे बोर्ड को यह सुझाव दिया था कि रेल लाईनों को दोहरा करने के बजाये उसे 100 अथवा 200 मील तक आन्तरिक क्षेत्रों तक ले जाया जाए। रेलवे बोर्ड के कुछ सदस्य इसमें आने वाली बड़ी लागत के कारण मुझ से सहमत नहीं हुये थे। यह व्यय करना उचित है। क्योंकि रेलों के विस्तार से पिछड़े और अन्दरूनी इलाकों को ही लाभ नहीं होगा वरन् इसमें देश के प्रत्येक भाग के साथ न्याय भी होगा। हमें दोहरी लाइनें बिछाने का कार्य पुराने ढंग से नहीं करना चाहिये। माना किसी तटीय क्षेत्र में तूफान या भारी वर्षा होती है तो दोनों लाइनें बह जायेंगी और यातायात रुक जायेगा। अतः रेल लाइनें देश के अन्दरूनी भागों में तथा अधिक लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिये।

ऊपरी और निचले पुल बनाये जाने की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि इस समय रेल फाटकों पर मोटर गाड़ियां खड़ी होने से बड़ी मात्रा में पेट्रोल बेकार खर्च होता है। यदि रेल के फाटकों पर मोटर गाड़ियां न रुकें तो राष्ट्रीय आय में काफी वृद्धि होगी। जब मैं रेल मन्त्री था तब मैंने यह कार्य आरम्भ किया था। मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है।

रेलवे लाइनों के दोनों ओर हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। यह भूमि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को खेती के लिये दी जानी चाहिये। वहां अरण्डी की फ़सल बोई जानी चाहिये क्योंकि अरण्डी का तेल विश्व में अत्यधिक मूल्यवान तेल है जिसे राकेट के ईंधन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हमारे अपने वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अरण्डी का तेल इस प्रयोजन के लिये उत्तम ईंधन सिद्ध हो सकता है। इस कार्य को निष्ठापूर्वक किया जाना चाहिये। इससे न केवल रेलों को लाभ होगा, इससे न केवल गरीब लोगों को लाभ होगा अपितु इससे अन्तरिक्ष युग में प्रवेश करने के लिए भारत को सहायता मिलेगी। हम इस प्रयोजनार्थ दूसरे देशों को अरण्डी का तेल निर्यात कर सकेंगे। अतः यह परियोजना वहां लागू की जानी चाहिये।

रेलवे में चोरी, उठाईगीरी तथा अन्य प्रकार की हानियों को, जिससे रेलवे को प्रतिवर्ष बहुत क्षति होती है, रोकने की आवश्यकता है। रेलवे सुरक्षा दल सन्तोषजनक कार्य नहीं कर रहा है। रेल

मन्त्री को सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से बातचीत करनी चाहिये । प्रत्येक डिवीजनल मैनेजर को न सब बातों के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराना चाहिये ।

गाड़ियां समय पर चलें यह सुनिश्चित करने के लिए एक कनिष्ठ मंत्री को इसका इन्चार्ज बनाया जाना चाहिये ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद): वर्तमान रेल मन्त्री की देखरेख में रेलवे में एक वर्ष की अल्पावधि में अत्यधिक सुधार हुआ है और बहुत सी सफलतायें प्राप्त की गई हैं । इस बात में कोई शक नहीं है कि अब रेलें ठीक समय पर चल रही हैं । सेवा में भी बहुत सुधार हुआ है । इसके अलावा रेलवे ने मूल यातायात में 20 करोड़ मीटरी टन का आशातीत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है । इन सभी उपलब्धियों का क्षेत्र रेल मन्त्री द्वारा उठाये गये कारगर और ठोस कदमों को जाता है ।

रेलवे विशालतम राष्ट्रीय उपक्रम है । दुर्भाग्यवश एक या दो वर्षों को छोड़कर गत 10 वर्षों में रेलवे में भारी हानि हुई है और क्रमिक रूप से किराये तथा भाड़े में वृद्धि करने के बावजूद अपने लाभांश दायित्व को पूरा नहीं किया गया है । रेलें सामान्य राजस्व से ऋण लेकर उसी पर निर्भर करती चली आ रही थीं । अत. कठोर अर्थव्यवस्था क्षमता का अधिकतम उपयोग और अनुशासन की अत्यधिक आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त, बिना टिकट यात्रा करना, माल डिब्बे तोड़ कर चोरी करना और रेलवे की बुकिंग के बारे में झूठी घोषणाएं करना आदि जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने पर बहुत जोर दिया जाना चाहिये ।

रेल मन्त्री के भाषण में बजट को सन्तुलित बनाने की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किसी ठोस कदम का उल्लेख नहीं किया गया है । राजस्व प्राप्तियों के बढ़ने के साथ-साथ कार्य-खर्च भी बढ़ा है । 1973–74 की कुल यातायात प्राप्तियों की तुलना में 1974–75 में कुल प्राप्तियों में 270 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी, लेकिन साथ ही 1973-74 के खर्चे की तुलना में कार्य-खर्च में भी 250 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी । हमें रेल मन्त्री से यह आशा करनी चाहिये कि वह हमें यह बतायें कि इस कार्य-खर्च को कम करने की दृष्टि से क्या आर्थिक उपाय करने का विचार है ।

अनुमान लगाया गया है कि 1976-77 के बजट में रेलवे को 22.5 करोड़ मीटरी टन माल ढोने की आशा है । चौथी योजना के लक्षित आंकड़ों से यह बहुत कम है ।

जहां तक मार्ग में सामान के खोने तथा क्षतिग्रस्त होने के कारण मांगे जाने वाले मुआवजों का सम्बन्ध है, यदि गत तीन वर्ष के आंकड़े देखे जायें तो पता चलेगा कि मुआवजे की राशि में काफी वृद्धि हुई है । रेल मन्त्री को मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिये तथा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में उनकी सहायता लेनी चाहिये ।

इसी प्रकार दुर्घटनाओं सम्बन्धी आंकड़ों में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है । रेलवे को मुआवजे के रूप में बहुत अधिक राशि देनी पड़ रही है । रेलवे के कार्यकरण में सुधार किया जाये ताकि इस पर नियन्त्रण रखा जा सके । दुर्घटनाओं को रोका जाना चाहिये । कम से कम उनकी संख्या घटाई जानी चाहिये ।

यह कहा गया है चूंकि रेलवे को वाणिज्यिक संस्थान के रूप में चलाने की अनुमति नहीं दी जा रही है इस कारण उन्हें घाटा हो रहा है । रेलवे के ऊपर कुछ सामाजिक दायित्व हैं । उसे अलाभप्रद

लाइनों पर भी गाड़ियां चलानी पड़ती हैं। उन्हें सरकार के कहने पर आम जनता के लिए माल पहुंचाना पड़ता है। रेलवे अभिसमय समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया है और उसने रेलवे की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक रवैया अपनाया है। हम यह महसूस करते हैं कि रेलवे का अलाभप्रद लाइनों पर गाड़ियां चलाने के लिए मुआवजा मांगा जाना ठीक ही है। रेल विभाग सरकार के कहने पर जो माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है उसके लिए भी उन्हें मुआवजा दिया जाये, लेकिन जहां तक मार्ग में खाने वाले सामान या क्षतिग्रस्त सामान के भुगतान का प्रश्न है इसमें रेलवे का ही दोष है। मालवाहक के रूप में यह उनकी जिम्मेदारी तथा कर्तव्य हो जाता है कि उन्हें देखभाल के लिए सौंपी गई चीजों या माल ठीक हालत में गन्तव्य स्थान पर पहुंचा दिया जाये।

लोक लेखा समिति ने सुझाव दिया है कि किरायों तथा भाड़े का ढांचा इसी आधार पर बनाना ही चाहिये क्योंकि यह उचित समय है कि रेलवे की वित्तीय स्थिति सुधारी जाये।

डीलक्स गाड़ियों में वातानुकूलित दूसरे दर्जे के शयनयानों को लगाने का स्वागत है। रेल मन्त्री को अब अन्य तीव्र गति से चलने वाली गाड़ियों में भी वातानुकूलित दर्जे के शयनयानों को लगाने पर विचार करना चाहिये।

Shri D. N. Tiwari (Gopalgan) : The Railway Minister deserves to be congratulated for presenting a surplus budget without increasing passenger fares and for bringing about general improvement in the functioning of the railways. Most of the trains are now running punctually. But this is not so in the case on the branch lines. On these lines the trains are not running punctually even now. The Minister should pay more attention to it.

The running time of the various trains should be reduced so that the passengers may reach their destinations in lesser time. For this purpose, Railways should have more and more diesel engines even though they cost more than the steam engines because their performance is better.

As regards the question of re-instatement of the employees who lost their jobs in the last strike., the Railway Minister should be firm that those who indulged in violence and anti-national activities should not be taken back.

As regards ticketless travelling, there is no doubt that it has been controlled considerably and now more tickets are being sold. But even then there is need to pay more attention to this matter. If this evil is totally stopped, the Railways can gain about Rs. 50 to 60 crores thereby.

उसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन काल के लिए मध्याह्न पश्चात् 2 बजे तक के लिये स्थगित हुई ——

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourtee nof the Clock)

———

लोक सभा मध्याह्न भोजन काल के पश्चात् मध्याह्न पश्चात् 2 बज कर 4 मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch, at four minutes past Fourteen of the Clo c

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

रेलवे बजट, 1976–77—सामान्य चर्चा—जारी

Shri D. N. Tiwari: While the percentage of Class I and Class II officers as compared to that of total employees in the Railways has gone up during the recent years, the percentage of Class III and Class IV employees has gone down during the same period. This is not a healthy trend. Government should look into it.

A number of accidents has increased during the recent years. The number of serious accidents was 21 in the year 1973-74 and it went up to 25 in the year 1974-75. Similarly, the number of total casualties has also increased during the same period. Every effort should be made to check these accidents.

There is ample scope for economy in fuel consumption in railways. Economy in fuel consumption will result in substantial savings for the railways.

The number of passengers increases year after year. But there is no proportionate increase in the amount allocated for passengers' amenities. There are many stations where even basic amenities are not there. For instance, the approach road to Gopal Ganj Station in my constituency is in a very bad state.

Although an assurance is given that the wards of loyal employees would be given preference in recruitment in railways, in practice that is not being implemented. Government should see that the wards of the poor employees receive preference in the matter of recruitment.

In many cases employees in the railways are not getting a fair deal. Government should look into it. Arrangements should be made so that the legitimate grievances of the employees are attended to and their difficulties removed.

श्री था० किरुत्तिनन (शिवगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, अपनी लेखा पुस्तिकाओं में सन्तुलन रखने के लिए कुछ छूट देकर रेल मंत्री ने 5 या 10 प्रतिशत और अधिभार लगाया है। इससे काफी धन प्राप्त हो सकता है किन्तु इसका परिणाम यह होगा कि माल का यातायात गाड़ियों की बजाय ट्रकों से होने लगेगा।

गत 10 वर्षों के दौरान रेलवे की वित्तीय स्थिति खराब होने का कारण यह है कि माल की ढुलाई 2000 लाख टन ही रही और यात्री यातायात पर 40 प्रतिशत की अलाभप्रद वृद्धि की गई। अतः ऐसी स्थितियों में भाड़े तथा किराये की दरों मे वृद्धि करने का सहज रास्ता अपनाने का कोई लाभ नहीं है। इसके बजाय रेलवे की कार्यकरण सम्बन्धी क्षमता और वित्तीय व्यवहार्यता को बनाये रखने के लिए इस पद्धति के व्यापक रूप से पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। यातायात आयोजना के लिये एक समन्वित योजना की आवश्यकता है।

गत कई वर्षों में असन्तोषजनक विदेशी सहयोग, करारों और विद्युत् इंजनों तथा कंकरीट के स्लीपरों के दोषपूर्ण डिजाइनों के कारण रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ी है। इसके अन्य कारण गाड़ियों का अनिश्चित आवागमन, बांस और लकड़ी का सस्ता परिवहन तथा माल की कम ढुलाई भी है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम रहा है।

साथ ही मद्रास की इन्टेग्रल कोच फैक्टरी ने 750 कोचों का प्रति वर्ष उत्पादन किया किन्तु कर्मचारियों को किसी तरह का बोनस या प्रोत्साहन नहीं दिया गया।

भावी माल यातायात की आवश्यकतायें पूरी करने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा 1974–75 से 1988–89 तक पन्द्रह वर्षीय निगमित योजना बनाई जा रही थी। इस निगमित योजना में बहुत सी बातें हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन सभी सुझावों पर ध्यान दिया गया है और क्या रेलवे बोर्ड ने इन सभी योजनाओं को लागू करना आरम्भ कर दिया है।

रेलवे सलाहकार निगम की स्थापना करने का विचार 1974 में ही किया था। यह सुझाव दिया गया था कि विकासशील देशों को अपने विकास कार्यक्रमों में सहायता देने हेतु एक निगम बनाया जाये। यह एक ठोस कदम होगा जिसमें अफ्रीकी और एशियायी देशों के विकास के लिये

भारतीय प्रौद्योगिकी जानकारी को प्रयोग में लाया जाएगा । इससे रेलवे को राजस्व के नये स्रोत भी मिलेंगे ।

गत दस वर्षों से रेलवे को निरन्तर हानि हो रही है । रेलवे को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिये । संसद् को रेलवे का 5000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश बट्टेखाते में डाल देना चाहिये ।

कुल यात्री आय का 87 प्रतिशत दूसरी श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त होता है । इन यात्रियों को रेलवे कुछ सुविधायें नहीं देती है । वातानुकूलित और प्रथम श्रेणी की बोगियों में यात्रा करने वाले केवल 0.5 प्रतिशत यात्री ही' जो समृद्ध समाज के व्यक्ति होते हैं, सभी सुविधायें प्राप्त करते हैं । रेलवे प्रशासन की नीतियां जनता को सुविधा प्रदान करने वाली होनी चाहिये ।

तिरुवलोर और मद्रास तथा गुदुर और मद्रास के बीच रेलवे का विद्युतीकरण कार्य शीघ्र पूरा होना चाहिये । करूर और डिंडीगुल के बीच ब्राडगेज लाइन बिछाने का कार्य तथा डिंडीगुल-मदुराई और तूतीकोरिन तथा मनीयाची तिरुनेलवेली के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये । तिरुनेलवेली से कन्याकुमारी और नागरकोयल से त्रिवेन्द्रम तक बड़ी लाइन बिछाने के कार्य के लिये पर्याप्त धन नहीं मिल रहा है जिसके कारण इस कार्य में विलम्ब हो रहा है ।

रेल और सड़क मार्ग में तालमेल बैठाने के बारे में कई बार उल्लेख किया गया है । लेकिन रेलवे और सड़क परिवहन के बीच वर्तमान अनावश्यक स्पर्धा समाप्त करने के लिये कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है । ऊंची दरों वाले यातायात को व्यापारिक दृष्टि से लेने का प्रयास करना चाहिये ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : रेल मंत्री श्री त्रिपाठी तथा उनके सहयोगी श्री कुरेशी तीन बातों के लिये विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं । सर्वप्रथम मैं उन्हें इस बात पर बधाई देता हूं कि रेलवे कार्यकुशलता में, विशेषतया आपात स्थिति की घोषणा के बाद सभी प्रकार से सुधार हुआ है । दूसरे उन्होने इस वर्ष बहुत अच्छा बजट पेश किया है और तीसरे यात्री किराये तथा माल भाड़े में जनसाधारण के लिये कोई वृद्धि नहीं की गई है । इस से उन्हें राहत मिली है । इन सब बातों के लिये मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं ।

मैं प्रायः रेल द्वारा यात्रा करता हूं तथा व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यात्री तथा माल दोनो प्रकार की यातायात में बहुत सुधार हुआ है और पिछले कुछ महीनों में दोनों प्रकार की यातायात में आशा से कहीं अधिक वृद्धि हुई है । माल भाड़े से प्राप्त राजस्व रेल के इतिहास में सब से अधिक रहा है । रेल के कार्यकरण में इतनी आशातीत वृद्धि हुई है कि यदि हमें 89.32 करोड़ रुपये की बचत होती, किन्तु चूंकि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की पांच किश्तों का भुगतान करना पड़ा तथा ईंधन का खर्च बढ़ गया, इसलिये लगभग 62.81 करोड़ रुपये घाटा का हुआ है ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस समय वेतन आदि पर व्यय 62 प्रतिशत है इस बारे में कुछ न कुछ करना होगा । दूसरे प्रतिकर के रूप में भारी राशि

देनी पड़ती है। बजट के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि गत वर्ष माल की चोरी आदि के कारण रेलवे को 14.65 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा। यह सकल आय का 1.5 प्रतिशत हुआ। इस के अतिरिक्त इससे जनता में कुछ भ्रम भी फैलता है। चोरी के कारण लोग अपना माल रेल द्वारा नहीं भेजना चाहते। बहुत सा माल सड़क यातायात अर्थात् मोटर गाड़ियों और ट्रकों के द्वारा भेजा जाता है। इस से रेलवे की अर्थ व्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ता है। अतः अब समय आ गया है जब कि रेल मंत्रालय को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिये कि प्रतिकर के रूप में दी जाने वाली राशि में किस प्रकार कमी की जाये।

रेलों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ हाल के महीनों में डकैती तथा लूटमार की घटनायें हुई हैं। आपात की उद्घोषणा के तुरन्त बाद कुछ समय के लिये तो इसमें बहुत सुधार हुआ था, परन्तु अब पुनः स्थिति बिगड़ती जा रही है और अपराध फिर होने लगे हैं। इस बारे में कोई ढील नहीं बरती जानी चाहिये तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिये।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। न्यूबोंगई गांव से गोहाटी तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है। इस पर लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस वर्ष बजट में केवल 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस तरह से तो यह कार्य पन्द्रह वर्ष में भी पूरा नहीं हो सकता। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और इस कार्य को एक निश्चित समय सीमा के अन्दर पूरा किया जाना चाहिये।

लोक लेखा समिति ने अपने 171वें प्रतिवेदन में कहा है कि रेलवे द्वारा नई लाइनों के निर्माण के मामले में पहाड़ी क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों तथा अविकसित क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा त्रिपुरा जैसे पिछड़े राज्यों में नई रेल लाइनों का निर्माण नहीं के बराबर रहा है। अतः रेलवे को नई लाइनों के निर्माण के मामले में पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता देनी चाहिये। इससे पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार हो सकेगा।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि गोहाटी मेल के सभी डिब्बों की हालत खस्ता है। इस बारे में आवश्यक कुछ किया जाना चाहिये। गाड़ियों का डीजलीकरण शीघ्र किया जाना चाहिये। पूर्वोत्तर क्षेत्र को दक्षिण से मिलाने के लिए एक लाइन होनी चाहिये, क्योंकि पूर्व क्षेत्र से बहुत बड़ी संख्या में यात्री दक्षिण को जाते हैं और उन्हें चक्करदार मार्ग अपनाना पड़ता है। मैं आशा करता हूं कि रेलवे मंत्रालय योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय से अनुरोध करेगा कि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये तथा उन लाइनों को पूरा करने के लिये जिनके लिये सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है, अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जाये।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी (नलगोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1976–77 के रेल बजट का समर्थन करता हूं और रेल मंत्री को बधाई देता हूं कि इस वर्ष यात्री किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

दो वर्ष पूर्व प्रधान मंत्री ने बीबीनगर-नडीकुडा रेलवे लाइन के निर्माण-कार्य का उद्घाटन किया था। परन्तु इस परियोजना पर बहुत धीमी गति से कार्य हो रहा है। गत वर्ष इस परियोजना के लिये केवल 55 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। इससे स्पष्ट है कि इस नाममात्र राशि से यह परियोजना कैसे पूरी होगी, जिस पर 13 करोड़ रुपये से अधिक राशि व्यय होने

का अनुमान है। इस योजना के उद्घाटन के समय तत्कालीन रेल मंत्री ने घोषणा की थी कि यह परियोजना तीन वर्ष में पूरी हो जायेगी, परन्तु इस गति से तो यह दस वर्ष में भी पूरी नहीं होगी। अतः रेल मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह परियोजना निर्धारित समय में पूरी हो।

अब मैं सभा का ध्यान विजयवाड़ा–गुडूर सैक्शन के विद्युतीकरण की ओर दिलाना चाहता हूं। विजयवाड़ा और मद्रास के बीच यह एक बहुत महत्वपूर्ण सैक्शन है और भारत सरकार ने इस सेक्शन के लिये 19 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। परन्तु इस वर्ष के अन्त तक केवल 8.5 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इससे स्पष्ट है कि आधा कार्य पूरा होना बाकी है। परन्तु बजट में केवल 3.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे स्पष्ट है कि रेल मंत्रालय आन्ध्र प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है।

दिल्ली तथा राज्यों की राजधानियों के बीच द्रुत परिवहन सेवा उपलब्ध करने के लिये कलकत्ता और बम्बई के लिये राजधानी ऐक्सप्रेस गाड़ी चालू की गई हैं। परन्तु हैदराबाद के लिये, जो कि आन्ध्र प्रदेश की राजधानी है तथा उत्तर और दक्षिण के बीच एक अति महत्वपूर्ण नगर समझा जाता है, राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी चालू नहीं की गई है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि हैदराबाद अथवा सिकन्दराबाद तक राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी चालू की जाये तथा आशा करता हूं कि बजट का उत्तर देते समय मंत्री महोदय इस गाड़ी के चालू करने की घोषणा करेंगे।

अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गाड़ियों के विद्युतीकरण और डीजलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। दक्षिण-मध्य रेलवे में दक्षिण एक्सप्रेस अथवा एक और दो अन्य गाड़ी का ही डीजलीकरण किया गया है। मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि इस वर्ष दक्षिण-मध्य रेलवे में कम से कम 25 प्रतिशत गाड़ियों का डीजलीकरण अथवा विद्युतीकरण किया जाना चाहिये।

मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि सिकन्दराबाद में, जो दक्षिण-मध्य रेलवे का मुख्यालय है, एक पृथक् रेल सेवा आयोग बनाया जाये।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यदि मैं यह कहूं कि गाड़ियों का समय पर चलना, इस बात का द्योतक नहीं है कि रेलवे में सब ठीक ठाक हो गया है, तो आप क्षमा करेंगे। यदि यह समय की पाबन्दी ठीक व्यवस्था और अनुशासन से आती तो और बात थी, परन्तु इसे डंडे के जोर से पैदा किया गया है। यदि इसे सामान्य अवस्था में स्थापित किया जाता, तो यह बधाई देने की बात थी, परन्तु इसे आपात के जोर पर लाया गया है।

मंत्री महोदय इस लिये बधाई दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने यात्री किराये में कोई वृद्धि नहीं की है।

परन्तु तथ्य यह है कि यात्री किराया पहले ही बहुत बढ़ चुका है। गत वर्ष उसमें दो बार वृद्धि की गई थी तथा अब इसमें और वृद्धि करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। कई गाड़ियां खाली चल रही हैं। इनमें यात्रियों की संख्या 20 प्रतिशत घट गई है। ए० सी० सी० डिब्बों को देखिये, उनमें यात्रियों की संख्या बहुत कम हो गई है। ए० सी० सी० डिब्बों का किराया विमान किराये से भी अधिक हो गया है। अतः ए० सी० सी० डिब्बों में कौन यात्रा करेगा। इसलिये किराये में वृद्धि न किये जाने के कारण मैं मंत्री महोदय को बधाई देने में असमर्थ हूं।

मंत्री महोदय ने कहा था कि रेलवे के अन्धकार के दिन बीत चुके हैं और अब हम प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। परन्तु हुआ क्या है? आपात के बावजूद तथा सब प्रकार की कार्यवाही करने के बाबजूद स्थिति यह है कि रेलवे 62.81 करोड़ रुपये के घाटे में है। वर्ष 1976-77 के बजट में रेल मंत्री ने आशा प्रकट की है कि भविष्य में रेलवे की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और पिछला सारा संकट दूर हो जाएगा। परन्तु उन्होंने रेलवे बजट में जो कुछ प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं उससे रेलवे की प्रतिष्ठा बढ़ने वाली नहीं है। उन्होंने किराया तो नहीं बढ़ाया है। परन्तु दूसरे तरीके से लोगों के पेट पर लात मारी है। माल भाड़ें में वृद्धि की गई है। इससे अवश्य महंगाई को बढ़ावा मिलेगा।

नई रेल लाइनों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय पिछड़े राज्यों की हमेशा उपेक्षा करता रहता है। बंसपानी—जाखपुर रेल लाइन बिछाने की परियोजना इसलिये बनाई गई थी, जिससे कि वहां की 176 किलोमीटर की लम्बाई में मिलने वाली अतुल खनिज सम्पदा का प्रयोग किया जा सके। काफी दौड़-धूप के बाद रेल मंत्रालय ने इस परियोजाना को पूरा करने के लिये 39 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी थी। परन्तु गत वर्ष केवल एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया और यह राशि भी पूरी तरह से खर्च नहीं की गई। केवल 90 हजार रुपये खर्च किये गये और दस हजार रुपये लौटा दिये गये। इस वर्ष 1 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है और मुझे विश्वास है कि इसमें से 99 लाख रुपये लौटा दिये जायेंगे। यह बड़े दुःख की बात है कि रेल मंत्रालय नाम मात्र की राशि का प्रावधान करता है और उसे भी पूरी तरह खर्च नहीं करता। इस तरह परियोजनायें पूरी नहीं हो पायेंगी।

इस वर्ष के बजट में कटक-पारी दीप रेल लाइन के लिये 1.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा।

यदि मंत्री महोदय भाड़े की दर न बढ़ाते तो रेल बजट घाटे का बजट होता और यह घाटा 78.10 करोड़ रुपये का होता। 78.10 करोड़ रुपये का घाटा होने का कोई कारण नहीं है जब तक की संचालन लागत में वृद्धि नहीं हो पाती, परन्तु इस के लिये कोई सन्तोषजनक कारण नहीं बताया गया है। रेलवे बोर्ड का कहना है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका पूर्वानुमान करना उनके लिये सम्भव नहीं है। बजट तैयार करते समय हर पहलू पर विचार किया जाना चाहिये। संसद् को सही सही स्थिति बताने की बजाये रेल बजट एक अवास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे साथ डीलक्स गाड़ियों में वातानुकूलित डिब्बों में ही यात्रा करके देखें। स्थिति यह है कि डीलक्स गाडियों में वातानुलित डिब्बों में जो विस्तार दिये जाते हैं, उनमें बहुत बदबू आती है। यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में दिन प्रति दिन कमी होती जा रही है। रेलवे प्रतिक्षालय वास्तव में नरक बन गये हैं। रेल मंत्री द्वारा सभी प्रयास करने के बावजूद तथा रेलवे बोर्ड द्वारा दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त यात्रियों की सुविधाओं के लिये अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

Shri Krishna Chandra Pandey (Khalilabad) Mr. Deputy Speaker, Sir, the hon. Railway Minister deserves our congratulations for presenting an historic and socialistic budget for the year 1976-77.

There has been alround improvement in the working of the railways. Now the trains are running punctually. Ticketless travelling has been controlled to a very great extent.

The youth leader Sanjay Gandhi has given one very good suggestion that the youth of the country should be involved in the development works and an intensive programme should be undertaken for planting trees. There is lot of railway land on both sides of the railway lines. This land should be utilized for planting trees.

The 20 point programme is being implemented in the Railways in an appreciable way. It is gratifying that more and more apprentices are being recruited in the railways. The unemployed engineers are being provided jobs in the railways. People belonging to scheduled castes, scheduled tribes and minorities are getting their due share in the Railways.

There has been appreciable improvement in the use of Hindi in Railways. Now charts are shown in Hindi and English instead of English only. The Railways deserve our congratulations for this. Catering in railways has also improved. This improvement is welcome.

The Railway Act was passed in 1890. At that time we were not free. We were under the foreign rule and the Act was framed to suit the requirements of the rulers. Now the circumstances have changed completely. So the Act should be completely changed so as to serve the present needs of the country.

There is need for providing more and more rail facilities in backward areas. Special attention should be paid to this matter.

श्री आर० एन० बर्मन (बलूरघाट)* : इस बजट द्वारा यात्रियों का रेल किराया न बढ़ाने के लिये मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं । उन्होंने माल भाड़ा बढ़ा कर घाटे को पूरा करने का जो प्रयास किया है, मैं वह एक उचित कदम है । इस वर्ष के बजट में कई अच्छी बातें हैं । रेल कर्मचारियों के हित में एक नई बीमा योजना बनायी गई है । रेलें समय पर चल रही हैं और बिना टिकट यात्रा में बहुत कमी हुई है ।

कुल बजट का 6 प्रतिशत भाग पुरानी लाइनों को ठीक करने तथा 3 प्रतिशत भाग नई लाइनों को बनाने के लिये निर्धारित किया गया है । 1976-77 के लिये नई लाइनों के निर्माण हेतु की गई व्यवस्था बहुत ही कम है । राशि की कमी के कारण नई लाइनें बनाना कठिन हो जाएगा जिस के फलस्वरूप पिछड़े तथा पहाड़ी इलाकों में रेलों के विस्तार का कार्य नहीं हो सकेगा । इन पिछड़े क्षेत्रों में अधिकतर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं । रेलवे लाइनों की व्यवस्था के बिना ये क्षेत्र पिछड़े रहेंगे । अतः पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी नई लाइनें पिछड़े क्षेत्रों में बनाई जायें । पश्चिमी दीनाजपुर जिले के जिला मुख्यालय बलूरघाट को मालदा के साथ रेल लाइन से जोड़ने की मांग लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं । इस लाइन का सर्वेक्षण भी किया जा चुका है । इससे पहले भी मैं इस मामले को सभी रेल मंत्रियों के साथ उठाता आ रहा हूं । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस लाइन के निर्माण कार्य को पांचवीं योजना के दौरान अवश्य उठाया जाये ।

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्द रूपान्तर ।

SUMMARISED TRANSLATED VERSION BASED ON ENGLISH TRANSLATION AS THE SPEECH DELIVERED IN BENGALI.

रेल द्वारा लाने-ले-जाने वाले माल के भाड़े में वृद्धि से लोहे तथा पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि होने की सम्भावना है । मंत्री महोदय को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि मिट्टी के तेल के मूल्यों में वृद्धि न हो क्योंकि अधिकांश गरीब लोग ही इसका उपयोग करते हैं ।

रेलों में चोरियों तथा डकैतियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है । मंत्री महोदय को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

रेलवे सुरक्षा दल के बारे में पहले भी बहुत कुछ कहा गया जा चुका है । इस पर प्रति वर्ष 14 करोड़ रुपये व्यय किया जाता है और इसके साथ ही सरकार को उठाईगीरी तथा चोरियों के लिये प्रति वर्ष 18 करोड़ रुपये का मुआवजा भी देना पड़ता है । यदि ऐसा है तो रेलवे सुरक्षा दल की उपयोगिता है । इसके बावजूद भी रेलों में चोरियों तथा डकैतियों के काफी कमी नहीं हुई है । लगता है कि इस दल के कर्मचारियों को चोरों, डाकुओं तथा अपराधियों से सांठ-गांठ रहती है । चोरियों और डकैतियों के समय इस दल के कर्मचारियों को यदि सजा दी जाती है तो इस प्रकार की घटनाओं को और अधिक प्रोत्साहन न मिलता । यदि रेलवे सुरक्षा दल यात्रियों की रक्षा करने में सफल नहीं होता तो इसके बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं है ।

रेलों में बिजली की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि दुर्घटना की आशंकायें न रहें । इन शब्दों के साथ मैं इस रेल बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री फ्रैंक ऐंथनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मैं अनुभव करता हूं कि आपातस्थिति के कारण रेलों के कार्यकरण में बहुत सुधार हुआ है । अब रेल कर्मचारी हड़ताल करते हुये नहीं दिखते । गाड़ियां समय पर आती जाती हैं । परन्तु अभी भ्रष्टाचार पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है ।

रेलवे एक बड़ी राष्ट्रीय सम्पत्ति है । यह एक बहुत बड़ा उपक्रम है । जिसके काम में कहीं न कहीं कमी आजाना स्वाभाविक ही है ।

जहां तक कार्य संचालन सम्बन्धी कार्यकुशलता का सम्बन्ध है, इसमें सुधार की गुंजाइश है । बजट अनुमानों की तुलना में कार्य-संचालन का अनुपात बहुत ही कम है ।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि माल भाड़े में वृद्धि कर सर्वसाधारण पर कोई प्रभाव पड़ेगा । सर्वसाधारण के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर इसका प्रभाव पड़े बिना न रह सकेगा ।

मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि रेल मंत्रालय को जो भी अभ्यावेदन अथवा शिकायतें भेजी जाती है, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता ।

1974 की रेल हड़ताल के दौरान मैंने कर्मचारियों से काम पर वापस आने की अपील की थी । मैंने समझा था कि रेल मंत्रालय दिये गये रोजगार सम्बन्धी आश्वासनों को पूरा करेगा । 32 साल सेवा करने के बाद भी पेंशन जिस कर्मचारी की पेंशन की स्वीकृति के लिये बाधायें पैदा की गई हैं, उसका नाम मैं सभा में नहीं लेना चाहता । इतनी लम्बी सेवा के बाद यह व्यक्ति उपदान की 10,335 रुपये की राशि लेने का हकदार था लेकिन उसे केवल 274.81 रुपये की ही राशि मिली ।

कहा जाता है कि ए० सी० के ट्रैक्शन चालकों को अकस्मात 'ए' ग्रेड दिये गये हैं। इनको इतना अधिक अनुभव प्राप्त नहीं है। उन्हें प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया हैं। कुछ चालक तो 'बी' ग्रेड में भी नहीं थे। 'बी' ग्रेड के चालकों को 'ए' ग्रेड को चालक कैसे बना दिया गया है ?

अभी तक कुछ पेंशन के मामलों को नहीं निपटाया गया है। अदरा और खड़गपुर के मामले तो बहुत ही निराशांजनक हैं। इन लोगों ने हड़ताल के दौरन सेवा की है। उसके बाद रेलवे प्रशासन ने उन्हें बेरोजगार कर दिया है। बिल्लरपुरा में उन निष्ठावान रेलवे कर्मचारियों के 15 पुत्रों को नौकरी नहीं दी गई जब कि बाहर वालों को नौकरी पर लगाया गया है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अनुसूचित जातियों के लोगो का संकड़ों वर्षों से शोषण किया गया है। मैं शुरू से ही उनके हितों की वकालत करता आया हूं। लेकिन मुझे इस बात का दुःख है। केवल अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार देने के लिये एक द्रुत कार्यक्रम चालू किया गया है। परन्तु निचली श्रेणी के अन्य लोगों की भर्ती सर्वथा बन्द कर दी गई है। कुछ श्रेणियों में ऐंग्लो-इंडियनों का बड़ा कोटा था। अब उन्हें वह कोटा नहीं मिलता।

पिछड़ेपन का बड़ा राग अलापा जाता है। सुविधायें देते समय उसे प्राथमिकता दी जाती है। यह एक भ्रामक नीति है। यह संविधान को नकारना है। पिछड़ापन राजनीतिक गोलमाल हो गया है जो गरीब तथा अन्य समुदायों के मूल्य पर किया जाता है।

नौकरियों में संरक्षण जाति अथवा समुदाय नहीं बल्कि आर्थिक मापदंड के अनुसार होना चाहिये।

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुये]।

Shri Ishaque Sambhali in the Chair.

पता चला है कि जयपुर - अजमेर डिवीजन को रेल बोर्ड ने यह आदेश भेजा है कि सब काम हिन्दी में किया जाये। क्या यह वैध है क्योंकि अंग्रेजी अभी समाप्त नही की गई है। ऐसा करने से हिन्दी न जानने वाले लोगों के हितों को धक्का पहुंच सकता है।

मेल ड्राइवरों की पेंशन का अपने जो नया फार्मूला बनाया है उससे पेंशन के कम हो जाने की आशंका है। इस फार्मूले को इस ढंग से बनाया जाये ताकि पेंशन में कोई कमी न हो।

Shri Srikishan Modi (Sikar) The Railway Minister deserves to the congratulated fot the achievements of railways.

Efficient Officers of the Railways should be honoured and encouraged. I suggest tha colonies should be constructed in some of the cities for the benefit of railway employees.

I would request the Railway Minister to look into some minor problems of my constituency also. In my constituency there is Sikar—Churu Railway line but the fare on this line is double. It was ten years back when this fare was brought down to $1\frac{1}{2}$ times. It creates lot of problem for people of the area. I suggest that the hon. Minister should look into it at his own level.

There are certain places where railway lines are in between villages and the land of the farmers. The railway level crossings through which villagers could go to their lands are closed down for hours which results in lot of inconvenience to the poor farmers. Steps should be taken to see that these railway crossings are closed only at the time when the train is to pass otherwise those should remian open.

A proposal to provide a broad gauge line from Delhi to Ahmedabad via Rewari and Phulera is under consideration, but I am given to understand that so pressure is being exercised for some diversion. I feel that nothing should be done under pressure and the interests of the people of this area should not be ignored.

It is suggested that the present shuttle service between Nizampur and Rewari should be extended to Ringus. A railway line between Jaipur and Rewari, can also provide great relief to the people of the area.

Bansmara is a fertile area and is quite rich in minerals. There is an out agency. This is backward area which is not linked with railwayline upto 65 kilometres. Railway facilities should be given to this area on pripority basis. If the reservation and loading facilities are also provided with the out agency, that will be highly useful for the people of the area.

It was perhaps last year when we appreciated the catering on Janta Jyanti train but now this has been stopped. It should be introduced again. It is further suggested that Janata Jyanti train should also stop at Dabla. Neem-Ka-thana. Budhal on Rewari, Phulov portions.

Lastly I suggest that small Committees should be constituted to sort out the small problems at the level of General Managers and Divisional Superintendents. These will be of great help in solving day to day problems of local areas.

Shri R. R. Sharma (Banda): After the declaration of emergency there has been lot of improvement in the functioning of Railways. The railways have come out with a surplus budget this time. I want to congratulate the hon. Minister or the same. But one thing I would like to mention that now there appears to be some slackening now. Steps should be taken to ensure that this tempo of improvement is maintained. There were no dacoities on Lucknow-Banda Express. But now again these incidents have started coming up. It is submitted that steps should be taken up to check these dacoities.

It is suggested that a fast train should be provided between Jhansi and Allahabad. A fast train-passenger or express—should be provided between Banda and Banares. In Banda there are three railway crossings. If over bridges or under-bridges are provided on these crossings people of the area will be benefited by the same. Chitrakut is an important tourist and pilgrim centre. A railwayline should be provided between Karvi and Chitrakut.

Shri Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : At the outset I would like to welcome the railway budget and thank the Railway Minister for providing an express train between Tatanagar and Amritsar. The people of the area are quite happy with this facility. My only submission in this regard is that the timings of this train should be changed so as to suit to the needs of travelling public. An attempt should also be made to reduce the running time of the train.

Every year I have been raising the issue of constructing an over-bridge at Jugsalai Bazar level-crossing between Tatanagar and Jamshedpur but I am sorry to point out that nothing has been done in this regard. A lot of correspondence has taken place between the railway Administration and the Government of Bihar but without any results. This issue is hanging for want of funds, to because railway administration as well as State Government both are reluctant to bear the expenditure. The people of the area are suffering badly. I submit that I am here as are representative of the people and due consideration should be given to my voice. The whole issue should be urgently looked into.

There is something wrong with the working of railway officials. It was on 19th June when I received a letter from Shri Tripathiji in which it was stated that Rajgir, as Bodhgaya broad gauge line will be constructed soon. But there is no mention of this assurance in the survey report. The officials who are connected with the job of preparing reports and other information should be well informed.

Shri Narindra Singh Bisht (Almora): I would like to congratulate the Minister of Railways for presenting a surplus budget this year, although in the past railways had to suffer a lot due to strikes, agitations and so on. It is a heartening feature of this year's budget that there is no increase in the passenger fares. Although freight has been increased but still some essential commodities have been spared. This year we have a surplus budget of 8·90 crores rupees and I hope that Railway Minister will continue to come out with similar budgets in future.

I would like to draw the attention of Railway Minister towards the backward areas and hilly regions, specially in Uttar Pradesh and Himachal Pradesh. It is a matter of concern that no new

railway line has been constructed in these areas. Unless railways and other means of communications and transport are provided, how could we expect that industries will be set in these areas and progress achieved.

A project for conversion into broad guage of line between Rampur and Kathgodam has since been inaugurated. It is hoped that work will be taken up soon and a direct broad gauge link will be established between Delhi and Kathgodam at the earliest. It is suggested that Ramnagar—Tanakpur link should be converted into broad guage.

From Kathgodam to Nainital there is a distance of 20 miles only. A metre-guage link between these two places should be provided. Similar links should also be provided for other hillstations.

Since long a survey work is being carried out from Tanakpur to Bageshwar. The people of the area are keenly interested that this work should be expedited. My other submission is that Railway Concession tickets should be made available for hill stations like Nainital, Pithoragarh, Mussorie etc.

The people of hilly areas have so far been neglected in the matter of employment. This should be looked into and necessary steps should be taken for ensuring employment to the people of hilly areas.

The forests are being dissuded because tress are being cut for making sleepers for Railways. In order to preserve trees, railways should use sleepers made of steel. The vacant land on both sides of the railway tracks should be distributed on lease basis to the landless Harijans and poor people.

Conditions on the Bareilly—Tanakpur section are quite unsatisfactory. The railway Compartments are dirty, there are no proper seats, no electricity and no regular cleaning is done in the trains. This should be looked into. The timings of trains in this section need to be adjusted accordingly to the needs of the people of the area.

Lastly, I want to suggest that labour should be given due particpaation in the management of railways. If this is done, a number of our problems will be solved.

Dr. Kailas (Bombay South) : Before expressing my views on the Railway Budget for 1976-77, I would like to congratulate the Railway Minister for presenting such a fine budget. Under his able and wise leadership, railways losses have come down to a greater extent.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखे। अब सभा स्थगित होती है तथा शाम के 5 बजे पुनः समवेत होगी।

इसके पश्चात् लोक सभा 5 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha adjourned then till seventeen of the Clock.

लोक सभा 5 बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha then re-assembled at seventeen of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

सामान्य बजट, 1976-77

GENERAL BUDGET, 1976-77

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : महोदय,

1.1 यह मेरा सौभाग्य है कि एक बार फिर मैं इस महान सदन के सम्मुख बजट पेश कर रहा हूं।

1. 2 पिछले वर्ष, जब मैंने 1975-76 के लिये बजट प्रस्तावों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी तब उसमें अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाने और उसे पुष्ट बनाने पर ज़ोर दिया गया था। उस समय अर्थव्यवस्था स्फीति के कठिन दौर से निकल कर पुनः शक्ति ग्रहण कर रही थी, और कृषि की स्थिति कोई ज्यादा सुरक्षित नहीं थी।

1. 3 इस वर्ष स्थिति कई दृष्टियों से बदल चुकी है जो एक दृढ़ और गतिशील नेतृत्व का परिणाम है। नए आर्थिक कार्यक्रम ने हमारे आर्थिक जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन और निष्ठा की अपूर्व भावना का संचार कर दिया है। परिस्थितियों के सुधर जाने का लाभ उठाते हुए, 1975-76 के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और अधिक पूंजी लगाने की स्वीकृति दी गई और इस समय हमारा देश समृद्धि की ओर काफ़ी आगे तक बढ़ने के लिये सन्नद्ध है। मैं इस अवसर का प्रयोग विकास की गति में और अधिक तेजी लाने और अर्थव्यवस्था को और अधिक गतिशील बनाने के लिये कर रहा हूं मैं यहां इसका ब्यौरा प्रस्तुत करूंगा लेकिन मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों को यदि आरम्भ में ही यह बता दिया जाये कि 1976-77 के लिये आयोजना परिव्यय में 7852 करोड़ रुपये रखे गये हैं जो 1975-76 की तुलना में 31.6 प्रतिशत ज्यादा हैं तो उन्हें प्रसन्नता ही होगी। जब से हमारे देश में आयोजनाओं का दौर शुरू हुआ है तब से लेकर किसी भी वर्ष में इतनी ज्यादा रक़म विकास परिव्यय के लिये नहीं रखी गई।

1. 4 इस बजट में, इस प्रकार, मुख्यतः तेजी से संवृद्धि करने पर बल दिया गया है। लेकिन स्थायित्व का तत्व महत्वपूर्ण बना रहेगा। हमारे चारों ओर जो देश हैं वह कहीं तो स्फीति से बुरी तरह पीड़ित है और कहीं पर मंदी की स्थिति छाई हुई है। विश्व युद्ध के बाद पहली बार 1975 में विश्व व्यापार काफी ज्यादा गिर गया। यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों के यहां आर्थिक कार्यकलाप के स्तर के गिरने के साथ साथ हुआ। हालांकि कुछ देश की हालत सुधर रही है लकिन यह अब भी पतली ही है। स्फीति की आंधी अनेक देशों को उजाड़ रही है। जो विकासशील देश तेल का निर्यात नहीं करते उन के भुगतान सन्तुलन की स्थिति पर इन सब का दबाव पड़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था हालांकि अन्य देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक सुदृढ़ है लेकिन वह इन दबावों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। इसकी व्यवस्था को ठोस बनाये रखने के लिये हम सब को पूरी तरह से सतर्क रहना होगा।

1. 5 चालू वर्ष में भारत के आर्थिक कार्य परिणाम हम सब के लिये न केवल सन्तोष-प्रद बल्कि निश्चय ही गर्व की बात रहे हैं। सभी क्षेत्रों में उत्पादन में सुधार हुआ है। अर्थ-व्यवस्था के बुनियादी क्षेत्रों, जैसे कृषि, उद्योग, खान-उद्योग, विद्युत, परिवहन आदि क्षेत्रों में हमें अपूर्व सफलतायें प्राप्त हुई है। हमारा देश ही एक ऐसा देश है जिसे कीमतों में बराबर कमी लाते रहने में सफलता प्राप्त हुई, यह कमी अक्टूबर 1974 से शुरू हुई। 21 फ़रवरी 1976 को समाप्त सप्ताह में थोक भावों का सूचक अंक, गिर कर 288 रह गया और वह एक साल पहले के सूचक अंक की तुलना में लगभग 7.3 प्रतिशत कम है; पिछले साल इन दिनों उस से पिछले साल की तुलना में कीमतें 12.5 प्रतिशत ज्यादा थी। उपभोक्ता कीमतें भी गिरने लगी है। जनवरी 1976 में अखिल भारतीय औद्योगिक कामगार उपभोक्ता कीमतों का सूचक अंक जनवरी 1975 के 326 के सूचक अंक की तुलना में 8.6 प्रतिशत कम था अर्थात् यह 298 था। मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि

उपभोक्ता कीमतों के सूचक अंकों का 12 महीनों का औसत गिर कर 318.6 रह गया है। कीमतों के विरुद्ध संघर्ष करने में हमें जो सफलता मिली है उस से निराशा और सन्देह के वातावरण को दूर करने में सहायता मिली है जो 1973-74 में छाया हुआ था। अनेक कठिनाइयों के बावजूद हम ने जिस तरीके से इस संघर्ष में विजय प्राप्त की है वह हमारी अर्थव्यवस्था की आधारभूत दृढ़ता और परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने की शक्ति का सजीव प्रमाण है।

1.6 पिछले वर्ष मैंने माननीय सदस्यों का ध्यान कीमतों को बढ़ने से रोकने की ओर ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की संवृद्धि को तेज करने के लिये ठोस कदम उठाने की जरूरत की ओर भी दिलाया था। इसलिये यह विशेष संतोष की बात है कि वर्ष के दौरान कीमतों के रुख में अनुकूल परिवर्तन होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था में संवृद्धि की दर भी अच्छी रही है। मौजूदा संकेतों के आधार पर राष्ट्रीय आय निवल रूप में 1975-76 में लगभग 5.5 प्रतिशत बढ़ जायेगी। यह सफलता सरकार द्वारा कारखानों और खेतों के उत्पादन में वृद्धि करने में आने वाली विभिन्न रुकावटों को दृढ़ निश्चय के साथ दूर करने में की गई अनेक कोशिशों के कारण है खासतौर से उन कोशिशों के कारण जो जुलाई 1975 के बाद नये आर्थिक कार्यक्रम को अभियान के रूप में शुरू करने के बाद की गई। अच्छे बीज, सिंचाई और उर्वरकों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये पुरजोर कोशिशों के परिणाम स्वरूप कृषि में विकास की संभावनायें काफ़ी बढ़ गई हैं। उद्योग में काम आने वाली विद्युत, कोयला और इस्पात जैसी महत्वपूर्ण चीजों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये जो सोद्देश्य प्रयास किये गये वह औद्योगिक उत्पादन में और वृद्धि करने की दिशा में शुभ लक्षण हैं। तस्करी और अनधिकृत तरीके से विदेशी मुद्रा के लेन देन से विदेशी मुद्रा की हानि को रोकने के लिये की गई कार्यवाई से देश की विदेशी भुगतान स्थिति पर काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। इस तथ्य से कि चालू वर्ष के अन्त तक सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के पास 110 लाख टन तक अनाज का भंडार हो जायेगा, अर्थव्यवस्था को पर्याप्त शक्ति मिलती है। कुल मिला कर, भारतीय आर्थिक स्थिति का कोई भी तटस्थ प्रेक्षक आर्थिक अनुशासन के कड़ाई के साथ लागू करने से होने वाले लाभ को आसानी से हृदयगंम कर सकता है। 1975-76 में अर्थव्यवस्था की प्रगति के अत्यन्त सन्तोषजनक होने से अब हम आने वाले वर्ष में सामाजिक और आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के लिये और ज्यादा कोशिशें कर सकते हैं।

II

2.1 आर्थिक संवृद्धि की दर में निरन्तर वृद्धि करते रहने की बुनियादी शर्त यह है कि अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्रों में पर्याप्त पूंजी लगाई जाये। इसी उद्देश्य के अनुसरण में 1975-76 में वार्षिक आयोजना के परिव्यय में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। सौभाग्य से इस समय हमारी खाद्य स्थिति और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि की स्थिति ऐसी है कि हम कीमतों की स्थिरता को छेड़े बिना 1976-77 के लिये परिव्यय में और अधिक वृद्धि करने की योजना बना सकते है। स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र में लगाई गई पूंजी को इस दिशा में एक प्रमुख भूमिका अदा करनी है। इसलिये 1976-77 के बजट में मेरी सब से पहली कोशिश यह है कि कार्य निष्पादन के लिये उपलब्ध संगठनात्मक क्षमता के अनुरूप पूंजी निवेश में यथासंभव अधिक से अधिक वृद्धि की जाय। इस प्रकार जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं 1976-77 का वार्षिक आयोजना का 7852 करोड़ रुपयों का परिव्यय 1975-76 की वार्षिक आयोजना के परिव्यय की तुलना में 31.6 प्रतिशत अधिक है।

2.2 मुझे विश्वास है कि आयोजना परिव्यय में परिकल्पित वृद्धि से कीमतों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हालांकि यह कठोर आर्थिक अनुशासन के आधार पर ही सम्भव है । ऊंची कीमतों के खिलाफ संघर्ष में सफलता सिर्फ इसीलिए मिली कि देश में उत्साहपूर्वक आर्थिक अनुशासन को अपनाया जिसकी की बड़ी जरूरत थी । इस समय कीमतों में स्थिरता आ जाने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आर्थिक अनुशासन के लागू करने में ढील दी जा सकती है । कीमतों में स्थिरता को समाज के सभी वर्गों के सोद्देश्य सहयोग से बनाए रखना पड़ेगा । यह मान बठना कि कीमतों में स्थिरता अपने आप बनी रहेगी एक भयंकर भूल होगी। अगर हम चौकस नहीं रहे तो कीमतों में वृद्धि का भयंकर दौर फिर से शुरु हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जितनी सीमा तक सम्भव हो उतनी सीमा तक अधिक से अधिक वास्तविक बचतें कर योजनाबद्ध तरीके से पूंजी निवेश में वृद्धि के लिए धन जुटाया जाए । इसका अर्थ यह भी है कि भविष्य में संवृद्धि की गति में तेजी लाने के लिए समाज को चाहिए कि वह इस समय अपनी खपत में स्वैच्छापूर्वक कमी करने के लिए राजी हो । हमारी आर्थिक नीतियों को पूंजी निवेश और बचतों मे संवृद्धि करने में आवश्यक रूप से सहायक होना होगा । मैं अपने भाषण में बाद में यह बताऊंगा कि इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायता देने के लिए हमारी कराधान की प्रणाली को किस प्रकार ढाला जा रहा है । इसके साथ ही गैर-विकासात्मक खर्च की वृद्धि में कटौती करने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी । आपात स्थिति की घोषणा के बाद अनुशासन में सामान्य रूप से जो सुधार आया है उससे सरकार के प्रशासन की क्षमता में ही वृद्धि नहीं हुई है बल्कि ओवर टाइम पर जो खर्च होता था उसमें काफी बचत भी हुई है । हमें इस गति को बनाए रखना है । चालू वर्ष में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य परिणाम उत्साहजनक रहे हैं और इनके उत्पादन में संवृद्धि की दर 15 प्रतिशत तक पहुंच गई है । हमें इसमें लगातार वृद्धि करते रहना है जिससे पिछले वर्षों में इनमें जो भारी पूंजी लगाई गई थी उससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके इसी प्रकार गैर-सरकारी क्षेत्र को भौतिक और आर्थिक साधनों के इस्तेमाल में भारी अनुशासन की जरूरत को, जिससे बचा नहीं जा सकता, स्वीकार करना चाहिए । ऋण सम्बन्धी नीतियों को बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहना होगा । लेकिन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार ऋण के प्रयोग की युक्तिसंगत व्यवस्था का निर्माण करने के बुनियादी उद्देश्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती । सावधि ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा ऋण देने की रीति भी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार होनी चाहिए । सर्वसाधारण की खपत में आने वाली चीजों की खरीद और सार्वजनिक वितरण के कारगर प्रबन्ध भी राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के आवश्यक अंग होने चाहिएं ।

2.3. पिछले वर्ष मैंने अपने बजट भाषण में 1975-76 के लिए बजट प्रस्तावों में क्षेत्रों के आधार पर निहित स्थूल प्राथमिकताओं का उल्लेख किया था । यह प्राथमिकताएं आज भी प्रमाणिक हैं ! यह सिद्ध करने के लिए कि हमारे जैसे देश में जनता की गरीबी को गांवों में फैली गरीबी के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष करके ही दूर किया जा सकता है, कोई ज्यादा तर्क करने की जरूरत नहीं है । जैसा कि महात्मा गांधी हमें अक्सर याद दिलाया करते थे, भारत गांवों में बसता है । इसका अर्थ यह है कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता कृषि विकास के कार्यक्रमों को और इसके सहायक अन्य क्षेत्रों जैसे विद्युत, सिंचाई, उर्वरक और हानिकर कीड़ों मकोड़ों का नाश करने वाली दवाओं के क्षेत्रों को दी जाती रहनी चाहिए । इस संदर्भ में, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि गांवों में फैली गरीबी और पिछड़ेपन के खिलाफ कारगर लड़ाई की योजना ग्राम विकास के ऐसे समन्वित कार्यक्रम के ढांचे के अन्तर्गत ही बनाई जा सकती है जो स्थानीय आवश्यकताओं, प्राप्त साधनों

और संभावनाओं की विस्तृत जानकारी पर आधारित हो। हमारा ध्यान विदेशों से उद्योग की अधिक से अधिक वस्तुओं के आयात करने के बजाय स्थानीय उपलब्ध साधनों का उपयोग करने पर होना चाहिए जिनमें स्थानीय जनशक्ति भी शामिल है। हमें जिला स्तर की प्रचालन आयोजनाएं तैयार करनी होंगी। इनमें प्रत्येक क्षेत्र की सटीक और अलग-अलग आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, प्राकृतिक साधनों का तुरन्त व्यापक सर्वेक्षण करना जरूरी हो गया है। हमें अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया जीवन प्रदान करने के लिए, आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पूरा-पूरा लाभ उठाना होगा।

2.4. कुल मिलाकर उद्देश्य यह होना चाहिए कि एक ऐसी नीति का निर्माण किया जाए, जिससे दुहरे लक्ष्य की अर्थात् उपलब्ध जन-शक्ति को उत्पादक रोजगार प्रदान करने और हमारे सभी प्राकृतिक साधनों का वैज्ञानिक उपयोग करने की पूर्ति हो सके। यह सच है कि ऐसी विकास नीति को एक दिन में ही लागू नहीं किया जा सकता। प्रचालन के वास्तविक कार्यक्रमों का निर्माण करने से पहले काफी तैयारी करने की आवश्यकता है। इसमें इस बात की गुंजाइश होनी चाहिए कि बदलती हुई जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार, परिवर्तन और संशोधन किए जा सकें। समन्वित ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इस प्रकार के प्रयत्नों के लिए, 1976–77 के केन्द्रीय बजट में 15 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। मुझे आशा है कि हमें 1976–77 में जो अनुभव प्राप्त होगा उसके आधार पर हम इस कार्यक्रम के क्षेत्र का उत्तरोत्तर अधिक विस्तार कर सकेंगे।

2.5. आधुनिक वैज्ञानिक कृषि और उद्योग के बीच बड़ा निकट संबंध है। कृषि की प्रगति बुनियादी तौर से नए नए बीजों, सिंचाई, विद्युत और उर्वरकों जैसी चीजों की सप्लाई पर निर्भर करती है। चालू वर्ष में राष्ट्रीय बीज परियोजना में सन्तोषजनक प्रगति हुई है और इस समय अच्छी किस्म के बीजों की कोई कमी नहीं है। हाल में अन्तर्राज्यीय नदी विवादों को जिस तेजी से हल किया गया है उससे देश के विशाल जल साधनों के अधिक तेज और युक्तिसंगत विकास का काम निश्चय ही आसान हो जाएगा।

2.6 पिछले कुछ वर्षों के अनुभव से पता चलता है कि विदेशों से उर्वरकों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहने में भारी जोखिम रहता है। इस लिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपने उर्वरक कार्यक्रम को जितनी तेजी से हो सके आगे बढ़ाएं। मुझे इस बात से बड़ा संतोष होता है कि चालू वर्ष में देश में उर्वरक क्षमता के उपयोग में काफी वृद्धि हुई है। आज यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि हमारे देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है।

2.7. सरकार ने अभी हाल ही में उर्वरकों की कीमतों की जांच की है। यह जांच इस बात का सुनिश्चिय करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए की गई है कि खेती में उत्पादन और लागत का अनुपात इतना अवश्य होना चाहिए जिससे इस काम में और अधिक पूंजी लगाने को बढ़ावा मिले और इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि हो। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि यूरिया की कीमत को 1850 रुपए प्रति टन से घटा कर 1750 रुपए प्रति टन करने का फैसला किया गया है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है। फास्फोटी और पोटाशी उर्वरकों की खपत वांछित स्तर से कम है। इसलिए सरकार ने देश में उत्पादित सभी फास्फोटी उर्वरकों और कुछ चुनी हुई किस्मों के आयात किए गए फास्फोटी उर्वरकों की कीमतों को 1250 रुपए पी$_2$ओ$_5$ के प्रति टन के हिसाब से घटाने का निर्णय किया है। म्यूरिएट आफ पोटाश की कीमत को भी 1085 रुपए प्रति टन से घटा कर 900

रुपए प्रति टन किया जाएगा। मैं आयात किए गए राक फास्फेटों से सम्बद्ध प्रस्तावों की चर्चा बाद में करूंगा। मुझे विश्वास है कि उर्वरकों की कीमतें घटा देने से उनकी खपत बढ़ जाएगी।

2.8. आधुनिक कृषि के लिए ऋण की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। वाणिज्यिक बैंकों ने राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में अपने क्रियाकलापों का भारी विस्तार किया है। लेकिन अभी भी, जितना ऋण मिल सकता है और जितना अपेक्षित है, उसके बीच बहुत बड़ा अन्तर है। इस अन्तर को कुछ हद तक अब नए खोले गए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा पूरा किए जाने की कोशिश की गई है। यह बैंक गांव की जनता के कमजोर वर्गों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान देंगे।

2.9. देश की अर्थव्यवस्था, विशेषत: उसके औद्योगिक आधार के विकास के लिए विद्युत कोयले, तेल और लोहे तथा इस्पात जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने की जरूरत पर जितना भी जोर दिया जाए उतना कम है। 1975–76 में इन वस्तुओं के उत्पादन में अच्छी वृद्धि हुई। अनुमान है कि 1975–76 में कोयले का उत्पादन 980 लाख टन के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। विद्युत के उत्पादन में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि होगी। फिर भी और अधिक तेजी से आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है। सुपर थर्मल पावर स्टेशनों की स्थापना, देश को विद्युत की निरन्तर बनी रहने वाली कमी से मुक्त करने के कार्यक्रम का एक आवश्यक आधार है। तट पर और तट से दूर दोनों स्थानों पर तेल की खोज करने के कार्यक्रमों में काफी तेजी आई है और मौजूदा संकेतों के अनुसार मध्यम अवधि के लिए संभावनाएं काफी अधिक अनुकूल प्रतीत होती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगामी वर्षों में उत्पादन में वृद्धि होती रहे, हमें इन सभी उद्योगों के लिए पर्याप्त निवेश-योग्य साधनों की व्यवस्था करनी चाहिए। 1976–77 के बजट में ठीक यही किया जा रहा है।

2.10. राष्ट्रीय पूंजी निवेश नीति की योजना बनाते समय हमारे लिए यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि गैर-सरकारी पूंजी निवेश का स्तर और क्षेत्रों के आधार पर उसका विभाजन हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। मैं यह मानता हूं कि हाल के वर्षों में कुछ प्रमुख उद्योगों में जो पूंजी निवेश किया गया वह उतना नहीं था जितना कि होना चाहिए था। सरकार ने कुछ प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों की लाभकारिता में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किए हैं। कीमत निर्धारण करने की नीति को अधिक उदार बनाया गया है। कुछ मामलों में कीमतों पर से नियंत्रण हटा लिया गया है और कुछ अन्य मामलों में दोहरी कीमतों की प्रणाली अपनाई गई है ताकि पूंजी लगाने वालों को उचित लाभ हो और उसके साथ-साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के प्रयोक्ताओं को, कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने से बचाया जाए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि तेजी से बदलने वाली इस दुनियां में, कीमत निर्धारण करने की हमारी नीतियों में इतनी गुंजाइश जरूर रहनी चाहिए, जिसकी जरूरत भी है, कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच उचित संन्तुलन सुनिश्चित किया जा सके।

2.11. मुझे मालूम है कि हाल के वर्षों में पूंजी लागत में भारी वृद्धि हुई है जिससे नए पूंजी-निवेश की लाभकारिता पर प्रभाव पड़ा है। कुछ वर्ष पहले जब विकास छूट वापस लेने का फैसला किया गया था, तब इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था। मैं स्वीकार करता हूं कि पूंजी लागत में वृद्धि होने से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वे वास्तविक हैं और कारगर ढंग से उनका समाधान करने के तरीके ढूंढने चाहिएं। इस बजट में ऐसा ही करने की कोशिश की जाएगी।

2.12. मौजूदा पूंजी निर्गम (छूट) आदेश के अन्तर्गत, केवल बोनस निर्गमों और एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रणाली अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड कम्पनियों को पूंजी जारी करने के लिए पूंजी निर्गम नियंत्रक की विशिष्ट स्वीकृति लेनी जरूरी होती है। अन्य निर्गमों के मामलों में, यदि बारह महीने की अवधि में निर्गम की राशि 25 लाख रुपए से अधिक हो तो कम्पनियों के लिए केवल यही जरूरी होता है कि वे नियंत्रक को प्रस्तावों का विवरण भेजें। अब इस सीमा को बढ़ा कर 50 लाख रुपए कर देने का प्रस्ताव है। लेकिन बोनस निर्गमों या एकाधिकार और निर्बन्धनकरी व्यापारी प्रणाली अधिनियम के अधीन आने वाली कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले निर्गमों से सम्बन्धित विनियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

2.13. हमारे लिए यह विशेष चिन्ता का विषय रहा है कि सूती कपड़ा, जूट की विनिर्मित वस्तुओं और चीनी जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों ने आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए पर्याप्त साधन नहीं लगाए हैं। ये उद्योग महत्वपूर्ण कृषिजन्य कच्चे माल को प्रोसेस करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में कामगरों को सीधे रोजगार देते हैं। ये उद्योग देश की विदेशी मुद्रा के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा, कपड़ा और चीनी आम उपयोग की प्रमुख चीजें हैं। इसलिए देश का हित इन उद्योगों के सुचारु संचालन में है। कुछ किस्मों के इंजीनियरिंग उद्योगों को भी संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसे समय रहते दूर करना जरूरी है। सीमेंट उद्योग में, "वेट प्रोसेस" के स्थान पर ड्राई प्रोसेस" को अपनाने से उत्पादन-लागत में किफायत की जा सकती है। इसलिए एक अन्य बात जिसे उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए यह है कि इन उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए और इन्हें नए सिरे से चलाने के लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था की जाए। इस उद्देश्य से, औद्योगिक विकास बैंक के लिए काफी साधनों की व्यवस्था की जा रही है जिससे यह बैंक सार्वधि ऋण देने वाली अन्य संस्थानों के सहयोग से इन उद्योगों के आधुनिकीकरण, नवीकरण और नए सिरे से चलाने की आवश्यकताओं का खर्च पूरा कर सके।

2.14. मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि आम तौर पर किसी उद्योग के संकटग्रस्त होने का कारण प्रबन्ध व्यवस्था का कुशल न होना होता है। मैं सोचता हूं कि वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ साथ, सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों की प्रबन्ध-व्यवस्था को कुशल बनाने की सुचारू व्यवस्था का निर्माण भी करना चाहिए। इस बात पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है कि चीनी जैसे उद्योगों का सही विकास गन्ने के उत्पादन में वृद्धि की स्थिर दीर्घकालीन नीति को अपनाए जाने पर निर्भर करता है। इसी प्रकार सूती कपड़ा उद्योग की प्रगति कपास के विकास की सही नीति के निर्माण से जुड़ी हुई है। इसके अलावा, कपड़े सम्बन्धी समन्वित नीति में हथकरघा क्षेत्र की, जो बहुत बड़ी संख्या में गरीब बुनकरों को रोजगार प्रदान करता है, पक्की सुरक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था की जानी जरूरी है।

2.15. निस्संदेह यह सच है कि आजकल कुछ उद्योगों को अपनी चीजों की मांग की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे आशा है कि 1976–77 के आयोजना-परिव्यय में परिकल्पित वृद्धि से मौजूदा औद्योगिक क्षमताओं के अधिक उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कई उद्योगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बेरोजगारी को रोकने की दृष्टि से, इन उद्योगो को अपनी संक्रमण-कालीन समस्याओं को हल करने के लिए सहायता देने की बात में कुछ दम हो सकता है, लेकिन उनका जिंदा रहना इस बात से जुड़ा है कि उनमें अपने क्रियाकलापों में अनेकरूपता लाने और ऐसी

किस्मों की वस्तुओं का उत्पादन करने की कितनी योग्यता है, जिनकी कि मांग देश में बढ़ सकती है ।

2.16. देश की विदेशी भुगतान क्षमता के बने रहने की एक आवश्यक शर्त यह है कि निर्यात की मात्रा में 8 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक दर से वृद्धि होती रहे। सरकार ने हाल में निर्यातकर्त्ताओं के लिए प्रक्रियाओं को और सरल तथा सुविधाओं को और उदार बना दिया है। नकद सहायता देने और शुल्क की वापसी की प्रक्रिया को अधिक सरल बना दिया गया है । हमारे निर्यात की प्रतियोगिता-क्षमता में वृद्धि करने के लिए नकद सहायता की दरों में उचित संशोधन किए गए हैं। देश ने आन्तरिक कीमतों के स्तर में स्थिरता लाने में जो सफलता प्राप्त की है, उससे, और देश के अन्दर क्रेता-बाजार के निर्माण से भी हमारी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रतियोगिता-क्षमता बढ़ गई है । इस तथ्य से कि एक ऐसे वर्ष में जब विश्व व्यापार की मात्रा में कमी हुई हो, हमारे निर्यात की मात्रा में 7 से 8 प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावना है, इस बात का पता चलता है कि निर्यात संवर्धन के हमारे प्रयत्न अधिकाधिक सफल हो रहे हैं। मैंने जूट, कपड़े और चीनी उद्योगों के आधुनिकीकरण के जिन कार्यक्रमों का पहले उल्लेख किया है, उनका उद्देश्य देश के निर्यात में और वृद्धि करना है । हाल में रुपए की विनिमय दर को पौंड से अलग कर दिया गया था और यह व्यवस्था की गई थी कि रुपए की विनियम दर का निर्धारण भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं के समूह के मूल्यों में होने वाली घटबढ़ को देखकर किया जाए। इसका उद्देश्य प्रभावी विनिमय दर को और विनिमय दरों से मुक्त मुद्राओं के संसार में हमारे विदेशी व्यापार को अधिक स्थिरता प्रदान करना है । देश में अनेक प्रकार के उद्योगों के खुल जाने के कारण भारत के लिए अब यह संभव हो गया है कि वह अपने निर्यात में सफलतापूर्वक वृद्धि करने की पुरजोर कोशिश करे जो पहले करना संभव नहीं था।

2.17. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गई है कि व्यापक गरीबी विशाल मानव जाति की नियति बन कर नहीं रह सकती। देश ने कृषि विकास के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग, अंतरिक्ष विषयक खोज और आधुनिक विज्ञान के उपयोग के क्षेत्र में महान सफलता प्राप्त की है । लेकिन अब समय आ गया है कि जब प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परिवर्तन की गति को तेज करने की जरूरत है । इस प्रक्रिया के अंग के रूप में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए आयोजना के अन्तर्गत 1976-77 में 156 करोड़ रुपया रखा जाएगा जो चालू वर्ष के 116 करोड़ रुपए के संभावित व्यय की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक है । माननीय सदस्य निस्सन्देह सरकार द्वारा एक अनुसंधान और विकास उपकर लगाने के निर्णय का स्वागत करेंगे जिससे इस प्रकार के उद्योगों के लिए धन जुटाया जा सके। इस संबंध में उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, इसी सत्र में एक विधेयक पेश करेगा।

2.18. हालांकि अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए अधिक उत्पादन करना बहुत जरूरी है फिर भी यह सामाजिक न्याय केवल अधिक उत्पादन करने से ही नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए हमारी विकास नीति में समाज के अपेक्षाकृत अधिक कमजोर वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रमों की आवश्कयता को महत्व दिया गया है। बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम ने इस तरह के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने की महान आवश्यकता की दिशा में नए सिरे से जागरूकता पैदा कर दी है। फालतू जमीन का फिर से वितरण करने, गरीबों को मकान बनाने के लिए जगह देने और खाली पड़ी शहरी जमीन का सामाजिक उपयोग

करने के उपायों को कारगार तरीके से क्रियान्वित करने से आय वितरण के ढांचे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है। परिवार नियोजन भी इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है और अब इस पर पहले की अपेक्षा अधिक जोर दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे समाज के उन लोगों के जीवनस्तर और रहन-सहन के तरीकों में सुधार लाना है जिन्हें अपेक्षाकृत कम सुविधाएं प्राप्त हैं। शहरों का यथोचित विकास करने और उनका नवीकरण करने के कार्यक्रम के अंग के रूप में कम आय वाले लोगों के वास्ते मकान बनाने की गति को तेज करने के लिए नए कार्यों को शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस तरह के विशेष कार्यक्रमों में अभीष्ट सफलता तभी मिलेगी जब ये कार्यक्रम विकास की समेकित नीति के अंग बन जाएंगे।

2.19. सरकार यह महसूस करती है कि यदि विकास की प्रक्रिया की गति तीव्र करनी है और आयोजनाओं तथा कार्यक्रमों को सही तरीके से अमल में लाना है तो वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में कुछ बुनियादी फेरबदल करना भी जरूरी है। इस समय मंत्रालयों और विभागों से बाहर एक अन्य एजेंसी द्वारा हिसाब-किताब रखने की जो व्यवस्था है वह कारगर तरीके से वित्तीय प्रबन्ध करने की दिशा में अधिक उपयोगी नहीं है। लेखा और वित्त दोनों को कुल मिला कर समूचे प्रबन्ध का एक अभिन्न अंग होना चाहिए और उन्हें परियोजनाओं का चयन करने, रकमें नियत करने, वास्तविक प्रगति के संदर्भ में खर्च पर नियंत्रण रखने और परिणामों का मूल्यांकन करने के काम में अपेक्षाकृत अधिक सार्थक और कारगर भूमिका अदा करनी चाहिए। लेखाओं को प्रशासनिक मंत्रालयों में मिला देने के उद्देश्य से इन्हें लेखापरीक्षा से अलग कर देने और विभागीय लेखा प्रणाली शुरू करने का विचार है। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों के लेखाओं को लेखा-परीक्षा से अलग करने के काम को पहली अक्तूबर, 1976 तक पूरा कर देने का कार्यक्रम बनाया गया है। इस नई स्कीम के अन्तर्गत, प्रशासनिक मंत्रालय, अदायगियां करने और ठीक समय पर लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें पेश करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार होंगे। उपर्युक्त सुधार लाने से खर्च की प्रगति की सूचना समय पर प्राप्त करने में सुविधा होगी और इससे खर्च के रूप का सही विश्लेषण किया जा सकेगा। इस बात में जरा भी शक नहीं है कि इस तरह से सूचना मिलने पर सही निर्णय लेने तथा जहां आवश्यक हो वहां उपचारात्मक कदम उठाने में बड़ी आसानी होगी। चूंकि यह परिवर्तन, भारतीय प्रशासन के इतिहास में बुनियादी और अभूतपूर्व परिवर्तन है इसलिए इस बात का सुनिश्चिय करने के लिए सावधानी बरतनी होगी कि इस परिवर्तन के दौर में अदायगियों के मामलों में अथवा हिसाब किताब रखने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न होने पाए। निस्संदेह सम्मानित सदस्य इस बात से अवगत हैं कि राष्ट्रपति ने इन उद्देश्यों को पूरा करने तथा इस बात का सुनिश्चिय करने के लिए दो अध्यादेश जारी किए हैं कि सरकार ने जो नई जिम्मेदारियां संभाली हैं उन्हें निभाने के लिए उसे कुशल कर्मचारी उपलब्ध हों। ऐसा करने में हमेशा इस बात की सावधानी बरती जाएगी कि कर्मचारियों को कम से कम कठिनाई हो और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपने संवैधानिक दायित्वों को बिना किसी अड़चन के और कारगर तरीके से निभा सकें। सुधार के इस काम में नियंत्रक व महालेखापरीक्षक पूरी तरह से संबद्ध रहे हैं और सभी काम उनके परामर्श से किए गए हैं।

2.20. सरकार अपने कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावों और जनता के साथ लेनदेन करने की कार्यप्रणाली को युक्तिसंगत बनाने और उसे नवीन बनाने के काम को भी अधिक महत्व देती है। पेंशन, उपदान और सरकारी अधिकारियों के वेतन की निकासी करने की मौजूदा कार्यप्रणाली की

बारीकी से जांच की गई है और पेंशन के कागजात तैयार करने तथा पेंशन और उपदान की मंजूरी देने में जो विलम्ब होता है उसे दूर करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। राजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की अदायगी करने की कार्यप्रणाली को भी सरल बना दिया गया है। सरकार और उसके कर्मचारियों तथा अन्य नागरिकों के बीच वित्तीय लेन देन करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं का उपयोग करने का विचार है। मौजूदा कार्यप्रणाली के मुताबिक आजकल इस तरह के लेन देन केवल थोड़े से राजकोषों अथवा बैंकों के साथ ही किए जा सकते हैं लेकिन नई व्यवस्था मौजूदा प्रणाली की अपेक्षा काफी सुधरी हुई है।

2.21. कर वसूल करने, करों की चोरी की रोक थाम करने और अवैध तरीके से विदेशी मुद्रा के अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल पर रोक लगाने की व्यवस्था की त्रुटियों को दूर कर दिया गया है। आयकर की दरें कम कर देने के बावजूद इस मद के अन्तर्गत अपेक्षाकृत अधिक रकम प्राप्त होने, स्वेच्छा से अपनी आय और सम्पत्ति प्रकट करने की स्कीम को असाधारण सफलता मिलने तथा तस्करी के खिलाफ कारगर कदम उठाने के कारण अदृश्य मदों से विदेशी मुद्रा की आय में भारी वृद्धि होने से इस बात का संकेत मिलता है कि कर की वसूली करने की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जो कदम उठाए गए वे कारगर साबित हुए। मैं इस अवसर पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व आसूचना निदेशालय तथा प्रवर्तन निदेशालय के कर्मचारियों की सराहना करता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।

2.22. मैं यहां पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कर की चोरी तथा काले धन जैसी बुराइयों को केवल प्रशासनिक तंत्रों में कड़ाई लाकर सफलतापूर्वक दूर नहीं किया जा सकता। इस दिशा में इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करना भी उतना ही जरूरी है कि हमारी आर्थिक नीतियां, जिनमें हमारी राजकोषीय नीतियां भी शामिल हैं, ऐसी होनी चाहिए कि जिनसे कि कर की चोरी और काले धन की कमाई करने वालों को प्रोत्साहन ही न मिले। सरकार ने इस अभियान के अंग के रूप में आर्थिक शक्ति के और अधिक केन्द्रीयकरण को किसी भी तरह का बढ़ावा दिए बिना उन नियंत्रणों को अचूक और सरल बनाने की कोशिश की है जो या तो पुराने पड़ चुके हैं या जो अब कारगर नहीं रहे। विदेशों में रहने वाले गैर-आवासी भारतीयों द्वारा इस देश में विदेशी मुद्रा भेजने की प्रणाली को सरल बनाने तथा उन्हें और अधिक सुविधाएं देने के लिए सरकार ने जो कदम अभी हाल में उठाए हैं उनका लक्ष्य इसी उद्देश्य को पूरा करना है फिर भी, उक्त कार्य प्रणाली को सरल तथा और अधिक उदार बनाने का काम कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं जो एक बार में ही पूरी हो जाए। जनता के हित के लिए हमारे विनियमनकारी तंत्र के अंग के रूप में कुछ नियंत्रण हमेशा बने रहेंगे और यह मान कर चलना होगा कि ये नियंत्रण हमारे जीवन के आवश्यक अंग है। लेकिन, जहां आवश्यक है वहां हमारे नियंत्रण के तंत्रों को अधिक लोचदार बनाने उनके संचालन में सुधार लाकर अपेक्षाकृत अधिक कारगर बनाने, प्रत्येक नियंत्रण व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में इनके स्थूल उद्देश्यों के साथ इनका तालमेल बिठाते रहने और इस बात पर बराबर नजर रखने की जरूरत है कि क्या वास्तव में इन नियंत्रणों से इनमें निहित उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है अथवा इसके स्थान पर कोई व्यवस्था इससे अच्छी रहेगी या नहीं।

2.23. मैं सोचता हूं कि अब तक जो कुछ मैं कह चुका हूं उससे माननीय सदस्यों को वर्ष 1976-77 के बजट के उद्देश्यों तथा नीतियों के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल चुकी होगी। इसलिए अब मैं वर्ष 1975-76 के संशोधित अनुमानों का और वर्ष 1976-77 के बजट अनुमानों की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में ब्यौरा पेश कर रहा हूं।

III

1975–76 के लिए संशोधित अनुमान

3.1. 1975–76 के लिए मूल बजट में 247 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान किया गया था। किन्तु यह घाटा खर्च में कुछ ऐसी वृद्धि होने के कारण, जो रोकी नहीं जा सकती थी, चालू वर्ष के अन्त तक और ज्यादा हो जाएगा। इस अतिरिक्त खर्च के अधिकांश भाग का संबंध सरकार के उस कार्य से है जिसका उद्देश्य आर्थिक सवृद्धि की गति को तेज करना है।

3.2. अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी की स्थिति के बने रहने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि निर्यात में वृद्धि करने के लिए और जोरदार कोशिश की जाये। इससे आशा है कि निर्यात के संवर्धन की स्कीमों पर खर्च मूल बजट अनुमानों में 88 करोड़ रुपए की व्यवस्था की अपेक्षा 71 करोड़ रुपया बढ़ जाएगा।

3.3. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य परिणामों में भारी सुधार हुआ है लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं खास तौर से राष्ट्रीय वस्त्र निगम, जिन्होंने इतना उत्पादन नहीं किया कि वह अपनी देनदारियों को पूरा कर सकें। इस कारण से सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को मूल बजट में गैर-आयोजना सहायता देने के लिए रखी गई 170 करोड़ की रकम में 210 करोड़ रुपयों की वृद्धि करनी पड़ी।

3.4. खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होने का लाभ उठा कर सरकार ने पर्याप्त अनाज का सुरक्षित भंडार रखने का निर्णय किया है। इस प्रयोजन से बजट में भारतीय खाद्य निगम के लिए 130 करोड़ रुपये—100 करोड़ पए इक्विटी पूंजी और 30 करोड़ रुपए उधार के रूप में रखे गए हैं। सदन इस बात से सहमत होगा कि यह पूंजी उचित ही लगाई जा रही है।

3.5. मूल बजट में उर्वरकों की खरीद व बिक्री के लिए 140 करोड़ रुपए रखे गए थे। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है उर्वरकों की पूल कीमतें जुलाई, 1975 और दुबारा दिसम्बर, 1975 में घटानी पड़ीं जिससे इनकी खपत में वृद्धि की जा सके। इस कारण और शुरू में उर्वरकों की कम बिक्री होने तथा रकम की देर में वसूली होने के कारण इस मद में 173 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि का अनुमान है।

3.6. रक्षा व्यय 136 करोड़ पए बढ़ जाएगा जो मुख्यतः अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की मंजूरी और राशन व अन्य भत्तों की दरों में वृद्धि होने के कारण है। सितम्बर, 1975 में मंजूर किए गए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों के कारण जिनके लिए बजट बनाते समय कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, खर्च में और भारी वृद्धि हुई है जो संशोधित अनुमानो में अन्य मदों में भी दिखाई देती है।

3.7. इन देनदारियों के कारण बजट पर जो बोझ पड़ा उसके बावजूद हमने अपने विकास कार्यों को यथापूर्व बनाए रखा और उन पर खर्च में कोई कमी नहीं आने दी। आयोजना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों खासतौर से इस्पात, नौवहन और परिवहन तथा खानों, उर्वरकों, कोयला और विद्युत् के क्षेत्रों में भी पूंजी निवेश में 1975–76 के बजट की अपेक्षा वृद्धि कर दी गई। स्वास्थ्य और परिवार नियोजन पर परिव्यय में भी काफी वृद्धि की गई। रेलों के लिए अतिरिक्त रकमें रखी गई हैं जिससे वह अपनी आयोजना के बढ़े हुए लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने साधनों की कमी

को पूरा कर सकें। यहां मैं रेलों द्वारा माल के डिब्बों को और ज्यादा खरीद करने के लिए रखी गई 53 करोड़ रुपए की व्यवस्था का उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि इससे इंजीनियरिंग के उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिला कर केन्द्रीय आयोजना के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मूल बजट में जितनी व्यवस्था की गई थी उससे यह रकम 270 करोड़ रुपए ज्यादा हो जाएगी।

3.8. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए बजट में मूलतः 1054 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई थी जिसमें सिंचाई और विद्युत् के बुनियादी क्षेत्रों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में पर्याप्त पूंजी लगाने की निश्चित व्यवस्था करने के लिए कुछ ऐसे राज्यों को जिनके पास कम साधन उपलब्ध हैं, 100 करोड़ रुपयों की विशेष सहायता शामिल है। बाद में जब राज्यों के साधनों का मूल्यांकन किया गया तो यह पता चला कि उनमें यह अन्तर जितना सोचा गया था, उससे ज्यादा होगा। इसके परिणामस्वरूप विशेष सहायता की व्यवस्था को बढ़ा कर 175 करोड़ रुपए कर दिया गया। नए आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा के बाद राज्यों को 85 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने का निर्णय किया गया जिससे राज्य सिंचाई और विद्युत् की चुनी हुई परियोजनाओं पर परिव्यय में वृद्धि कर सकें। बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भयंकर वर्षा और बाढ़ के कारण भारी क्षति हुई है। इससे पैदा होने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए इन राज्यों को अग्रिम आयोजना सहायता के रूप में 37 करोड़ रुपयों की रकम रखी गई। इस प्रकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में कुल मिला कर 198 करोड़ रुपयों की वृद्धि की जाएगी।

3.9. यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अगर इतने ज्यादा साधन न जुटाए गए होते तो जिन अतिरिक्त अनिवार्य दायित्वों को पूरा करने की हमने जिम्मेवारी ली है, उनको देखते हुए यह घाटा काफी ज्यादा होता।

3.10. कर न देने वालों के खिलाफ की गई कठोर कार्रवाई के परिणामस्वरूप एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो गया है जिससे कर दाताओं के हृदय में कानून के लिए सम्मान पैदा हो गया है और कर के रूप में अधिक रकम प्राप्त होने लगी। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले वर्षों में अधिकांश आय और सम्पत्ति, कर से बच जाया करती थी। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने यह निर्णय किया कि जो लोग कर देने से बच जाया करते थे उनको अपनी आदतों को सुधारने के लिए एक आखिरी मौका दिया जाना चाहिए। अतः आय और सम्पत्ति को स्वेच्छापूर्वक प्रकट करने की एक स्कीम नियत अवधि के लिए घोषित की गई। इस स्कीम के अन्तर्गत करों की जितनी वसूली हुई वह उससे कहीं ज्यादा हुई जितना कि अनुमान लगाया गया था। करों की वसूली में सुधार होने और अर्थ व्यवस्था के अधिक अच्छी होने के कारण करों की अधिक वसूली होने से राजकोष को भी लाभ हुआ। इन सभी कारणों से बजट अनुमानों की तुलना में कर राजस्व में 660 करोड़ रुपयों की वृद्धि होगी जिसमें राज्यों का हिस्सा भी शामिल है। लेकिन आय-कर की अधिक वसूली होने के कारण होने वाली आय राज्य सरकारों को भी मिलेगी और करों में उनका अंश लगभग 226 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा।

3.11. बाजार उधारों से प्राप्त होने वाली आय अब स्वेच्छापूर्वक प्रकट की गई आय और सम्पत्ति के उस अंश में शामिल की जाती है जो निर्धारित सिक्यूरिटियों में लगाई जाती है। अनुमान है कि इन उधारों से बजट अनुमानों की तुलना में 168 करोड़ रुपए से अधिक की आय होगी।

3.12. अनुमान है कि विदेशी सहायता से बजट अनुमानों की अपेक्षा 554 करोड़ रुपए अधिक की आय होगी। इस रकम में कुद्रमुख परियोजना और आर्थिक विकास के लिए चालू वर्ष में ईरान से प्राप्त 204 करोड़ रुपयों की सहायता शामिल है।

3.13. ऊपर जिन अधिक प्राप्तियों का उल्लेख किया गया है, उनके बावजूद चालू वर्ष में 490 करोड़ रुपयों का बजट घाटा होगा। यहां मैं यह और कहना चाहूंगा कि बजट का 490 करोड़ पए का यह घाटा 100 करोड़ रुपए कम हुआ होता अगर हमने भारतीय रिजर्व बैंक से इतना ही विशेष उधार लिया होता जिसकी परिकल्पना मूल बजट में की गई थी।

IV

1976-77 के लिए अनुमान बजट

4.1. 1976-77 के बजट की सबसे प्रमुख विशेषता पूंजी निवेश में और अधिक उल्लेखनीय वृद्धि करना है जिससे देश सामाजिक न्याय के साथ द्रुतगति से संवृद्धि करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो सके।

4.2. अनुमान है कि करों की मौजूदा दरों के आधार पर 7837 करोड़ रुपयों का सकल कर राजस्व प्राप्त होगा जो 1975-76 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 367 करोड़ रुपए ज्यादा है। 367 करोड़ रुपयों की इस अतिरिक्त आय में से केन्द्र को 346 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। आयोजना की पूंजी में वृद्धि करने तथा उत्पादन को और अधिक बनाए रखने के लिए और अधिक मशीनरी आदि का आयात करने से सीमा शुल्कों से 113 करोड़ रुपए अधिक की प्राप्ति होंगे। संघ उत्पाद शुल्कों से चालू वर्ष में 261 करोड़ रुपए अधिक की आय होने की आशा है। चूंकि स्वेच्छापूर्वक आय और सम्पत्ति को प्रकट करने की स्कीम के अधीन अधिकांश राजस्व चालू वर्ष में वसूल हो जाएगा इसलिए आय कर से 103 करोड़ रुपए कम की प्राप्ति होगी।

4.3. बाजार उधारों से चालू वर्ष के 453 करोड़ रुपयों की अपेक्षा 535 करोड़ रूपयों की आय का अनुमान है। इसमें स्वेच्छापूर्वक आय और सम्पत्ति को प्रकट करने की स्कीम के अधीन लगाई जाने वाली पूंजी शामिल नहीं है। अल्प बचतों से भी अगले वर्ष 40 करोड़ रुपए अधिक की आय होगी।

4.4. विदेशी सहायता से 1341 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है जिसमें नए करारों के अधीन मिलने वाली सहायता या जो सहायता मिल चुकी है, वह भी शामिल है।

4.5. जहां तक व्यय का संबंध है, रक्षा व्यय पर 2544 करोड़ रुपए रखे गए हैं जो 1975-76 के संशोधित अनुमानों से जिनमें 2410 करोड़ रुपयों की व्यवस्था है, कुछ ही ज्यादा हैं। खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता के लिए चालू वर्ष के 250 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की अपेक्षा 300 करोड़ रुपए रखे जायेंगे। पहली मार्च 1976 से उर्वरकों की खरीद व बिक्री को एक नया रूप दिया गया है। भारतीय खाद्य निगम उर्वरक आयात करने का खर्च सरकार को देगा और इन उर्वरकों के वितरण का प्रबंध करेगा। अन्य गैर-आयोजना खर्च को भारी कटौती कर कम से कम किया जा रहा है जिससे कि यथासंभव जो धन बचेगा उसे आयोजना पर लगाया जा सके।

4.6. कीमतों के बढ़ने के कारण पेंशन पाने वालों को हाल के वर्षों में जो दिक्कतें हुई हैं, सरकार उनके प्रति चिन्तित रही है। रहन सहन के खर्च में वृद्धि होने के कारण उन्हें जो सहायता दी गई थी, वह पिछली बार पहली अप्रैल 1974 से दी गई थी। रहन सहन के खर्च में बाद में और अधिक वृद्धि होने के कारण तथा उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए मैं उन्हें पेंशन की दस प्रतिशत रकम की अतिरिक्त तदर्थ सहायता देने का प्रस्ताव करता हूं जो कम से कम 10 रुपए और अधिक से अधिक 50 रुपए होगी। मैं परिवार पेंशन पाने वालों को भी वह राहत जो पहले मंजूर की जा चुकी है तथा कुछ अन्य राहत जो अब पेंशन वालों के लिए प्रस्तावित की जा रही है, देने का प्रस्ताव करता हूं। यह सहायता पहली अक्टूबर 1975 से दी जाएगी। इस काम के लिए अगले वर्ष के बजट में 37 करोड़ रुपयों की रकम रखी जा रही है।

4.7. मैं अब 1976–77 के आयोजना परिव्यय पर आता हूं। केन्द्रीय बजट में केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए 4759 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। इसमें राज्यों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं, पहाड़ी क्षेत्रों और जन जाति क्षेत्रों की उप-आयोजनाओं के लिए व्यवस्था, उत्तर पूर्वी परिषद् की आवश्यकताओं और ग्राम बिजलीकरण निगम के माध्यम से विद्युत् स्कीमों के लिए दी जाने वाली सहायता के लिए 1412 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसमें राज्यों को विशेष अग्रिम आयोजना सहायता के रूप में देने के लिए 294 करोड़ रुपए शामिल हैं जिसके न होने पर राज्यों को सिंचाई और विद्युत् के आधारभूत क्षेत्रों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी लगाने में धन के अभाव का सामना करना पड़ता। बजट में केन्द्रीय आयोजना के लिए 3347 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 1976-77 में केन्द्रीय आयोजना के लिए सकल परिव्यय जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आन्तरिक व अन्य साधन शामिल हैं, 4090 करोड़ रुपए रखे गए हैं जबकि 1975-76 में इसके लिए 3154 करोड़ रुपए रखे गए थे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाएं 1975–76 के 2812 करोड़ रुपयों की तुलना में 3762 करोड़ रुपयों की होंगी। कृषि, सिंचाई, विद्युत्, पेट्रोलियम, कोयला, उर्वरक, इस्पात, परिवहन और संचार के क्षेत्र में जो परियोजनाएं इस समय चालू हैं उनको पूरा करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए हमें उनका चुनाव उपलब्ध साधनों को दृष्टि में रख कर करना होगा।

4.8. केन्द्रीय बजट में कृषि और संबद्ध कार्यक्रमों के लिए 323 करोड़ रुपए रखे गए हैं। क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उत्पादन कार्यक्रमों जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, सिंचाई क्षेत्र विकास कार्यक्रम, छोटे और सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए विशेष कार्यक्रम और खेती के लिए काम में आने वाली चीजों की और उनके लिए सामान्य रूप से अधिक से अधिक ऋण दिलाने की स्कीमों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। केन्द्रीय परिव्यय में 473 करोड़ रुपए तक की पूर्ति राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं से की जाएगी जिसमें से 148 करोड़ रुपए लघु सिंचाई स्कीमों के लिए होंगे। लघु सिंचाई से 1976-77 में 10 लाख हेक्टेयर और भूमि में सिंचाई की जाने लगेगी।

4.9. केन्द्रीय बजट में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 20 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की जाएगी जिनमें से 12 करोड़ रुपए बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के लिए हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं में बड़ी और मध्यम सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 673 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में आयोजना

की अवधि में 50 लाख हेक्टेयर और भूमि में बड़ी व मध्यम सिंचाई की सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। इसकी तुलना में अगले वर्ष जितनी पूंजी लगाई जाएगी उससे 10 लाख हेक्टेयर और भूमि में सिंचाई होने लगेगी।

4.10. केन्द्रीय बजट में 129 करोड़ रुपए विद्युत् के विकास के लिए रखे गए हैं जिनमें से 74 करोड़ रुपए केन्द्रीय थर्मल और पनबिजली स्कीमों और अन्तर्राज्यीय ट्रांसमिशन लाइनों के लिए और 55 करोड़ रुपए न्यूक्लीय विद्युत् परियोजनाओं के लिए हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं में विद्युत् के लिए परिव्यय में भी वृद्धि होगी और इसके लिए 1975-76 में 983 करोड़ रुपयों की अपेक्षा 1976-77 में 1290 करोड़ रुपए रखे गए हैं। चालू वर्ष में हमने 1800 मेगावाट विद्युत् पैदा की है। इसकी अपेक्षा अगले वष के लिए 2500 मेगावाट तक अतिरिक्त विद्युत् पैदा करने का लक्ष्य रखा जाएगा।

4.11. देश में ऊर्जा के साधनों का विकास करने की आवश्यकता पर जितना जोर दिया जाए थोड़ा है। इसलिए पेट्रोलियम और पेट्रो-केमिकल्स के लिए बजट में धन राशि बढ़ा कर 1975-76 में 170 करोड़ रुपयों की अपेक्षा 1976-77 में 274 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसमें से 73 करोड़ रुपए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को देने के लिए रखे गए हैं जिससे समुद्र तट पर तेल की खोज करने के काम में प्रगति को बनाए रखा जा सके और समुद्र तट से दूर तेल की खोज करने के काम में और तेजी लाई जा सके। आशा है देश में कच्चे तेल का उत्पादन चालू वर्ष में 82 लाख टन की अपेक्षा 1976-77 में 90 लाख टन हो जाएगा। इस अवधि के अन्त तक समुद्र तट से दूर के कुओं से तेल प्रतिदिन निकाला जाने लगेगा और इसका वार्षिक उत्पादन 20 लाख टन होने लगेगा। कोएली रिफाइनरी के विस्तार, सलाया—वीरंगाम—कोएली पाइप लाइन, मथुरा रिफाइनरी और वीरंगाम—मथुरा पाइप लाइन के वास्ते भारतीय तेल निगम को देने के लिए 65 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त रकम रखी गई है। भारतीय पेट्रो—केमिकल्स निगम को पेट्रो-केमिकल कम्प्लेक्स के लिए जिसमें नैफ्था क्रैकर और डाउनस्ट्रीम यूनिट शामिल हैं, 81 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 1976-77 में पेट्रोलियम क्षेत्र का कुल आयोजना परिव्यय चालू वर्ष के 368 करोड़ रुपयों की अपेक्षा 485 करोड़ रुपए होगा।

4.12. निश्चय ही यह बड़े सन्तोष की बात है कि कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण होने के बाद और सरकार द्वारा किए गए ठोस उपायों के परिणामस्वरूप कोयले के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। 1976-77 में कोयले के लिए बजट में 277 करोड़ रुपए रखे गए हैं जब कि 1975-76 में 229 करोड़ रुपए रखे गए थे। आशा है कि 1976—77 में कोयले का उत्पादन बढ़ कर 1080 लाख टन हो जाएगा जबकि 1975-76 में 980 लाख टन हुआ था।

4.13. खेती में उत्पादन में काम आने वाली चीजों में उर्वरक अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बजट में इस क्षेत्र के लिए 1975-76 में 290 करोड़ रुपए रखे गए थे जबकि अगले वर्ष के लिए यह रकम बढ़ा कर 434 करोड़ रुपए कर दी गई है। इसमें भटिंडा और पानीपत परियोजनाओं के लिए 171 करोड़ रुपए और फूलपुर उर्वरक परियोजना के लिए जो एक सहकारी क्षेत्र है, 13 करोड़ रुपए की रकम शामिल है। चालू परियोजनाओं के लिए पर्याप्त रकम रखी गई है जिससे यह परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो सकें। चालू वर्ष में उर्वरकों के सरकारी कारखानों ने अपने उत्पादन में पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में पोषक तत्वों की

दृष्टि से 50 प्रतिशत की वृद्धि की है। आशा है कि उनका उत्पादन अगले वर्ष में 11 लाख टन से अधिक होगा।

4.14. इस्पात के क्षेत्र के लिए अगले वष बजट में दुगनी अर्थात् 402 करोड़ रुपए की राशि रखी जा रही है। इसमें से भिलाई कम्प्लेक्स आदि के लिए 119 करोड़ रुपए और बोकारो के लिए 150 करोड़ पए रखे गए हैं। कुद्रमुख कच्चा लोहा परियोजना के लिए जो पूरी तरह से ईरान से प्राप्त आर्थिक सहायता से कार्यान्वित की जा रही है, उसके निर्माण कार्यों और मंगलौर पत्तन में संबद्ध सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह परियोजना पूरी तरह से निर्यात प्रधान है और इससे ईरानी इस्पात उद्योग को कच्चे लोहे का कंसट्रेट सप्लाई किया जाएगा।

4.15. परिवहन और संचार क्षेत्र के लिए 597 करोड़ पए रखे जाएंगे जिसमें से 271 करोड़ रुपए रेलवे के लिए हैं जिनकी अपनी आयोजना का परिव्यय 411 करोड़ रुपए है। इसके अलावा रेलवे को 160 करोड़ रुपयों के उधार के रूप में भी सहायता की आवश्यकता होगी जिससे वह सामान्य राजस्व के प्रति अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा कर सकें।

4.16. उद्योग के लिए बजट में जो रकम रखी गई है उसमें हिन्दुस्तान कागज निगम को उसकी नौगांव, कचार, नागालैण्ड और केरल परियोजनाओं के लिए 36 करोड़ रुपए और सीमेंट निगम परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपए शामिल हैं। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का संवर्धन करने के निमित्त परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता और ूंजी निवेश के लिए 10 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं।

4.17. खादी, ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिए 52 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

4.18. सामाजिक सेवाओं पर परिव्यय में भी वृद्धि की गई है। शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसन्धान, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और समेकित शहरी विकास कार्यों के लिए चालू वर्ष की तुलना में अधिक व्यवस्था की गई है। खास तौर से, जन जातियों के लिए उप-आयोजनाओं पर केन्द्र की रकम दुगनी बढ़ाकर 40 करोड़ पए रखी गई है और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर रकम 1975–76 से 20 करोड़ रुपयों की अपेक्षा बढ़ाकर 36 करोड़ रुपए रखी गई है।

4.19. जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, कीमतों में वृद्धि होने से औद्योगिक कामगरों और वेतन पाने वाले कर्मचारियों की हालत बहुत खराब हो गई थी। इन कमज़ोर वर्गों के लोगों की वास्तविक आय को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए 1974–75 में कई उपाय किये गये थे। इनमें से एक उपाय यह था कि महंगाई भत्ते में जो वृद्धि की जाए उसकी आधी रकम को जमा के लिए रोक रखा जाए। इन उपायों से जो लाभ हुआ है उसका अब सदुपयोग करना जरूरी है: अगले वर्ष के आयोजना परिव्यय में अधिक वृद्धि किये जाने से रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे और मौजूदा रोजगार भी सुरक्षित किया जा सकेगा। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि मुद्रा पूर्ति के विस्तार पर कड़ी नजर रखी जाए जिससे कीमतों को बढ़ाने वाले तत्व उभरने न पायें। इसी उद्देश्य से सरकार ने यह फैसला किया है कि बढ़ाए गए महंगाई भत्ते का आधा भाग जो जमा के लिए रोक लिया जाता है उसे जुलाई 1976 से अर्थात् जब से संबद्ध मौजूदा कानूनी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और एक वर्ष के लिए रोक रखा जाए। बढ़ाई गई इस अवधि में जमा रकमों का उपयोग आयोजना के लिए किया जाएगा। इस अवधि में जमा रकमों पर पहले की तरह 12.5 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा और ब्याज समेत समूची रकम जुलाई 1978 से शुरू करके बराबर बराबर की पांच किश्तों में अभिदाता की भविष्य निधि में वापस कर दी जाएगी। इस संबंध में आवश्यक विधेयक इसी सत्र में पेश किया जाएगा।

लेकिन सरकार ने जमा के लिए अतिरिक्त वेतन और महंगाई भत्ते की रोक रखी गई रकम को मौजूदा स्कीम के अनुसार अवधि पूरी होने पर लौटा देने का जो आश्वासन दिया था उसे वह पूरा करेगी। अतः कर्मचारियों को 1976-77 में 270 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी।

4.20. औद्योगिक कामगरों के कल्याण की ओर सरकार का हमेशा विशेष ध्यान रहा है। औद्योगिक कामगरों के लिए समाज सुरक्षा की कई स्कीमें चल रही हैं। कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम और अभी हाल ही की परिवार पेंशन-व-जीवन बीमा स्कीम के ब्योरे से माननीय सदस्य भली भांति परिचित हैं। मुझे यह घोषणा करने में प्रसन्नता हो रही है कि समाज सुरक्षा की एक अन्य स्कीम के शुरू करने का फैसला किया गया है जिससे कामगरों को अपनी तरफ से कोई अदायगी किए बिना बीमे की सुरक्षा प्राप्त होगी। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं यह हैं कि नौकरी के दौरान किसी कामगर का देहान्त होने की स्थिति में, उसके आश्रितों को उस कामगर के देहान्त से पहले उसकी भविष्य निधि में पड़ी तीन वर्षों की औसत राशि के बराबर अतिरिक्त अदायगी पाने का अधिकार होगा, लेकिन यह अदायगी 10,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। यह स्कीम उन सभी अभिदाताओं पर लागू होगी जिनकी भविष्य निधि में पिछले तीन वर्षों में कम से कम 1,000 रुपया पड़ा रहा हो। अनुमान लगाया गया है कि एक कामगर की औसत राशि लगभग 3,000 रुपया होगी। इससे यह पता चलता है कि कामगरों को कितनी राहत उपलब्ध होगी। इस स्कीम के लिए धन की व्यवस्था करने में सरकार नियोजकों के साथ हिस्सा बंटाएगी। मुझे यकीन है कि सदन के सभी वर्ग इस नए कदम का स्वागत करेंगे। इस संबंध में आवश्यक विधेयक श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

4.21. संभावित खर्च और उपलब्ध साधनों को देखते हुए करों की मौजूदा दरों के आधार पर 1976-77 के केन्द्रीय बजट में 368 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा।

प्रत्यक्ष कर

1.1 मैं अब प्रत्यक्ष करों के प्रस्तावों को शुरू करता हूं।

1.2 माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि व्यक्तिगत आय पर आय-कर की दरें प्रत्यक्ष कर जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर 1974 में घटाई गई थीं। वर्ष 1974-75 का बजट पेश करते समय मेरे से पहले के सम्मानित वित्त मंत्री ने यह आशा व्यक्त की थी कि इन दरों को घटाने से लोग अधिक संख्या में कर देने लगेंगे। यह आशा पूरी हुई जिसका पता इस बात से लगता है कि पिछले दो वर्षों में आय-कर के संग्रह में भारी वृद्धि हुई है। हालांकि इस वृद्धि के कुछ अन्य कारण भी हैं जैसे करों की चोरी करने वालों और अन्य आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, फिर भी यह स्पष्ट है कि करों के संग्रह में वृद्धि करने में इन दरों को कम करने का एक बड़ा भारी हाथ रहा। स्वेच्छा से आय व सम्पत्ति को प्रकट करने की स्कीम के अधीन जिसमें कर की अधिकतम दर 60 प्रतिशत थी, लोगों ने भारी मात्रा में आय कर दिया। इससे इस बात की पर्याप्त पुष्टि होती है कि अगर कर की दरें संगत हों तो भारत के अधिकांश आय कर दाता कानून का पालन करना और कर देते रहना चाहेंगे। इसलिए मैं व्यक्तिगत आय और धन पर कर की दरों को कम करने का प्रस्ताव करता हूं। अधिभार सहित आय कर की अधिकतम सीमान्त दर 77 प्रतिशत से घटा कर 66 प्रतिशत कर दी जाएगी और यह 1,00,000 रुपए से ऊपर की आय सीमा पर व्यक्तियों और अविभाजित हिन्दू परिवारों पर लागू होगी। इसमें ऐसे परिवार शामिल नहीं हैं जिनमें परिवार के एक या अधिक सदस्यों

की अकेले की आय छूट की सीमा से ज्यादा है। मैं नहीं सोचता कि ऐसा करने से राजस्व में कोई कमी आ जाएगी क्योंकि करों की दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए इस समय जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि में यही तर्क निहित है कि इससे आय कर दाताओं को भली प्रकार से कर देते रहने की प्रेरणा मिलेगी।

1.3 आयोजना के लिए धन जुटाने के लिए और आय-कर दाताओं द्वारा अपनी आय का अधिकांश भाग खर्च करने से कीमतों में जो वृद्धि होती है उसे कम करने के लिए मैं आय-कर दाताओं के लिए अनिवार्य जमा स्कीम को अभी एक और साल के लिए चालू रखने का प्रस्ताव करता हूं। 25,000 रुपए तक की मौजूदा आय पर अनिवार्य जमा की वर्तमान 4 प्रतिशत की दर जहां यथावत् बनी रहेगी वहां 25,001 से 70,000 रुपए के आय खंड पर यह दर 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी जाएगी। इसी प्रकार 70,000 रुपए से अधिक आय खंड पर यह दर 8 प्रतिशत की दर से बढ़ा कर 12 प्रतिशत कर दी जाएगी। इस उपाय से 1976-77 में 80 करोड़ रुपयों तक की रकम प्राप्त होगी। मुझे आशा है कि ईमानदार करदाताओं को, जिन्हें कुछ ऐसी रियायतें मिली हैं जो उन्हें वस्तुतः काफी पहले मिल जानी चाहिए थीं, राष्ट्रीय बचतों में इतना अंशदान करने में आपत्ति नहीं होगी।

1.4 यह सर्वविदित है कि धन कर की मौजूदा ऊंची दरों के कारण अपने धन का कम मूल्यांकन कराने और करों की भारी चोरी करने की बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। धन-कर के संबंध में व्यक्तियों और अविभाजित हिन्दू परिवारों पर इसकी नई दर शुरू के 5,00,000 रुपए तक के निवल खंड पर अब $\frac{1}{2}$ प्रतिशत, 5,00,001 से 10,00,000 रुपए के खंड पर $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत, 10,00,001 से 15,00,000 रुपए के खण्ड पर 2 प्रतिशत और 15,00,000 रुपए से ऊपर के खंड पर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत होगी। इन अविभाजित हिन्दू परिवारों में ऐसे परिवार शामिल नहीं हैं जिनमें परिवार के एक या अधिक सदस्यों की अकेले की सम्पत्ति 1,00,000 रुपए से ज्यादा है। इसके साथ ही साथ मैं सभी हिन्दु अविभाजित परिवारों के मामले में धन कर की छूट की सीमा को 2,00,000 रुपये से घटाकर 1,00,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं। शहर में खाली पड़ी जमीन पर सीमा के लग जाने और शहरी सम्पति के संबंध में अन्य उपायों को देखते हुए इस समय शहरी जमीन और इमारतों पर जो अतिरिक्त धन-कर लगता है उसका अब औचित्य नहीं रहा है। इसे अब समाप्त कर देने का प्रस्ताव है।

1.5 मौजूदा दरों पर आय-कर और धन-कर का संयुक्त आपात कुछ स्तरों पर आय कर के 100 प्रतिशत ज्यादा बैठता है। करों के मौजूदा ढांचे को यथार्थपरक नहीं पाया गया है। आय और धन में पाई जाने वाली विसंगति, दरों, के इतने ऊंचे होने से कोई ज़्यादा कम नहीं हुई है। बल्कि दूसरी ओर इन दरों से करों की चोरी, काले धन का निर्माण और दृश्य परिसम्पतियों का अदृश्य परिसम्पतियों में परिवर्तन में परिर्वतन बड़े पैमाने पर हुआ है। अर्थव्यवस्था की इन विकृतियों को दूर करना जरूरी है। कुछ समय के लिये धन-कर की दरों में कमी करने से राजस्व में कोई हानि नहीं होनी चाहिये। कर के ढांचे में इस प्रकार का परिवर्तन प्रयोग के आधार पर है। मुझे विश्वास है कि कर दाताओं द्वारा करों का अधिक पालन करने और प्रशासन की कुशतला से हम अधिक धन जुटा सकेंगे।

1.6 जो लोग अपने घरों में स्वंय रह रहे हैं और जिन्हें प्रति वर्ष धन की निवल आय के विवरण में अपने इस धन की उचित बाजार कीमत दिखानी पड़ती है उस की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि ऐसे धन के मूल्य को उन वर्ष के उस के मूल्य पर जिस वर्ष उस धन का निर्माण किया गया या उस वर्ष के उस के मूल्य पर जिस वर्ष संबंधित करदाता ने उसे प्राप्त किया था या 1971–72 के मूल्य पर इनमें से जो भी बाद का मूल्य हो उस पर स्थिर कर दिया जाये।

1.7 माननीय सदस्य जानते हैं कि कर से बचने के लिये हिन्दू अविभाजित परिवार का अक्सर बहाना किया जाता है। मैंने इसलिये ऐसे हिन्दु अविभाजित परिवारों की जिनमें परिवार के कम से कम एक सदस्य की अलग से आय छूट की सीमा से ज्यादा है, कर योग्य आय का हिसाब लगाते समय इस समय मिलने वाली कुछ रियायतों को वापस लेने का प्रस्ताव किया है।

1.8 लेखकों, नाटककारों, कलाकारों, संगीतज्ञों और अभिनेताओं को अपने अपने व्यवसाय की अवधि में लगातार एक जैसी आय नहीं होती। इसलिये जिन वर्षों में इन लोगों को अधिक आय होती है उन वर्षों में इन की कर देयता में वृद्धि करने के लिये इन वर्गों के लिए जीवन बीमा संचयी सावधिक जमा, सरकारी भविष्य निधि आदि के माध्यम से जमा की गई जिस राशि को कर से छूट मिलती है उस की सीमा को 25,000 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

1.9 मैं अब कंपनी क्षेत्र पर आता हूं। मैं पूंजी लागत में एकदम से होने वाली वृद्धि के बारे में चर्चा कर चुका हूं। इस से न केवल क्षमताओं में तेजी से वृद्धि होनी क गई है बल्कि इस से मौजूदा ऐसे उपक्रमों पर भी दबाव पड़ा है जिन को अपनी ऐसी मशीनरी जो घिस चुकी है तथा पुरानी पड़ चुकी है; बदलनी होती है, जब तक कंपनी क्षेत्र को पुरानी मशीनरी की जगह नई मशीनरी लगाने व अपनी मशीनरी को आधुनिक बनाने के लिये पर्याप्त व्यवस्था करने में समर्थ नहीं होगा तब तक रोजगार और उद्योगों की संवृद्धि भी खटाई में पड़ जायेगी अतः राजकोषीय नीति को इस प्रकार बनाया जाना चाहिय जिससे कंपनी क्षेत्र की संवृद्धि और उसको आधुनिक बनाने के लिये आवश्यक प्रोत्साहन दिया जा सके। इस लिए मैंने कुछ प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिये पूंजी निवेश छूट देने की स्कीम शुरु करने का निर्णय किया है। आरम्भिक मूल्यह्रास छूट की मौजूदा स्कीम की जगह पर पूंजी निवेश छूट की प्रणाली शुरु की जायेगी। जिन उद्योगों को इस समय आरम्भिक मूल्यह्रास की छूट मिलती है उन्हें 31 मार्च, 1976 के बाद नई मशीनरी प्राप्त करने और संयंत्र स्थापित करने पर लागत के 25 प्रतिशत की दर पर पूंजी निवेश छूट दी जायेगी। मैं इन उद्योगों में आठ अन्य प्राथमिकता वाले या निर्यात प्रधान उद्योगों अर्थात कारबन और ग्रेफाइट उत्पादों, इनआरगेनिक हेवी केमिकल्स, आरगेनिक हेवी केमिकल्स सिंथेटिक रबर और रबर कैमिकल्स जिन में कारबन ब्लैक शामिल है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स बुनियादी ओषधों, औद्योगिक सिलाई मशीनों और पूरी तरह से तैयार चमड़े और चमड़े की वस्तुओं के जिनमें पूरी तरह या आंशिक तौर पर चमड़े के बने जूते आते हैं, उद्योग को शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं सदन का ध्यान इस समय प्रस्तावित

पूंजी निवेश छूट और पहले मिलने वाली विकास छूट के बुनियादी अन्तर की ओर दिलाना चाहता हूं। अगर पूंजी निवेश छूट का इस्तेमाल अगले दस वर्षों के अन्दर नई मशीनरी या संयंत्र प्राप्त करने के लिये नहीं किया जाता तो इसे वापस ले लिया जायेगा और इस पर कर लगाया जाएगा। इस रकम में से कोई भी भाग लाभ के रूप में वितरित किये जाने के लिये नहीं उपलब्ध होगा। पूंजी निवेश छूट की मौजूदा स्कीम से प्राथमिकता वाले उद्योगों में पूंजी लगाने में सहायता मिलेगी और कम्पनी क्षेत्र को सार्वजनिक वितीय संस्थाओं पर कम से कम निर्भर रहना पड़ेगा।

1. 10 जैसा माननीय सदस्यों को ज्ञात है, बंगलादेश के संकट के समय कंपनियों पर 1971 में $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत का आय कर अधिभार लगाया गया था। 1972 में यह अधिभार बढ़ा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया। जो कम्पनियां भारत के औद्योगिक विकास बैंक में इतना ही धन पांच वर्षों के लिये जमा रखेंगी उन्हें इस अधिभार से मुक्त रखा जायेगा। इस उपाय से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि धन एक जगह जमा नहीं होगा और कम्पनी क्षेत्र को पूंजी रूप में उपलब्ध रहेगा। कंपनियों को जो दीर्घ अवधि पूंजी लाभ होते हैं उनके संबंध में मैं पूंजी लाभ कर की दरों को भी कम करने का प्रस्ताव करता हूं।

1. 11 ब्याज की दरों में वृद्धि होने के कारण सुरक्षित पूंजी निवेश से अब काफी लाभ होने लगा है। कंपनियों के शेयरों में जोखिम वाले पूंजी निवेश को और लाभकारी करने के उद्देश्य से मैं कंमनी (लाभ) अधिभार अधिनियम 1964 के अधीन लाभ की जितनी रकम पर शुल्क लगता है उसे निविष्ट पूंजी के 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। यह नई सीमा, कंपनी की अपनी पूजी के आधार पर निश्चित की जायेगी और इस रकम में दीर्घ अवधि के उधार और ऋण पत्र शामिल नहीं होंगे।

1. 12 यह बात बार बार कही जाती रही है कि ब्याज की मौजूदा ऊंची दरों का पूंजी निवेश और उत्पादन पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। करों की दरों का मौजूदा स्वरूप हमारी ऋण नीति का आवश्यक अंग है जिससे कीमतों को बढ़ाने वाले तत्वों को नियंत्रण में रखने में सहायता मिली है। फिर भी, औद्योगिक परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मैं पूंजी संयंत्रों और मशीनरी की खरीद के लिये अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योगों को दिये गये दीर्घ अवधि के उधार पर इन बैंकों को मिलने वाले ब्याज को ब्याज कर से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं जो ब्याज कर अधिनियम 1974 के अन्तर्गत लगाया जाता है। इस सदन को स्मरण होगा कि ब्याज पर कर मूलत: नियामक उपाय के रूप में लगाया गया था।

1. 13 विदेशी कंपनियों पर कर की मौजूदा प्रणाली में प्रशासनिक कठिनाइयां आती हैं और राजस्व की अनिश्चितता बनी रहती है। इस प्रणाली को सरल बनाने के उपाय के रूप में, मैं इन विदेशी कंपनियों को 31 मार्च 1976 के बाद किये गये अनुमोदित करारों के अधीन भारतीय कंपनियों से प्राप्त होने वाली सकल रायलटियों की रकम पर 40 प्रतिशत की समान दर से आय कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। अनुमोदित करारों के अधीन भारत के बाहर तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिये इस तरह की कम्पनियों को एकमुशत अदायगियों के तौर पर प्राप्त सकल राशि पर 20 प्रतिशत की समान दर से कर लिया

जायेगा। मौजूदा करारों के अन्तर्गत विदेशी कम्पनियों को जो रायल्टी और तकनीकी सेवा फीस मिलती है उस पर कर वर्तमान दर से लिया जाता रहेगा पर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन यह होगा कि इस तरह की आय प्राप्त करने के लिये इन कम्पनियों को अदायगी के रूप में प्राप्त होने वाली सकल रकमों के 20 प्रतिशत से अधिक खर्च करने की अनुमति नहीं होगी।

1. 14 विदेशी कम्पनियों को मिलने वाले लाभांश की सकल राशि पर 25 प्रतिशत की समान दर से कर लिया जायेगा। इसके अलावा भारत में होने वाले लाभों में से घटाये जा सकने वाले मुख्य कार्यालय के खर्च की सीमा निर्धारित की जायेगी। इस तरह के खर्च की कटौती भारत में होने वाले मुनाफे के लगभग 5 प्रतिशत तक सीमित की जायेगी।

1. 15 भारतीय जीवन बीमा निगम पर कर लगाने की प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार बीमांककीय मूल्यांकन करने पर निकलने वाले अधिशेष के वार्षिक औसत को बीमा कारबार का कर योग्य लाभ माना जायेगा। इस प्रकार के लाभों पर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से कर लिया जायेगा।

1. 16 मकानों की खास कर ऐसे मकानों की जिनकी समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्ग के लोगों को जरूरत है, भारी कमी है। मकानों के निर्माण कार्य को एक बड़े उद्योग का दर्जा दिया जाना उचित ही है। मानव की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता रहने के लिये मकान की होती है। अतः इससे न केवल यह आवश्यकता पूरी होती है बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावनायें भी बढ़ती हैं। इस उपेक्षित किन्तु एक आवश्यक क्षेत्र के लिये मैं पहली अप्रैल 1976 से नये बने मकानों को जिनकी कुर्सी का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है, पांच साल के लिए धन कर से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। अब मालिकों द्वारा अपने कम वेतन पाने वाले कर्मचारियो के लिये बनाये गये उन मकानों के संबंध में 20 प्रतिशत की प्रारम्भिक मूल्य-ह्रास छूट मिलेगी, जो 10,000 रु० तक वार्षिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के रिहायशी इस्तेमाल के लिये हों, आजकल यह छूट 7500 रु० तक वार्षिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के रिहायशी इस्तेमाल के लिये बनाये गये मकानों के संबंध में मिलती है।

1.17. विदेशी मुद्रा साधनों को बढ़ाने के उपाय के तौर पर, मैं अनुमोदित करारों के अधीन लिये गये उधारों पर औद्योगिक उपक्रमों द्वारा देय ब्याज की रकम को आय कर से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं, कुछ प्राथमिकता वाले उद्योगों तथा निर्यात प्रधान उद्योगों के इक्विटी शेयर में गैर-आवासी भारतीयों द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी को भी धन कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। विदेशों से वापस लौटने वाले जो भारतीय विदेशों में की गई अपनी बचतों को भारत में लायेंगे उन्हें इन बचतों के सम्बन्ध में सात वर्षों तक कोई भी धन कर नहीं देना होगा।

1.18. हमारा अनुमान है कि प्रत्यक्ष करों में विभिन्न प्रकार की रियायतें देने से राजस्व में जो कमी होगी उसे करके अधिक पालन से तथा प्रशासन में सुधार लाकर पूरा किया जाएगा।

II
अप्रत्यक्ष कर

2.1 अब मैं अप्रत्यक्ष करों के प्रस्तावों को लूंगा ।

2.2 इस वर्ष का बजट तैयार करने से पहले मुझे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों और उद्योग तथा वाणिज्य के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था । उन्होंने कई मूल्यवान सुझाव दिये जिनके लिये मैं उनका आभार प्रकट करता हूं । मैंने इन सुझावों पर सावधानी से विचार किया है । वर्ष के दौरान मैंने उत्पाद शुल्क के ढांचे की व्यापक रूप से जांच करवाई और इस जांच के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में सुधार लाने की जरूरत महसूस हुई है। खासकर, ऐसे कर लगाने की प्रणाली अपनाने की सम्भावना का अध्ययन किया गया है जिसमें मूल्य को भी शामिल किया जा सके । चूंकि इस अध्ययन में जिन समस्याओं का पता लगा है वे बहुत ही जटिल हैं और उनके प्रभाव भी दूरगामी होंगे इसलिये अप्रत्यक्ष करों के मौजूदा ढांचे की जांच करने तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने के लिये सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से मैं एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं ।

2.3 अब मैं, मात्रानुसार उत्पाद शुल्क लगाने के प्रस्तावों को शुरू करता हूं। इस समय सूती कपड़ों पर मात्रानुसार कर लगता है और उनका कर-भार कपड़े की कीमत पर नहीं निर्भर करता। हालांकि मौजूदा दरें काफी पेचीदा हैं और यह औसत काउन्टों के आधार पर तथा सूती कपड़ों पर जो प्रक्रियायें की जाती हैं उन दोनों के आधार पर लगाई जाती है और इस प्रकार उत्पाद शुल्कों के बोझ का वितरण समान नहीं होता। इसके अतिरिक्त जहां उद्योग में नाना प्रकार का अन्तर हो वहां इन टैरिफों को लगाने में भी काफी कठिनाइयां होती रही हैं। इसलिये इस प्रणाली में बहुत पहले ही सुधार कर देना चाहिये था। मैंने अब निर्णय किया है कि सूती कपड़ों पर मात्रानुसार कर के बदले **मूल्यानुसार** उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा । इससे समाज के अपेक्षाकृत अधिक कमजोर वर्गों के लोगों को राहत मिलेगी जो कम कीमत के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं और बोझ उन लोगों पर पड़ेगा जिनमें अच्छी किस्मों के कपड़े के लिये अपेक्षाकृत अधिक कीमतों की अदायगी करने का सामर्थ्य है। मैंने सुपरफाइन, फाइन और मीडियम-ए कपड़ों की परिभाषा में भी परिवर्तन किया है जिससे लम्बे रेशे वाली कपास का इस्तेमाल ज्यादा हो सके जिसका उत्पादन अभी हाल के वर्षों में काफी बढ़ गया है। सूती धागे पर लगने वाले शुल्क की दरों में भी कुछ परिवर्तन किये गये हैं और हथकरघा तथा विद्युत् चालित करघों के क्षेत्रों को राहत दी गई है। हथकरघों की प्रतियोगितात्मक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से विद्युत चालित करघों पर संयुक्त कर की दरों को बढ़ा कर विद्युत् चालित करघा के क्षेत्र में होने वाले लाभ का कुछ अंश प्राप्त करने का भी प्रस्ताव है। लेकिन इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये सावधानी बरती गई है कि इसका छोटी यूनिटों पर कोई बुरा असर न पड़े। प्रत्येक यूनिट के पहले दो करघों पर लागू कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद के दो करघों में से प्रत्येक पर कर की दर 100 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये वार्षिक और बाकी करघों में से प्रत्येक पर कर की दर 200 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये वार्षिक कर दी गई है। इस युक्तिसंगत स्कीम से 2 करोड़ रुपये का मामूली राजस्व प्राप्त होगा ।

2.4 माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि जब कभी कपड़ों की मांग मामूली सी बढ़ जाती है तब इस बात का ध्यान दिए बिना कि उत्पादन लागत बढ़ी है या नहीं, खुदरा कीमतें बढ़ा दी जाती

हैं। यह लाभ बिचौलियों को होता है लेकिन इसका बोझ उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है। ऐसे मामले प्रायः देखने में आते हैं जिनमें व्यापारी वर्ग, जिन कीमतों पर मिलों से कपड़े खरीदते हैं उनसे बहुत अधिक कीमतों पर उपभोक्ताओं के हाथ बेचते हैं। इससे समाज के अपेक्षाकृत गरीब लोगों का शोषण होता है जिनके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता और जिन्हें मौजूदा बाजार कीमतों की जानकारी भी नहीं होती। इस खुले अनाचार को समाप्त करने के लिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था करने का फैसला किया है जिसके अन्तर्गत देश के बाजारों में उपभोक्ताओं के हाथ बेचे जाने वाले कपड़े के प्रत्येक मीटर की लम्बाई पर निर्माताओं को अनिवार्यतः अधिकतम खुदरा कीमत का ठप्पा लगाना पड़ेगा। इस फैसले को बहुत शीघ्र अमल में लाया जाएगा।

2.5 मेरा अगला प्रस्ताव कागज और गत्ते के बारे में है जिन पर लम्बे अर्से से मात्रानुसार शुल्क-दर लागू की जाती रही है। इसकी वजह से कुछ असंगतियां पैदा हो गई हैं जो मूल्य नियंत्रण को लागू करने के बाद और बढ़ गई हैं। अतः मैं कागज और गत्ते पर मौजूदा मात्रानुसार शुल्क के स्थान पर **मूल्यानुसार** शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। मुद्रण और लिखाई के कागज पर **मूल्यानुसार** 25 प्रतिशत तथा अन्य सभी कागजों और गत्तों पर 30 प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कागज बनाने वाली मिलें शिक्षा के विभिन्न प्रयोजनों के लिये जैसे पाठ्य पुस्तकों आदि के प्रकाशन और सरकारी उपयोग के लिये जो सफेद कागज की सप्लाई अनुमोदित कीमतों पर करती हैं उस पर दी जाने वाली रियायत लगभग ज्यों की त्यों दी जाती रहेगी और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मुद्रण तथा लिखाई के अविरंजित और बादामी रंग के कागज पर जो 65 ग्राम से अधिक न हो, उस पर 15 प्रतिशत की रियायती दर से शुल्क लगेगा पर मुद्रण के कागज पर मौजूदा रियायती दरें कायम रहेंगी। इस उपाय से 13 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी।

2.6. अब मैं जिस वस्तु पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं वह है पेटेन्ट और मालिकाना हक वाली दवायें। मैं इन पर मूल्यानुसार 7.5 प्रतिशत की वर्तमान दर को बढ़ा कर 12.5 प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव करता हूं। चूंकि यह शुल्क भेषजकोषीय नामों से बेची जाने वाली दवाओं और बुनियादी भेषजों पर नहीं लगेगा इसलिये बढ़े हुये शुल्क का बोझ समाज के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध लोगों पर पड़ेगा। इस मद से 18.2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। यहां मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जीवन-रक्षा दवाओं पर मौजूदा 2.5 प्रतिशत की कम दर से कर लिया जाता रहेगा तथा सीरम, टीका और औषधीय गर्भ-निरोधक पर दी जाने वाली मौजूदा पूरी छूट जारी रहेगी।

2.7. मैंने सिगरेटों पर कर के ढांचे में थोड़ा सा फिर से समायोजन करने का प्रस्ताव किया है। कुछ अपवादों को छोड़कर, सस्ते किसम की सिगरेटों पर थोड़ी सी राहत मिलेगी और अन्य किस्मों के कुछ महंगे सिगरेटों पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। मुझे ऐसा कोई औचित्य नहीं दिखाई देता कि जो लोग विभिन्न ब्रांडों के ज्यादा कीमतों वाले सिगार और चुरुट पीते हैं उन्हें इन चीजों के उत्पाद शुल्क के दायरे से अलग रख एक विशेष स्थिति का भोग करते रहने दिया जाये। मैं इन वस्तुओं पर उसी दर से शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं जो स्मोकिंग मिक्सचर्स पर लागू है। इन परिवर्तनों से 12.2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

2.8. मैंने ब्लेंडेड फ्लेवरिंग कंसट्रेटों वाले एइरेटेड वाटर पर कर की दर बढ़ा दी है। सादे सोडे अथवा एइरेटेड वाटर्स पर, जिनमें इस तरह की ब्लेंडेड फ्लेवरिंग कंसट्रेट नहीं होते, लगने वाले शुल्क की दर ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इस मद से 8 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

2.9. मैं पेंटों और वार्निशों, एक्रीलिक फाइबर और एक्रीलिक धागे, इलेक्ट्रानिक की कुछ चीजों और स्टार्च पर कर की दरों में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं। सीमेंट पर जो मूल्यानुसार शुल्क लगता है उसे प्रशासनिक सुविधाओं के लिये बदल कर मात्रानुसार किया जा रहा है। इससे राजस्व में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। टैरिफ की कुछ मदों में भी परिवर्तन किया जा रहा है जिनसे कोई विशेष अधिक राजस्व नहीं मिलेगा। इन सभी परिवर्तनों से कुल मिलाकर 9.8 करोड़ रुपये की आमदनी होगी।

2.10. वित्त अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत जो सहायक उत्पाद-शुल्क लगाया गया था वह 30 जून, 1976 तक वैध है। इसे 30 जून, 1977 तक जारी रखने का प्रस्ताव है।

2.11. वित्त मंत्री का काम केवल कर लगाना ही नहीं है बल्कि उसके लिये यह भी जरूरी है कि जब कोई उद्योग अथवा उपभोक्ता भारी कठिनाई में हो तब वह उसे चयनात्मक आधार पर राहत भी प्रदान करे। मैं बिना लेवी वाले एल्यूमीनियम पर, जो अधिकतर वाणिज्यिक ग्रेड का होता है, शुल्क की दर में प्रति वर्ष 1200 रुपये प्रति टन के हिसाब से कमी करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस उपाय से ऐल्यूमिनियम की मांग बढ़ जायेगी और बिक्री भी बढ़ जायेगी। मैं कृत्रिम और सिंथेटिक रेजिन और प्लास्टिक की चीजों पर मूल्यानुसार लगने वाले शुल्क की 56 प्रतिशत की दर को घटा कर 40 प्रतिशत कर देने का भी प्रस्ताव करता हूं। इन चीजों से बने सामान पर भी आयुक्त राहत दी जा रही है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह कदम उठाने से इन वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं, तांबे पर लगने वाले उत्पाद शुल्क की दर में भी 1400 रुपये प्रति टन के हिसाब से कमी करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को, जो सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है और जो देश में तांबे की एकमात्र उत्पादक है, ज्यादा लाभ होने लगेगा।

2.12. हमने ऊंची कीमतों और काले धन के खिलाफ जो कारगर कदम उठाये थे उनके परिणामस्वरूप कई उद्योगों विशेषतः टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों में मांग घट गई है। इनमें से कुछ कारखानों के कामगरों की अस्थायी छंटनी करदी है जिससे उनके लिये कई कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। यदि हम स्थिति में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की तो इस बात का खतरा है कि कई और औद्योगिक कारखाने बन्द हो जायेंगे और बहुत बड़ी संख्या में कामगरों की छंटनी हो जाएगी। इन उद्योगों को अपने उत्पादन में विविधता लाने या विदेशों में प्रतियोगिता करने के योग्य बनने में कुछ समय लगेगा। इस बीच यह जरूरी है कि उत्पादन शुल्कों में कुछ फेर-बदल किए जाएं जिससे कि ये उद्योग जिन्दा बने रह सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं उन टेलीविजन सेटों के सम्बन्ध में, जिनकी यूनिट कीमत 1800 रुपये से अधिक न हो शुल्क की 20 प्रतिशत की मूल्यानुसार दर को घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर उद्योगों को भी राहत देने का प्रस्ताव करता हूं। मध्यम आकार के उन रेफ्रिजरेटरों पर, जिनकी क्षमता 165 लिटर से अधिक न हो, लगने वाले शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया जा रहा है। औद्योगिक प्रयोजनों और कोल्ड स्टोरेज

952 (ai) L.S.—10.

के प्रयोजनों और कुछ खास-खास प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल की जाने वाली रेफ्रिजरेटिंग और एयर-कंडीशनिंग मशीनरी पर 20 प्रतिशत की रियायती दर से शुल्क लगेगा जो मौजूदा दरों की अपेक्षा बहुत कम है। वाटर कूलरों के मामले में भी राहत दी जा रही है। मैं 16 से कम हार्स-पावर वाली आर० ए० सी० रेटिंग पैसेंजर कारों के **मूल्यानुसार** शुल्क को 5 प्रतिशत कम करने का और टायरों, ट्यूबों और बैटरियों को उस समय शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं, जब वे इन कारों के साथ मूल उपस्करों के रूप में सप्लाई की जायें। जीपों, एम्बुलेन्सों, पिक अप बैनों और 1.6 से कम हार्स पावर वाली अन्य गाड़ियों के **मूल्यानुसार** शुल्क की दर को भी 5 प्रतिशत कम किया जा रहा है। माननीय सदस्यों को यह जान कर खुशी होगी कि मोटर लगे साइकिल रिक्शाओं को उत्पाद शुल्क से छूट दी जा रही है।

2.13. मैं कैप्रोलेक्टम के शुल्क का 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत **मूल्यानुसार** करने का; और विस्कोस और ऐसीटेट सूत पर जिससे उपेक्षाकृत सस्ते कपड़े का उत्पादन होता है लगने वाले शुल्क में कुछ कमी करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं सर्वसाधारण के उपयोग की कई वस्तुओं जैसे घर में कपड़े धोने का साबुन और नहाने का सस्ती किस्मों का साबुन, डीटरजेंटों और स्टेनलेस स्टील के ब्लेडों के उत्पाद शुल्कों में राहत देना चाहता हूं। जीवनयापन स्तर के आमतौर पर ऊंचा हो जाने से टेबुल और पेडेस्टल पंखों का इस्तेमाल लगभग सभी वर्गों द्वारा किया जाता है, यही हालत सर्वव्यापी ट्रांजिस्टरों और टार्चों के ड्राई सेलों की है। इसलिये मैं इन वस्तुओं को कुछ राहत देने का प्रस्ताव करता हूं।

2.14. निर्यात-संवर्धन के उपाय के रूप में, मैं सिले-सिलाए कपड़ों पर लगने वाले शुल्क को घटाने और चाय सम्बन्धी छूट स्कीम में कुछ फेर-बदल करने का प्रस्ताव करता हूं। जोन III में चाय की उत्पादन लागत अधिक होने और इसकी उपज कम होने के कारण इस जोन में पैदा की जाने वाली चाय को भी कुछ राहत दी जा रही है।

2.15 उत्पादन में वृद्धि करने को बढ़ावा देने के लिये उत्पाद शुल्कों में राहत देने की नई स्कीम शुरू करने का फैसला किया गया है। इस स्कीम के अनुसार कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सम्बन्ध में, किसी चुने हुये आधार वर्ष में हुये उत्पादन से अधिक उत्पादित वस्तुओं पर देय शुल्क के 25 प्रतिशत तक राहत दी जा सकेगी। इस स्कीम का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और मुझे आशा है कि शुरू में यह स्कीम एक वर्ष के लिये लागू की जाएगी।

2.16. उत्पाद शुल्कों की दरों में परिवर्तन किये जाने के परिणामस्वरूप 50 करोड़ रुपयों की राहत देने के बाद केवल 15.12 करोड़ रुपये की निवल प्राप्तियां होंगी। इनमें से केन्द्र को केवल 8.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा और राज्यों के हिस्से की राशि 6.58 करोड़ रुपये की होगी। मुझे कोई सन्देह नहीं कि उत्पाद शुल्कों में जो भारी रियायत दी गई हैं, उपभोक्ता उनका स्वागत करेंगे।

2.17 मैं अब सीमा शुल्कों की ओर आता हूं। जिन मामलों में मैंने सीमा शुल्कों की दरों में वृद्धि की है उनमें मैंने केवल उन वस्तुओं को चुना है जिनसे भारतीय उद्योगों को गति मिलेगी या जिनसे भारी प्रीमियम मिलता है, जिसमें सरकारी कोष को अपना उचित हिस्सा पाने का अधिकार है।

2.18. विदेशों से मंगाई जाने वाली स्टेनलेस स्टील की चादरों पर भारतीय बाजारों में बहुत लाभ कमाया जाता है, इसका कुछ कारण यह है कि देश में इनकी कमी है और कुछ कारण

यह है कि विदेशों से मंगाई जाने वाली स्टेनलेस स्टील की चादरों और देश में उत्पादित चादरों की कीमतों के बीच बड़ा भारी अन्तर है । इसलिये मैं इस वस्तु पर लगने वाले **मूल्यानुसार** शुल्क की मौजूदा 220 प्रतिशत दर को बढ़ा कर 320 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं । मेरा स्टेनलेस स्टील की प्लेटों और पट्टियों पर लगने वाले शुल्क की 75 प्रतिशत की मौजूदा **मूल्यानुसार** दर को बढ़ा कर 120 प्रतिशत कर देने का भी प्रस्ताव है । स्टेनलेस स्टील की चादरों, प्लेटों और पट्टियों के सीमा शुल्क में प्रस्तावित वृद्धियों से कुल मिलाकर 10.60 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

2.19. देश के अन्दर हाई कार्बन इस्पात और मिश्र धातु इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने और देश में उत्पादित लोहे और इस्पात के उपेक्षाकृत अधिक उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिये और राजस्व जुटाने के उपाय के रूप में मैं हाई कार्बन इस्पात और मिश्र धातु इस्पात पर (स्टेनलेस स्टील को छोड़ कर) लगने वाले मूल्यानुसार शुल्क की दर को 35 प्रतिशत से बढ़ा कर 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं । इस समय लोहे और इस्पात पर लगने वाले प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क के सम्बन्ध में जो रियायत दी जाती है, मैं उसमें संशोधन करने का और बुनियादी उत्पाद शुल्क की राशि के बराबर प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं । इन परिवर्तनों से 18.40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

2.20. चूंकि तांबे की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों और देश के अन्दर की कीमतों में काफी अन्तर है, इसलिये मैं तांबे के सीमा शुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं । तांबे की टैरिफ दर को 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 100 प्रतिशत **मूल्यानुसार** कर दिया जाएगा । लेकिन, फिलहाल मैं तांबे पर लगने वाले सीमा शुल्क की प्रभावी दर को 60 प्रतिशत **मूल्यानुसार** पर निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं । प्रभावी सन्तुलनकारी शुल्क को, जो इस समय 5,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन है, बढ़ा कर 5,600 रूपये प्रति मेट्रिक टन किया जा रहा है । तांबे तांबे के स्क्रैप और तांबे से बनी वस्तुओं पर लगने वाले आयात शुल्क और प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क में, आवश्यक समायोजनों सहित, तदनुरूप परिवर्तन किये जा रहे हैं । तांबे, तांबे से बनी वस्तुओं और तांबे के स्क्रैप से सम्बन्धित प्रस्तावित परिवर्तनों से 6.65 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा ।

2.21. इन्हीं कारणों में मैं केप्रोलेक्टम और डीमेथिल टेरेफथेलेट (डी०एम०टी०) के आयात शुल्क की 75 प्रतिशत की मौजूदा दर को बढ़ा कर 120 प्रतिशत करने और केप्रोलेक्टम को प्रतिसन्तुलनकारी शुल्क से मिलने वाली छूट को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं । मैं एक्रिलिक यार्न के बुनियादी उत्पादन शुल्क में 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि करने का भी प्रस्ताव करता हूं । केप्रोलेक्टम, डी०एम०टी० और एक्रिलिक यार्न पर लगने वाले शुल्क में प्रस्तावित परिवर्तनों से 12.85 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

2.22. भारतीय टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में ऐसी अनेक मदें हैं जिनके सम्बन्ध में 'टैरिफ' और व्यापार संबंधी सामान्य करार (जी०ए०टी०टी०) के अन्तर्गत हम वचनबद्ध हैं कि हम उन पर लगने वाले शुल्क को एक खास परस्पर-सम्मत स्तर से ऊंचा नहीं होने देंगे । चूंकि हमने हाल में सीमा शुल्क टैरिफ, अधिनियम 1975 लागू किया है जिसमें मोटे तौर पर ब्रुसेल्स टैरिफ नामावली का अनुसरण किया गया है, इसलिए हमने जी०ए०टी०टी० परिषद से सम्बद्ध संविदाकारी पक्षों के साथ बातचीत होने तक, करारों के अन्तर्गत अपने वचनों में सामान्य छूट प्राप्त कर ली है ।

इसलिए इस कारण कुछ वस्तुओं को जो छूट प्राप्त है, मैं इस सामान्य छूट को देखते हुए उसे वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे 3 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

2.23. कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें मेरा सीमा शुल्कों के संबंध में कुछ रियायतें देने का प्रस्ताव है। उर्वरक और अखबारी कागज के उद्योगों में नई पूंजी लगाने को बढ़ावा देने के लिए मैं, उर्वरक कारखाने और अखबारी कागज के कारखाने लगाने के लिए विदेशों से मंगाई गई मशीनरी और उपस्करों के सीमा शुल्क की दर को 40 प्रतिशत से घटा कर 30 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। बाहर से मंगाए जाने वाले राक फास्फेट पर लगने वाले सीमा शुल्क को भी घटाया जा रहा है। इसका इस्तेमाल फास्फेटी और संयुक्त उर्वरकों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इन प्रस्तावों से राजस्व प्राप्ति में 13.15 करोड़ रुपए की कमी होगी।

2.24. मैं कम्प्यूटरों और छोटे कम्प्यूटरों के बुनियादी सीमा शुल्क को 60 प्रतिशत से घटा कर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं इन्हें सभी सहायक शुल्कों और प्रतिसन्तुलनकारी शुल्कों से भी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। अन्य वस्तुएं जिन्हें आयात शुल्क में राहत मिलेगी ये हैं: मेग्नेटिक टेप बनाने के लिए विदेशों से मंगाई जाने वाली पालिस्टर फिल्में, इलेक्ट्रानिक केपेसिटर बनाने के लिए आयात की जाने वाली मेटेलाइज्ड प्लास्टिक फिल्में और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इस्तेमाल के लिए आयात किया जाने वाला खेलकूद का सामान। इन सभी वस्तुओं पर कुल मिला कर 1.75 करोड़ पए की राहत दी जाएगी।

2.25. अब तक लगने वाले सहायक सीमा शुल्कों को 30 जून 1977 तक जारी रखा गया है और इन शुल्कों की प्रभावी दर अपरिवर्तित रहेगी।

2.26. संघ उत्पाद शुल्कों और सीमा शुल्कों से 1976-77 में केन्द्र को कुल मिला कर 47.25 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

2.27. अब मुझे केवल दो प्रस्ताव और करने हैं जिनका लगभग सारा उद्देश्य राज्यों के लाभ के लिए साधन जुटाना है।

2.28. संघ सूची में उल्लिखित लिखतों जैसे रसीदों और हुण्डियों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्कों की दरों में काफी लम्बे समय से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं 1 जून 1976 से कुछ मदों पर स्टाम्प शुल्कों की दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। स्टाम्प शुल्कों की दरों में प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रतिवर्ष 22.57 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है। लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में राज्यों और संघ को क्रमशः 18.44 करोड़ पए और 37 लाख रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, क्योंकि शुल्क की नई दरें वित्तीय वर्ष के केवल एक भाग के लिए ही प्रभावी होंगी।

2.29. मैंने जिस एक अन्य परिवर्तन का प्रस्ताव किया है वह है अल्कोहल, मादक दवाओं और मादक द्रव्यों से युक्त औषधियों और प्रसाधन-वस्तुओं के उत्पाद शुल्कों की दरों में तबदीली और कुछ शब्दों की परिभाषा में संशोधन, जिनमें मादक दवाएं और मादक द्रव्य शामिल हैं। राज्य सरकारों ने यह कहा है कि हालांकि अल्कोहल पर लगने वाले राज्य उत्पाद शुल्कों में वृद्धि की गई थी लेकिन उक्त औषधियों और प्रसाधन वस्तुओं पर लगने वाले उत्पाद शुल्कों में 1964 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इससे इन औषधियों का दुरुपयोग होता है। इसलिए मैं अल्कोहल मादक दवाओं और मादक द्रव्यों से युक्त औषधियों और प्रसाधन वस्तुओं के उत्पाद शुल्कों में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं जिससे प्र ति

वर्ष लगभग 7.5 से 8 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इस राशि में से केन्द्र को संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में 50 लाख रुपया और शेष धन राज्यों को प्राप्त होगा।

III

3.1. ऊपर मैंने जिन उपायों की रूपरेखा दी है उनके परिणामस्वरूप करों के रूप में केन्द्र को 48 करोड़ रुपए की और राज्यों को 32 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवल प्राप्ति होगी। इस प्रकार बजट में 368 करोड़ रुपए का घाटा जिसका पहले संकेत किया गया है कम होकर 320 करोड़ रुपए रह जाएगा। मैं इस घाटे को इसी रूप में छोड़ देने का प्रस्ताव करता हूं। यह मेरी धारणा है कि इतने घाटे से अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबावों में वृद्धि नहीं होगी। फिर भी आर्थिक गतिविधियों के भविष्य के बारे में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती। हम अर्थ व्यवस्था के बारे में पूरी तरह से सावधान और सतर्क रहेंगे।

3.2. मनुष्य की तरह राष्ट्र के जीवन में भी ज्वार आता है जिसके साथ चल पड़ने पर ही भाग्य का निर्माण होता है। आज राष्ट्र इस ज्वार के उत्कर्ष पर है। अर्थव्यवस्था आगे वृद्धि करने के लिए सन्नद्ध है। आपात स्थिति और नए आर्थिक कार्यक्रम ने आर्थिक वातावरण में एक नवीन परिवर्तन का सूत्रपात कर दिया है। हमें चाहिए कि हम इन अनुकूल परिस्थितियों से लाभ उठाएं और आर्थिक व सामाजिक विकास के कार्यक्रमों में नवीन गति भर दें।

इन प्रस्तावों को बनाते समय मेरा ध्यान राष्ट्रपिता द्वारा बताए गए महान् राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर जा रहा है हमें ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए कि जिसमें न किसी के पास कम हो न किसी के पास ज्यादा।

महोदय, मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक सदन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बजट को स्वीकार करने की कृपा करें।

वित्त विधेयक, 1976

FINANCE BILL, 1976

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिये विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिये विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : श्रीमान्, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 17 मार्च, 1976/27 फाल्गुन, 1897 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday the 17th March, 1976/Phalguna 27, 1897 (Saka).

GMGIPND—LS. III—952 (ai) LS. —14—7—76—200
म० प्र० भा० स० मु० मि० रो० न० दि० एल एस III—952 एल—एस— 14—7—76—200